द्वितीय माला, खण्ड ११ — अंक १०
२१ फरवरी, १९५८ (शुक्रवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

(खण्ड ११ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में)   ३ शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न *संख्या ३७० से ३७२, ३७४ से ३७६, ३८१, ३८२, ३८४, ३८६ से ३८८, ३९०, ३९२ से ४०१, ४०३ और ४०२ ... ८५१–७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३७३, ३८०, ३८३, ३८५, ३८९, ३९१, ४०४ और ४०५ ८७६–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४३ से ४८१ ८७८–९४

सभा पटल पर रखा गया पत्र ८९४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा असहयोग आन्दोलन ... ८९४–९६

जानकारी का प्रश्न ८९६

सभा का कार्य ८९७

अनर्हता निवारण विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन की उपस्थापना के लिये समय का बढ़ाया जाना ८९७

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५७-५८ ८९७–९२९

श्री भा० कृ० गायकवाड़ ८९८

श्री आसर ८९८–९०१

श्री नाथ पाई ... ९०१–०२

श्री जवाहरलाल नेहरू ९०२–०४

श्री वें० प० नायर ९०४–०५

श्री वाजपेयी ९०६–०८

सरदार स्वर्ण सिंह ९०८–१०

श्री अ० म० थामस ९११–१४

श्री ब्रजराज सिंह ९१४–१६

श्री प्र० के० देव ९१६

श्री जाधव ९१६–१८

श्री क० च० रेड्डी ... ९१८–१९

---

*किसी नाम पर अंकित यह+ चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

शुक्रवार, २१ फरवरी, १९५८

लोक-सभा ११ बजे समवेत हुई
[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

स्टेनलैस स्टील

†*३७०. { **श्री रा० च० माझी :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री ७ दिसम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७८१ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय धातुकर्मिक प्रयोगशाला, जमशेदपुर द्वारा जो स्टेनलैस स्टील बनाने की नई विधि निकाली गई है क्या उसको भारत तथा भारत के बाहर के लिये पेटेंट करवा लिया गया है ;

(ख) क्या सरकार का छोटे पैमाने पर स्टेनलैस स्टील निर्माण करने के लिये कोई परीक्षात्मक सन्यन्त्र लगाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में कितनी प्रगति की गई है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास) :** (क) इस पद्धति को भारत तथा इसके बाहर के लिये पेटेन्ट करवाने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

(ख) तथा (ग). अर्ध वाणिज्यिक आधार पर स्टेनलैस स्टील के निर्माण के लिए एक संयत्रं लगाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री रा० च० माझी :** भारत वर्ष में प्रतिवर्ष कितना स्टेनलैस स्टील आयात किया जाता है तथा इस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होती है ?

†**श्री म० मो० दास :** स्टेनलैस स्टील के नवीनतम आंकड़ों, जो कि जनवरी और फरवरी १९५७ के हैं, के आधार पर गणना करते हुए हम प्रति वर्ष ९६१८ टन स्टेनलैस स्टील आयात करते हैं और उस दर से इसका मूल्य ९ करोड़ रुपये बैठता है ।

†मूल अंग्रेजी में ।

†श्री रा० च० माझी : यह नई पद्धति किन-किन देशों में पेटेन्ट करवाई जायेगी ?

†श्री म० मो० दास : अपने देश के अलावा हम इसे बर्तानिया, अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस में पेटेन्ट करवायेंगे ।

†श्री हेडा : यह सन्यन्त्र कब तक कार्य करने लगेगा ?

†श्री म० मो० दास : अभी हमें इसकी लागत वगैरह का अनुमान करना पड़ेगा क्योंकि यह पहला परीक्षात्मक सन्यन्त्र होगा, इसलिये सरकार इस विषय पर सक्रिय विचार कर रही है ।

†श्री जयपाल सिंह : क्या मैं "अर्ध वाणिज्यिक" शब्द का स्पष्टीकरण जान सकता हूं ।

†श्री म० मो० दास : इसका अर्थ है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं किया जायेगा किन्तु इससे हमें यह पता लग जायेगा कि वाणिज्यिक दृष्टि से इसके निर्माण में कितनी लागत आयेगी ।

†श्री सुबोध हंसदा : क्या इस नई पद्धति में कोई विशेष प्रक्रिया निहित है ?

†श्री म० मो० दास : जिस स्टेनलैस स्टील का हम आयात करते हैं उसमें १० प्रतिशत निकल होता है । किन्तु निकल एक महत्वपूर्ण धातु है और हम इसको इस प्रकार व्यर्थ नहीं गंवा सकते । इसके बदले हम प्रति टन के पीछे १५,००० रुपये खर्च करने को तैयार हैं । अब नई पद्धति में निकल की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगीं । इसके स्थान पर मैंगनीज का प्रयोग किया जायेगा, और हमारे देश में मैंगनीज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है । इस प्रकार हम अपने देश में अधिक मात्रा में उपलब्ध एक धातु से स्टेनलेस सटील बना सकेंगे ।

सहायी विमान बल के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते

†*३७१. श्री स० म० बनर्जी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहायी विमान बल के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी कि नियमित विमान बल के कर्मचारियों की हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या-क्या अन्तर है ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें यह बताया गया है कि सहायी विमान बल के कर्मचारियों और नियमित विमान बल के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में क्या-क्या अन्तर हैं । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७९**]

†श्री स० म० बनर्जी : इस विवरण में लिखा हुआ है कि उन कर्मचारियों को किन्हीं विशिष्ट शर्तों के अधीन २ आने प्रति मील के हिसाब सवारी भत्ता दिया जाता है । क्या दिल्ली में सेवा करने वाले इन कर्मचारियों को यह सवारी भत्ता नहीं दिया जाता; और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की गयी है ?

†सरदार मजीठिया : दिल्ली के कर्मचारियों के बारे में मुझे यह ज्ञात नहीं है कि क्या उन्हें सवारी भत्ता दिया जाता है या नहीं । परन्तु यदि वे नियमों के अनुसार वह भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी हैं तो उन्हें वह अवश्य अदा किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†श्री स० म० बनर्जी : क्या माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में पूछ-ताछ करेंगे ?

†सरदार मजीठिया : जी, हां । मैं करूंगा ।

जम्मू तथा काश्मीर में पाकिस्तानी

+

†*३७२. { **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री वाजपेयी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, १९५७ के अन्तिम दिनों में राज्य में ध्वंस कार्यों को पुनः प्रारम्भ करने के लिये राज्य के पाकिस्तानी अधिकृत क्षेत्र से कई पाकिस्तानी राष्ट्रजन चोरी-चोरी काश्मीर राज्य में घुस आये थे;

(ख) क्या पकड़े जाने पर और पूछा जाने पर उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया है; और

(ग) पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के इस प्रकार के अवैध प्रवेश की रोक-थाम के लिये क्या-क्या कार्यवाही की गयी है या करने का विचार है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). यह सच है कि पाकिस्तान अधीनस्थ क्षेत्र से पाकिस्तान एजेंट समय-समय पर जम्मू तथा काश्मीर के राज्य में प्रवेश करते रहते हैं और उनमें से कुछ एक ने अपना अपराध अंगीकार भी कर लिया है । इन मामलों की जम्मू तथा काश्मीर पुलिस जांच कर रही है । उनके सम्बन्ध में इस समय विस्तार पूर्वक रहस्य बताना लोकहित में नहीं है ।

(ग) जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने अपने सुरक्षा प्रबन्धों को अधिक सुदृढ़ बना लिया है ।

†श्रीमती इला पालचौधरी : क्या यह सच है कि यह ज्ञात हुआ है कि पाकिस्तान के उन लोगों को जिन के अपने सम्बन्धी भारतीय क्षेत्र में हैं, बाध्य किया जा रहा है कि वे अपने उन सम्बन्धियों से सम्पर्क स्थापित करें और उन्हें ध्वंस कार्यों के लिये प्रशिक्षित करें ?

†श्री दातार : माननीय सदस्या ने यह प्रश्न कुछ अधिक व्यापक रूप में पूछा है । परन्तु कभी-कभी ऐसी बातें होती हैं ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि ये जो सेबटियर्स पकड़े गये हैं इनके पास कुछ ऐसी वस्तुयें भी पकड़ी गयी हैं जिनसे सेबटेज किया जा सकता है, यदि हां, तो अब तक कितने ऐसे लोक पकड़े गये हैं ?

†श्री दातार : लोकहित की दृष्टि से मैं इस सम्बन्ध में और अधिक जानकारी नहीं दे सकता ।

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या यह सच है कि शेख अब्दुल्ला की रिहाई के बाद काश्मीर में पाकिस्तानी जासूसों की कार्यवाहियां तेज हो गयी हैं ?

†**श्री दातार :** यह एक सामान्य सा प्रश्न है जिसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** अभी तक ऐसे कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ?

†**श्री दातार :** मैं इस सम्बन्ध में सभा का ध्यान १९ फरवरी, १९५८ को प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये विस्तृत वक्तव्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं ।

†**श्री हेम बरुआ :** पाकिस्तानी ऐजेंटों द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने पर क्या सरकार उनसे यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करेगी कि काश्मीर तथा शेष भारत में इस प्रकार से तोड़-फोड़ करने वालों के अड्डे कहां-कहां हैं ?

†**श्री दातार :** सरकार इस सम्बन्ध में सभी आवश्यक तथा सुरक्षा सम्बन्धी कार्यवाहियां करेगी ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बात का पता चला है कि काश्मीर की दूसरी तरफ आजाद काश्मीर में और पाकिस्तान के हिस्से में बहुत ज्यादा तादाद में सेबटेज का सामान इकट्ठा किया गया है ? क्या भारत सरकार का ध्यान इस ओर गया है, और यदि हां, तो क्या पाकिस्तान सरकार को इस बारे में कुछ लिखा गया है या कोई दूसरी कार्रवाई की गयी है ?

†**श्री दातार :** सरकार को यह अच्छी प्रकार से ज्ञात है कि दूसरी ओर क्या हो रहा है ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या सरकार को ज्ञात है कि पाकिस्तानी ध्वंसकारियों ने दिसम्बर में ऊरी में एक बम विस्फोट किया था ?

†**श्री दातार :** इस प्रश्न के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री विस्तारपूर्वक उत्तर दे चुके हैं ।

दक्षिण भारत की भाषाओं का अध्ययन

†*३७४. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर भारत के विश्वविद्यालयों में किन्हीं दक्षिण भारतीय भाषाओं के अध्ययन के लिये अलग विभाग स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना तैयार की गयी है; और

(ग) इस योजना को कब से लागू किया जायेगा ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) राज्य पुर्नगठन आयोग के प्रतिवेदन में दक्षिण भारत की भाषाओं तथा संस्कृति के अध्ययन के लिये निकाय स्थापित करने के सम्बन्ध में की गयी प्रस्थापना पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ४ दिसम्बर, १९५७ को एक बैठक में विचार किया गया था ।

(ख) और (ग). लोक सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में अपेक्षित जानकारी दी गयी है । **[देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८०]**

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या उत्तर भारत के विश्वविद्यालयों से इस प्रकार के विभाग खोलने के सम्बन्ध में प्रस्थापनायें मांगी गयी हैं, और यदि हां, तो कितने विश्वविद्यालयों ने अपनी प्रस्थापनायें भेज दी हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों से प्राप्त उत्तरों पर अभी हाल ही में विचार किया गया है और अब उन विश्वविद्यालयों से यह कहा गया है कि वे इन विभागों की स्थापना के सम्बन्ध में अपने विशेष सुझाव भेजें। उन सुझावों के आते ही उनपर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विचार करेगा।

†**श्री रंगा** : इसका क्या कारण है कि यद्यपि राज्य पुनर्गठन आयोग से ये सिफारिशें प्राप्त हुए दो वर्ष से भी अधिक समय गुजर गया है तो भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस पर केवल गत दिसम्बर मास में ही विचार किया गया था ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उसपर सर्व प्रथम १८ फरवरी, १९५७ को बम्बई में विचार किया गया था। तदुपरान्त आयोग ने विश्वविद्यालयों से पत्रव्यवहार किया और उनसे यह पूछा था कि क्या वे इस प्रकार के विभाग स्थापित करने में सहमत हैं? विश्विद्यालयों ने अपने उत्तर भेजे थे; उन पर ४ दिसम्बर, १९५७ को विचार करने के उपरान्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उन विश्वविद्यालयों से यह कहा है कि वे इस सम्बन्ध में अपनी विशिष्ट प्रस्थापनायें भेजें।

†**श्री रंगा** : विश्वविद्यालयों से यह कब पूछा गया था कि क्या वे इससे सहमत हैं या नहीं ? उनसे यह क्यों नहीं कहा गया था कि यदि वे सहमत हैं तो वे अपनी प्रस्थापनायें भी भेज दें ? इस कार्य में इतनी देर क्यों लग गयी है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं नहीं समझता कि उसमें किसी तर्क की आवश्यकता है। मामला बिलकुल सरल है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसपर यथासम्भव शीघ्र ही विचार किया था। इस बारे में वह जब तक विश्वविद्यालयों से सलाह न ले लें, उस पर कोई कार्यवाही कैसे कर सकता था? (श्री रंगा—इसने पूरा एक वर्ष ले लिया है) इसलिये विश्वविद्यालयों से उत्तर आने पर उन पर विचार किया और यह कहा कि सभी दक्षिण भारतीय भाषाओं के विभाग खोलने की अपेक्षा यही बेहतर है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में केवल उन्हीं एक या दो भाषाओं के विभाग खोले जायें जिनमें वे रुचि रखते हों। यह कोई ऐसा मामला नहीं है जिसे जल्दी से निपटाया जाये। मुझे पूरा विश्वास है कि विश्वविद्यालयों से प्रस्थापनायें प्राप्त होते ही आयोग इस बारे में उचित कार्यवाही प्रारम्भ कर देगा।

†**श्री रंगा** : वह काम तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में किया जायेगा।

†**श्री दासप्पा** : क्या दक्षिण भारत के विश्वविद्यालयों में भी उत्तर भारत की भाषाओं के अध्ययन के लिये वैसी ही सुविधायें दी जायेंगी ?

†**श्री रंगा** : केवल एक ही उत्तर भारतीय भाषा।

†**श्री दासप्पा** : मेरा तात्पर्य केवल हिन्दी से नहीं है, बल्कि बंगला तथा अन्य भाषाओं से भी है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†डा० का० ला० श्रीमाली : माननीय सदस्य को ज्ञात है कि उत्तरी भारत में दक्षिण भारत की भाषाओं के विकास की अधिक आवश्यकता है । परन्तु इसके साथ ही हम दक्षिण भारत में हिन्दी तथा अन्य उत्तर भारतीय भाषाओं के विकास के भी इच्छुक हैं। मुझे आशा है कि शीघ्र ही दोनों प्रकार की भाषाओं का आदान-प्रदान होने लगेगा ।

†श्री च० द० पांडे : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रकार के प्रयोग के लिये दिल्ली ही सब से अधिक उपयुक्त स्थान है, क्या प्रयोग के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय में तामिल या तेलुगू या दोनों के लिये निकाय स्थापित करने का प्रयत्न किया जायेगा ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में प्रस्थापनायें मांगी गयी हैं। वह इन सभी मामलों को ध्यान में रखेगा ।

प्राचीन चित्रकारी

†*३७५. श्री पाणिग्रही : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि भूतपूर्व राजाओं के पास प्राचीन बहुमुल्य चित्रकारी तथा पाण्डुलिपियों का जो महान संग्रह था, वह अब गैर-सरकारी निकायों तथा विदेशियों के हाथ बेचा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बहुमूल्य कला की रक्षा के लिये भारत सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†श्री पाणिग्रही : क्या देश के कुछ एक भागों में वास्तव में भूतपूर्व राजा अपने बहुमूल्य चित्रों को नहीं बेच रहे हैं और क्या भारत सरकार उन्हें खरीद लेगी ?

†अध्यक्ष महोदय : यह तो वही प्रश्न फिर से पूछा गया है ।

†डा० का० ला० श्रीमाली : हमें इस सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है; जब कोई बात हमारे ध्यान में आयेगी तो उस समय सरकार उन प्राचीन वस्तुओं को खरीदने का प्रयत्न करेगी ।

†श्री पाणिग्रही : शिक्षा और वैज्ञानिक मंत्रालय ने राज्य सरकारों को यह हिदायतें जारी की थीं कि वे इस प्रकार के चित्रों के गैर-सरकारी संग्रहों को खरीद लें। क्या उन गैर-सरकारी पार्टियों से ऐसे संग्रह खरीदे जा रहे हैं या नहीं ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : माननीय सदस्य को सम्भवतः ज्ञात होगा कि सरकार ने एक कला क्रय समिति की स्थापना की हुई है और उसका यही काम है कि वह राष्ट्रीय महत्व की इस प्रकार की प्राचीन वस्तुओं को खरीदे । जैसा मैंने कहा है जब इन चित्रों की बात सरकार के ध्यान में आयेगी, यह समिति वहां जायेगी और उन वस्तुओं को खरीद लेगी ।

†मूल अंग्रेजी में।

सहकारी गृह-निर्माण समिति, दिल्ली

†*३७६. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों ने एक सहकारी गृह निर्माण समिति की स्थापना की है ;

(ख) यदि हां, तो वह कब स्थापित की गयी थी; और

(ग) क्या उन्हें कोई भूमि आलाट की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी, हां ।

(ख) ११ फरवरी, १९५५ को ।

(ग) जी, नहीं ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** उनके लिये यद्यपि सम्भवतः १९५५ के प्रारम्भ में ही भूमि चुन ली गयी थी, परन्तु फिर भी उन्हें वह भूमि अभी तक एलाट क्यों नहीं की गयी है ?

†**श्री दातार :** उसके लिये ३१ जुलाई, १९५७ को भूमि अर्जन अधिनियम की धारा ६ के अधीन एक अधिसूचना जारी की गयी थी । उसकी कार्यवाही अभी तक पूरी नहीं हुई है ।

पंजाब में दसुआ के निकट तेल

†*३७७. **श्री राम कृष्ण :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में दसुआ के निकट तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किये गये सर्वेक्षण से वहां से तेल प्राप्त करने की सम्भावना का कोई संकेत मिला है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र की कोई व्यापक जांच करने का विचार रखती है; और

(ग) उसका ब्योरे वार विवरण क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** पंजाब का दसुआ क्षेत्र भी भारत के उन बहुत-से क्षेत्रों में से एक है जहां से तेल प्राप्त करने की सम्भावना है, परन्तु वहां से तेल की अभी तक खोज नहीं की गयी है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) वहां पर म्वाकृष्टि तथा चुम्बकीय सर्वेक्षण प्रारम्भ किये जा चुके हैं और भूकम्पीय सर्वेक्षण इस समय चल रहे हैं ।

†**श्री राम कृष्ण :** क्या उस क्षेत्र में छिद्र करने का कार्य भी किया जायेगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** जी, नहीं । जब तक हम तीनों कार्यवाहियां पूरी न कर लें और किसी निश्चित परिणाम तक न पहुंचे, तब तक हम छिद्र करने के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कह सकते ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** इस सम्बन्ध में जैसलमेर क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** यह अनूपूरक प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

+ **कृत्रिम उपग्रह**

†*३७८. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री ४ दिसम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ७६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ द्वारा छोड़े गये कृत्रिम उपग्रह के सम्बन्ध में एकत्रित की गई सामग्री के बारे में किसी अन्य देश से परामर्श किया गया है;

(ख) यदि हां, तो किस-किस देश से; और

(ग) क्या उन आंकड़ों से इस सम्बन्ध में कोई ज्ञान प्राप्त होता है कि सजीव प्राणियों पर ऊपर के वायुमंडल का क्या प्रभाव पड़ता है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी, नहीं।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में सामग्री एकत्रित करने का प्रयत्न ही नहीं किया था, या कि उसने प्रयत्न तो किया था परन्तु वे पूर्ण रूप से नहीं ?

†**श्री म० मो० दास :** भारत सरकार की विभिन्न वैज्ञानिक संस्थायें तथा विभिन्न विश्वविद्यालय और गैर-सरकारी संस्थाएं कृत्रिम उपग्रहों के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्रित कर रही हैं। इन कृत्रिम उपग्रहों से सम्बन्धित तीन बातें हैं। एक तो है उनमें से आने वाले सांकेतिक सन्देश हैं। हम अभी तक इनमें से एक भी सांकेतिक सन्देश रिकार्ड नहीं कर सके हैं। दूसरी बात है उन उपग्रहों के मार्ग के फोटो चित्र लेना। उत्तर प्रदेश सरकार की नैनीताल स्थित वेधशाला स्पुतनिक (द्वितीय) ही फोटो ले सकी है और उसने उपग्रह के मार्ग के बारे में भी जानकारी प्राप्त की है। तीसरी बात है इन उपग्रहों से आने वाले रेडियो संकेत। इन संकेतों को तो रिकार्ड करने में हमारी सभी संस्थाओं को, जिन में आकाशवाणी, संचार मंत्रालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय की संस्थाएं शामिल हैं, सफलता मिली है। इन सभी रेडियो संकेतों की जांच करने के लिये १६ जनवरी को एक समिति की स्थापना की गयी है।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या सरकार इन सांकेतिक सिगनलों के बारे में कमी पूरी करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है; और यदि हां, तो वह कार्यवाही क्या है ?

†**श्री म० मो० दास :** माननीय सदस्य को यह याद रखना चाहिये कि ये उपग्रह अन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिकीय वर्ष के कार्यक्रम के अनुसार ही छोड़े जा रहे हैं। अब के वैज्ञानिकों तथा सरकार द्वारा एक सरकारी संस्था, एक राष्ट्रीय संस्था, स्थापित की गयी है। इस संस्था से भारत सरकार का कोई अधिक सम्बन्ध नहीं है। अतः इस राष्ट्रीय समिति द्वारा निर्धारित किये गये कार्यक्रम के अनुसार ही इस देश में सभी वैज्ञानिक संस्थायें अपना काम कर रही हैं।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि माननीय श्री केशवदव मालवीय जी के अनुसार रूसी शब्द "स्पूतनिक" संस्कृत शब्द "सपत्नीक" का अपभ्रंश है ? क्या इस सम्बन्ध में प्राचीन संस्कृत साहित्य की खोज की जा रही है ?

†मूल अंग्रेजी में।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : केशवदेव मालवीय जी इस के बारे में कुछ नहीं जानते। मैंने उनके साथ मजाक किया था।

युद्धपोत "आरगोसी" की प्रतिकृति

*३७९. { +**श्री स० चं० सामन्त** :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि मार्शल टीटो ने भारतीय नौसेना को युद्धपोत 'आरगोसी' की एक प्रतिकृति भेंट की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री के सभासचिव (श्री फतेहसिंह राव गायकवाड़) : जी हां, यह नकल भारतीय नौसेना के जहाज मैसूर को उसके योगोस्लाविया के स्प्लिट पतन पर पहुंचने पर १४ दिसम्बर, १९५७ को दी गई।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : योगोस्लाविया में हमारे जहाज का कैसा स्वागत किया गया था ?

†**श्री फतेहसिंह राव गायकवाड़** : इसका उतनी ही अच्छी प्रकार से स्वागत किया गया था जितनी कि हमें आशा थी। लगभग ५,००० व्यक्तियों ने उस जहाज का स्वागत किया था और राष्ट्रपति ने कैप्टन का स्वागत किया था।

मध्य प्रदेश को ऋण

†*३८१. **श्री वाजपेयी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश ने अपनी नयी राजधानी भोपाल में भवन तथा सड़कें आदि बनवाने के लिये केन्द्रीय सरकार से साढ़े नौ करोड़ रुपये मांगे हैं; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख). भोपाल राजधानी परियोजना को भी राज्य की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के प्रश्न पर राज्य सरकार और योजना आयोग में बात-चीत चल रही है। राज्य सरकार को १·४ करोड़ रुपयों का जो ऋण दिया जा चुका है, अब इस परियोजना के लिये उसके अतिरिक्त और जरा भी केन्द्रीय सहायता देने के लिये राज्य सरकार को वचन नहीं दिया गया है।

†**श्री वाजपेयी** : क्या राज्य सरकार ने राजधानी के निर्माण के सम्बन्ध में कोई योजना भेजी है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : उसने योजना आयोग को एक अग्रिम योजना भेजी है।

†**श्री वाजपेयी** : क्या उसे चंडीगढ़ के समान ही बनाया जायेगा ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जी, नहीं। वह चंडीगढ़ का माडल या चंडीगढ़ के समान नहीं है।

†**श्री दासप्पा** : क्या केन्द्रीय सरकार मध्य प्रदेश को एक विशेष भूमि खण्ड प्रदान करेगी, क्योंकि उसके बदले में मध्य प्रदेश सरकार नागपुर या और किसी स्थान की भूमि केन्द्रीय सरकार को दे सकती है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस प्रकार की गणना नहीं की गयी है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

एम० ई० एस० पुनरीक्षण समिति

†*३८२. **श्री सूपकार :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुख्य प्रविधिक परीक्षकों के संगठन का अन्त कर देने के बारे में एम० ई० एस० पुनरीक्षण समिति की सिफारिश पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में अन्तिम रूप से कोई निर्णय किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) और (ख). मुख्य प्रविधिक परीक्षकों के संगठन[1] के बारे में एम० ई० एस० पुनरीक्षण समिति की सिफारिश पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है और यह आशा की जा सकती है कि शीघ्र ही अन्तिम रूप से कुछ निश्चय हो जायेगा ।

†**श्री सूपकार :** क्योंकि यह प्रतिवेदन एक वर्ष से भी अधिक समय पहले आ गया था। इसलिये इस मामले में अन्तिम रूप से किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में विलम्ब का क्या कारण है ।

†**सरदार मजीठिया :** यह सच है कि यह प्रतिवेदन लगभग एक वर्ष पहले दिया गया था; लेकिन सी० टी० एस० संगठन बड़े ही अच्छे ढंग से काम कर रहा है । अब तो केवल इसी बात का प्रश्न है कि यह क्यू० एम० सी० के साथ रहेगा या एम० ई० एस० शाखा के अधीन आ जायेगा । लेकिन जहां तक सी० टी० संगठन का प्रश्न है, वह रहेगा ।

†**श्री सूपकार :** क्योंकि समिति एक वर्ष पूर्व इस प्रश्न को फालतू मान चुकी है, इसलिये अब सरकार किस आधार पर यह कह रही है कि यह संगठन बड़े अच्छे ढंग से काम कर रहा है ।

†**सरदार मजीठिया :** जी, नहीं । समिति ने इस संगठन को कभी फालतू नहीं समझा । वास्तव में, यह बड़ा अच्छा प्रयोजन पूरा कर रही है ।

रूरकेला में स्टील एलाय प्लांट

*३८४. **श्री खुशवक्त राय :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला में स्टील एलाय प्लांट स्थापित करने के लिये सरकार ने एक जर्मन फर्म से करार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्णसिंह) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वायनाड उपनिवेशन योजना

†*३८६. { **श्री पुन्नूस :** + / **श्री वासुदेवन नायर :** }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने वियोजित सैनिकों को बसाने के लिये वायनाड उपनिवेशन योजना के लिये केन्द्र से वित्तीय सहायता मांगी है;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1]Organisation of the Chief Technical Examiners.

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता मांगी गयी है; और

(ग) उसपर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) जी, हां ।

(ख) वायनाड बस्ती में भूतपूर्व सैनिकों के २,००० मकानों की छप्पर की छत के स्थान पर खपरैल डालने के लिये केरल सरकार ने १० लाख रूपयों का अनुदान मांगा था ।

(ग) राज्य-सरकार को यह सूचना दे दी गयी थी कि भारत सरकार इस बस्ती के विकास के लिये ५ लाख रुपयों का अनुदान दे चुकी है और कोई अतिरिक्त अनुदान देना सम्भव नहीं है । राज्य सरकार को यह सलाह दी गयी कि वह राज्य युद्धोत्तर पुर्निर्माण निधि न्यास समिति से वित्तीय सहायता मांग ले ।

†**श्री पुन्नूस :** केन्द्रीय सरकार ने ५ लाख रुपये मंजूर किये हैं । क्या यह धन वास्तव में दिया जा चुका है और इसका उपयोग कर लिया गया है ?

†**सरदार मजीठिया :** जिस समय यह राशि मंजूर की गयी थी उस समय केरल राज्य का ही अस्तित्व नहीं था; और जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, इस राशि को मद्रास सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया था ।

†**श्री पुन्नूस :** क्या केरल राज्य के बनने के बाद मद्रास सरकार ने उसे केरल राज्य को हस्तांतरित कर दिया था ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** मद्रास सरकार ने उस राशि का थोड़ा ही भाग हस्तांतरित किया है । हमने मद्रास सरकार को सलाह दी है कि उन्हें शेष राशि भी केरल सरकार को हस्तांतरित कर देनी चाहिये ।

†**श्री वासुदेवन नायर :** क्या यह सच नहीं है कि वायनाड उपनिवेशन योजना के लिये मद्रास में युद्धोत्तर पुर्निर्माण निधि ने धन दिया था; और यदि हां, तो क्या वायनाड योजना को मद्रास की निधि से पूरी वित्तीय सहायता मिलेगी ?

†**सरदार मजीठिया :** अब क्योंकि केरल एक पृथक् राज्य है इसलिये उसकी अपनी पृथक् निधि है । यदि और सहायता की आवश्यकता हो तो न्यास समिति से अनुरोध किया जाना चाहिये ।

†**श्री जयपाल सिंह :** क्या यह सच है कि वियोजित सैनिकों को बसाने के लिये एक विशेष निधि है ? यदि इसका उत्तर सकारात्मक हो तो इस निधि का वर्तमान मूल्य कितना है ?

†**सरदार मजीठिया :** यदि सम्पूर्ण निधि के बारे में पृथक् प्रश्न पूछा जाय तो मैं इसका उत्तर दूंगा, क्योंकि मैं केवल केरल के बारे में उत्तर दे रहा था ।

†**श्री कृष्ण मेनन :** केरल राज्य के सम्बन्ध में उसके पास २० लाख रुपये हैं । और इस बात का कोई कारण नहीं है कि केरल राज्य सरकार उसमें से कुछ न दे ।

†**श्री पुन्नूस :** क्या यह सच नहीं है कि केरल में वियोजित सैनिकों का यही एक मात्र केन्द्र नहीं है और केरल सरकार के पास इन सभी केन्द्रों के लिये धन की कमी है ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** सभी राज्यों के पास धन की कमी है ।

†मूल अंग्रेजी में ।

समकालीन भारतीय साहित्य

†*३८७. **श्री वें० प० नायर** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री ३० अगस्त, १६५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १३४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से सम्बन्धित लेखकों ने 'समकालीन भारतीय साहित्य" नामक प्रकाशन के दूसरे संस्करण के लिये अपने लेखों का पुनरीक्षण कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो दूसरा संस्करण कब प्रकाशित होगा ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) इसके अप्रैल १६५८ तक प्रकाशित हो जाने की आशा है ।

†**श्री वें० प० नायर** : मंत्री महोदय ने पिछली बार जिस प्रश्न का उत्तर दिया था कि आलोचनायें सम्बन्धित लेखकों के पास ध्यान में रखने के लिये भेज दी गयी हैं । क्या लेखकों द्वारा भेजे गये मसौदों की यह देखने के लिये जांच की गयी है कि उन आलोचनाओं का किस सीमा तक ध्यान रखा गया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : अलग-अलग लेखकों की अपनी अलग स्वतन्त्रता होती है । साहित्य अकादमी ने केवल इतना किया था कि सभी आलोचनाओं को एकत्र कर सम्बन्धित लेखकों को भेज दिया था । लेखकों को जैसे वह चाहें लिखने की स्वतन्त्रता रहेगी ।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या सरकार का इरादा इन लेखों को विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित करने का है और यदि हां, तो इस कार्य के लिये कितना व्यय होने का अनुमान लगाया गया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इस प्रस्ताव पर अभी विचार नहीं किया गया है ।

†**श्री महन्ती** : क्या यह सच है कि **"समकालीन भारतीय साहित्य"** में जो लेख प्रकाशित हुए हैं वह प्रातीतिक हैं जो सम्बन्धित विभिन्न लेखकों के प्रातीतिक मूल्यांकन को प्रतिबिम्बित करते हैं और वैषयिक रिपोर्ताज नहीं हैं ? क्या सरकार इस बात को समझती है कि इस प्रकार के आधिकारिक प्रकाशनों में इस बात को निश्चित करने के लिये प्रत्येक कार्यवाही की जानी चाहिये कि वस्तु निष्ठता सदैव कायम रहे और व्यक्तिगत मूल्यांकनों को अनुचित महत्व न मिल जाये ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जहां तक **"समकालीन भारतीय साहित्य"** का सम्बन्ध है, मुझे इस बात में सन्देह है कि वह सदैव वस्तु निष्ठ रह सकता है क्योंकि साहित्य के प्रातीतिक तत्वों को ध्यान में रखते हुए, जहां तक साहित्यिक रचनाओं का प्रश्न है, कोई दो लेखक एक मत नहीं हो सकते; उनमें हमेशा कुछ न कुछ मतभेद अनिवार्य है ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : क्या मंत्री को पता है कि साहित्य अकादमी ने हाल ही में भारत के समकालीन साहित्य के बारे में एक पुस्तक निकाली है, और क्या वह भारतीय भाषाओं का व्यापक परिचय देने के लिये निकाली जाने वाली पुस्तकमाला का अंग है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मुझे पता नहीं; सम्भवत: माननीय सदस्य **"समकालीन भारतीय साहित्य"** का जिक्र कर रहे हैं, जिसे हाल ही में साहित्य अकादमी ने प्रकाशित किया था । साहित्य

---

†मूल अंग्रजी में ।

अकादमी जो संशोधित संस्करण निकालेगी वह अप्रैल, १९५८ के अन्त तक प्रकाशित होगा । मुझे पता नहीं माननीय सदस्य किस अन्य प्रकाशन का जिक्र कर रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या यह समकालीन साहित्य सम्बन्धी पुस्तकमाला का अंग है या यही सम्पूर्ण पुस्तक है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : साहित्य अकादमी की एक योजना है और यह क्रिया जारी रहेगी ।

†**श्री भक्त दर्शन** : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह आलोचना आई है--कि इस पुस्तक में अंग्रेजी भाषा के लेखकों को अधिक स्थान दिया गया है और हिन्दी और भारतीय भाषाओं के विद्वानों को पूरा स्थान नहीं दिया गया है ? मैं जानना चाहता हूं कि अंग्रेजी भाषा के कितने लेखकों को इसमें स्थान दिया गया है और दूसरी भाषाओं के कितने लेखकों को ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : सभी भाषाओं के सभी लेखक इसमें आ गये हैं यह अंग्रेजी में चीज थी । यदि आनरेबल मैम्बर को लेखकों में दिलचस्पी है तो मैं लेखकों की एक सूचि टेबल पर रख दूंगा । सभी जो लेखक हैं वे अपनी भाषा के बहुत विद्वान हैं ।

†**श्री रंगा** : अनेक राज्यों ने अपनी अलग साहित्य अकादमियां बनायी हैं । इन चीजों का अन्तिम रूप से पुनरीक्षण करने से पहले क्या इन्हें छान-बीन और जांच के लिये उन अकादमियों के पास भेजने का प्रयास किया गया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी नहीं, यह नहीं किया जाता । जो तरीका अपनाया गया है वह यह है कि साहित्य अकादमी का कार्यकारिणी मंडल लेखकों के नाम चुनता है । लेखकों का चुनाव अनुभव और साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के आधार पर किया जाता है और कार्यकारिणी मंडल इन नामों का अनुमोदन करता है । उनसे लेख लिखने को आमंत्रित किया जाता है ।

†**श्री वें० प० नायर** : मंत्री महोदय ने कहा है कि इन लेखों को विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रकाशित करने का विचार नहीं है । मैं यह जानना चाहता हूं कि एक विशेष भाषा बोलने वाले लोग दूसरी भाषाओं में समकालीन साहित्य के विकास क्रम को किस प्रकार समझ सकेंगे ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह एक सुझाव है । मैं निश्चय ही इसे विचार के लिये साहित्य अकादमी के पास भेज दूंगा ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : साहित्य अकादमी का अध्यक्ष होने के नाते मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा । एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने का प्रस्ताव किया गया है । साहित्य अकादमी ने केवल **"समकालीन भारतीय साहित्य"** ही नहीं निकाला है । मेरा ख्याल है कि इसी समय उसने एक भाषा से दूसरी भाषा में जो अनुवाद या कविताओं के संकलन और अन्य चीजें निकालीं हैं उन्हीं की संख्या बीसियों में है ।

†**श्री रंगा** : हम तो उन्हें नहीं देखते ।

†**श्री वें० प० नायर** : मैं जो जानना चाहता था वह यह कि क्या इन लेखों को अन्य सभी प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं नहीं कह सकता । विचार तो यह है कि हमें इसे प्रत्येक में निकालना चाहिये लेकिन स्पष्ट है कि हम अचानक सब जगह इसे नहीं निकाल सकते । हमें जब भी सुविधा होगी यह कर दिया जायेगा लेकिन विचार यह है कि सभी भाषाओं के साथ समानता का व्यवहार किया जाये ।

सम्पदा-शुल्क

†*३८८. **श्री मोहम्मद इलियास :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सम्पदा शुल्क वसूल करने की व्यवस्था पर अब तक सरकार का कुल कितना व्यय हुआ है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** १५-१०-१९५३ से ३१-१-१९५८ की अवधि में २३·८६ लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है ।

†**श्री मोहम्मद इलियास :** १९५६-५७ में पश्चिम बंगाल से कुल कितना सम्पदा शुल्क वसूल हुआ है और उस वर्ष में इसकी वसूली पर कितना खर्च हुआ है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** हमारे पास आंकड़े नहीं हैं ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** हमारे पास राज्य-वार आंकड़े नहीं हैं । यदि आवश्यकता हो तो हम यह बता सकते हैं कि कुल कितनी राशि वसूल हुई है । इस पूरी अवधि की कुल आय लगभग ५·९५ करोड़ रुपये हैं । पहले वर्ष में, अर्थात् १९५३-५४ में केवल संगठन पर ही खर्च हुआ । बाद में १९५४ से १९५८ तक के चार वर्षों में, जैसा मेरे सहयोगी ने बताया, २३·८६ करोड़ रुपये खर्च हुए । जैसा मैं कह चुका हूं, करीब ६ करोड़ रुपये जमा हुए हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** अब क्योंकि सम्पदा-शुल्क पांच वर्षों से लग रहा है, क्या सरकार ने उस राशि पर नजर रखी है जिसे वह लोग, जिन पर सम्पदा शुल्क लगाया जा सकता है, अन्य लोगों को उपहार-स्वरूप भेंट कर रहे हैं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** सरकार को इस बात का पता है । लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि इसका उन्होंने पृथक् रजिस्टर रखा है या नहीं । वास्तव में, हम यह समझ गये थे कि ऐसा हो सकता है । वास्तविक कठिनाई, उपहारों की उतनी नहीं है जितनी संयुक्त हिन्दू परिवार के कारण है । यह एक अनाकार चीज है । यह जानना कठिन है कि इसके कितने सिर हैं और कितनी पूंछें हैं ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** किसी एक व्यक्ति से अब तक सब से अधिक कितनी राशि वसूल हुई है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** हमारे पास उसके आंकड़े तो नहीं हैं । लेकिन खुद मुझे जो याद है उसके अनुसार वास्तव में बड़ी राशियों को साधारणतया छुआ भी नहीं गया है । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि संयुक्त हिन्दू परिवार बीच में बाधक हो गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** जिन राशियों को मिला कर यह ६ करोड़ रुपये की कुल राशि जमा हुई है उसमें अकेली सब से बड़ी राशि कितनी है ? माननीय सदस्य यही जानना चाहते हैं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** इसका ब्योरा मेरे पास नहीं है । यदि आवश्यक हो तो हम उसका पता लगा सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

तेलिया मूड़ा बाजार (त्रिपुरा) में अग्निकांड

†*३९०. **श्री दशरथ देब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३ जनवरी, १९५८ को तेलियामूड़ा बाजार (त्रिपुरा) में आग लग गयी जिसके फलस्वरूप वहां की सारी दुकानें जल गयीं;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी क्षति होने का अनुमान है कि आग लगने का कारण क्या था; और

(ग) पीड़ित व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है या की जाने वाली है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) तथा (ख). तेलिया मूड़ा बाजार के एक टी-स्टाल में ३ जनवरी, १९५८ को दुर्घटनावश आग लग गयी जिसके फलस्वरूप सड़क के दक्षिण की ओर की अधिकांश झोंपड़ियां जल गयीं । कुल २,८७,८०० रुपयों की क्षति होने का अनुमान है ।

(ग) बेघरबार और बेसहारा हो गये ३० परिवारों को चावल के रूप में और नगद तात्कालिक सहायता दी गयी । पात्र व्यक्तियों को और भी निष्कारण सहायता देने का प्रश्न स्थानीय प्रशासन के विचाराधीन है ।

†**श्री दशरथ देब** : क्या इस आशय के कुछ अभ्यावेदन लिये गये हैं कि पीड़ित व्यक्तियों को अपने मकानों का पुर्ननिर्माण करने के लिये जमीन दी जाये ?

†**श्री दातार** : सरकार उन्हें देने के लिये जमीन के टुकड़ों की सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर रही है ।

†**श्री दशरथ देब** : क्या सरकार को पता है कि इसकी खबर अगरताला पहुंचने में अनुचित रूप से अधिक **वक्त** लग गया और उस स्थान को दमकल भेजने में भी राज्य-अधिकारियों को तीन घण्टे लग गये ?

†**श्री दातार** : खबर मिलते ही दमकल फौरन वहां भेज दिये गये थे और पूरे कार्य की देखरेख के लिये सभी अधिकारी भी वहां चले गये थे ।

†**श्री बांगशी ठाकुर** : क्या यह सच है कि तेलियामूड़ा बाजार में आग लगने की यह पहली ही घटना नहीं है और पिछले कुछ वर्षों में वहां पांच बार आग लग चुकी है और कुल मिला कर लगभग ९·५ लाख रुपयों की क्षति हो चुकी है, और यदि हां, तो इस अग्निकांड का मूल कारण क्या है ?

†**श्री दातार** : उत्तर में यह संकेत किया गया है कि यह आग दुर्घटनावश लग गयी थी । मुझे पिछले अग्निकांडों का पता नहीं है । इसी समय में उनके बारे में कुछ नहीं बता सकता ।

उड़ीसा को सहायता

†*३९२. **श्री वै० च० मलिक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से लगभग ४ करोड़ रुपयों की सहायता और ऋण की विशेष मंजूरी देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकार के अनुरोध पर सम्बन्धित मंत्रालयों के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

†**श्री वैं० च० मलिक** : क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने रिजर्व बैंक की रक्षित निधि में से ५ करोड़ रुपये मांगे हैं और यह ऋण उस घाटे को पूरा करने के लिये मांगा गया है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : वहां अभाव के कारण जो कठिन स्थिति उत्पन्न हो गयी है उसका सामना करने के लिये उन्होंने यह अर्थोपाय किये हैं । लेकिन मैं सभा को यह बता दूं कि उन्होंने अनुदानों और ऋणों के रूप में कुछ सहायता मांगी है, और जैसा मैंने अपने मुख्य उत्तर में कहा है, उनपर सम्बन्धित मंत्रालयों के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

†**श्री महन्ती** : उड़ीसा में सूखे की स्थिति का सामना करने के लिये इस ऋण का आवेदन किया गया था । भारत सरकार से ऋण का यह अनुरोध कब किया गया था और यह प्रश्न कितने समय से सरकार के विचाराधीन है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : यह अनुरोध हाल ही में आया है क्योंकि अभाव की स्थिति का प्रभाव अभी ही महसूस हुआ है । दिसम्बर या जनवरी के महीनों में केवल उड़ीसा ही नहीं वरन् समस्त पूर्वी राज्य अपने अनुरोध लेकर योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के सामने आते हैं । उन पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : मंत्री महोदय ने अभी बताया कि अन्य राज्यों ने भी योजना आयोग से सहायता मांगी । उड़ीसा सरकार ने भारत सरकार से यह अनुरोध कब किया था—उसकी वास्तविक तारीख और महीना क्या है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं निश्चित तारीख तो नहीं बता सकता । लेकिन इस मामले में प्रक्रिया यह है । ऐसा नहीं होता कि अनुरोध किया गया जिस पर राशि दे दी गयी । ऐसे मामलों में अर्थोपायों के रूप में अग्रिम धन दे दिया जाता है और इन परियोजनाओं की वास्तविक आवश्यकताओं को अर्थोपायों के रूप में दिये गये इस अग्रिम धन में से पूरा कर दिया जाता है । यह सहायता उसी समय दी जाती है जब खर्च किया जाता है । इसलिये, ऐसा नहीं होता कि कोई राज्य सहायता के लिये आये और उसे धन दे दिया जाये ।

†**श्री महन्ती** : हम मंत्री से निश्चित जानकारी चाहते हैं । हम जानना चाहते हैं कि किस निश्चित अवधि और समय पर यह अनुरोध किया गया था । श्रीमान् मेरा निवेदन है कि उत्तर पूर्णतया गुमराह करने वाला है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह कह चुके हैं कि वह नहीं बता सकते ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहते कि किस तारीख को किस समय पहला पत्र आया था तो हम उसका पता लगाकर उन्हें सूचित कर देंगे । लेकिन जैसा मेरे सहयोगी ने बताया, वास्तव में, अब औपचारिक ढंग से ऐसा अनुरोध किये जाने का तरीका नहीं है । हो सकता है कि उन्हें तत्काल कुछ रुपयों की जरूरत हो, लेकिन उसके लिये बाकायदा अनुरोध नहीं किया । तरीका यह है कि वह लोग यहां आवें और योजना-आयोग से चर्चा कर लें और योजना आयोग किसी व्यक्ति को वहां भेजे । वास्तव में

†मूल अंग्रेजी में ।

योजना आयोग के लोग इन विभिन्न स्थानों--पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा--को भेजे गये हैं ताकि वह विभिन्न राज्य-सरकारों से इस बात का पता लगा कर चर्चा कर लें। उनके लोग भी यहां आते हैं। इसलिये, यह प्रक्रिया चलती रहती है और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। इस बीच यदि आवश्यकता बहुत जरूरी हो तो उन्हें रुपया सौंप दिया जाता है।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** प्रधान मंत्री के प्रश्न से उत्पन्न । क्या १२ जनवरी को उड़ीसा के मुख्य मंत्री और योजना आयोग के बीच उड़ीसा में अभाव की स्थिति के बारे में चर्चा हुई थी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मुझे पता है कि उड़ीसा के मुख्य मंत्री के साथ चर्चायें हुई हैं लेकिन मेरे पास उनकी निश्चित तारीख और समय नहीं है।

कुछ माननीय सदस्य उठे--

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं तारीख और समय सम्बन्धी ब्योरे की छोटी-छोटी बातों के प्रश्नों की अनुमति नहीं दूंगा । प्रक्रिया समझा दी गयी है। किसी के पास यह जानकारी नहीं है कि कोई चीज मांगी गयी है और उसमें अनुचित रूप से विलम्ब हो गया है।

†**श्री पाणिग्रही :** प्रधान मंत्री हमें बता सकते हैं कि कितनी अन्तरिम सहायता दी गयी है।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्यों को उड़ीसा सरकार से भी इस राशि का पता कर लेना चाहिये । माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि जो विषय मुख्य रूप से राज्यों के हों--यह सही है कि केन्द्र उन्हें अनुदान देता है--उन्हें उन प्रश्नों को राज्य विधान सभाओं में अपने सहयोगियों से उठा कर तथ्यों का पता करना चाहिये और वहां जो जानकारी न मिल सके उनके बारे में ही यहां अनुपूरक प्रश्न पूछने चाहियें।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** मुख्य मंत्री ने विधान सभा में एक उत्तर में कहा है कि उन्होंने भारत सरकार से अनुरोध किया है और अब उनकी मंजूरी की राह देख रहे हैं। इसीलिये हमने यह प्रश्न यहां उटाया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय ने कह दिया है कि यह प्रश्न पूरे समय विचाराधीन था । अब हम अगला प्रश्न लेंगे ।

मनीपुर में नेपाली

†*३९३. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३,००० नेपाली शरणार्थी अधिकारियों की अनुमति के बिना मनीपुर पहाड़ियों में प्रव्रजन कर गये हैं;

(ख) क्या मनीपुर की क्षेत्रीय परिषद् ने मनीपुर प्रशासन से इस मामले में तुरन्त कार्यवाही करने की प्रार्थना की है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाहियां की जा रही हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

†मूल अंग्रेजी में ।

†श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो नेपाली लोग आये हैं क्या उनकी राष्ट्रीयता भारतीय है? नहीं तो उनकी क्या राष्ट्रीयता है?

†श्री दातार : पूरी जानकारी प्राप्य होने पर ही मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा ।

वार्ता निकाय तथा श्रमिक समितियां

†*३६४. श्री स० म० बनर्जी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री १३ नवम्बर, १६५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विमान बल संस्थापनाओं में वार्ता निकाय तथा श्रमिक समितियों के कार्य करने के सम्बन्ध में कोई अतिन्म निर्णय किया गया है?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : समस्त समस्या विचाराधीन है और आशा है कि विचार किये जाने के बाद शीघ्र ही निर्णय किया जायेगा ।

†श्री स० म० बनर्जी : अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है क्योंकि मैं यह अनुभव करता हूं कि श्रमिक समितियां तथा वार्ता निकाय न होने से विमान बल संस्थापनों में बहुत असन्तोष फैला हुआ है? क्या मैं शीघ्र ही निर्णय करने की प्रार्थना कर सकता हूं?

†श्री राघुरामैया : मेरे विद्वान मित्र स्वयं एक वार्ता निकाय के एक सदस्य थे और वह जानते हैं कि यह समस्या कितनी जटिल है और इस प्रकार के मामले में कुछ समय लगना स्वाभाविक ही है ।

श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर की जन्म शताब्दी

†*३६५. { +श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री भक्त दर्शन :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रवीन्द्र नाथ टैगोर की जन्म शताब्दी समारोह के सम्बन्ध में तथा एक रवीन्द्र सदन बनाने के सम्बन्ध में भारत सरकार की ओर से अंशदान देने के प्रश्न पर सरकार विचार कर ही है;

(ख) यदि हां, तो कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) कितनी रकम देने का प्रस्ताव है?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग). मामला विचाराधीन है ।

†श्रीमती इला पालचौधरी : इस शताब्दी समारोह के सम्बन्ध में कुल कितनी रकम खर्च होगी क्या इसका कुछ अनुमान लगाया गया था;

†डा० का० ला० श्रीमाली : जी, नहीं; अभी इस बात पर विचार नहीं किया गया है । मैं माननीय सदस्य को यह बता सकता हूं कि प्रधान मंत्री के सभापतित्व में एक अखिल भारतीय शताब्दी

---

†मूल अंग्रेजी में ।

समिति पहिले ही से नियुक्त की जा चुकी है और कवि की जन्म शताब्दी मनाने के लिये साहित्य अकादमी ने विभिन्न कार्यवाहियां की हैं परन्तु अभी यह निर्णय नहीं किया गया है कि सरकार द्वारा वास्तव में कितनी रकम दी जायेगी ।

†**श्री भक्त दर्शन** : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो समारोह किया जा रहा है वह साहित्य अकेडेमी की संरक्षता में किया जा रहा है या इस में विश्व-भारती तथा दूसरी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा रहा है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : साहित्य अकेडेमी की तरफ से ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : बहुत सारी संस्थाओं की तरफ से। साहित्य अकेडेमी की तरफ से कुछ होगा, विश्व भारती जाहिर है, करेगी, और भी संस्थायें करेंगी । इरादा यह है कि भारत के सब बड़े शहरों में यह किया जाय ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती थी कि जितनी कुल रकम खर्च होने की सम्भावना है क्या उसका अनुमान लगाया गया है। मैं यह नहीं जानना चाहती थी कि केन्द्रीय सरकार अंशदान रूप में कितनी रकम देगी क्योंकि निःसन्देह इस का निर्णय तो बाद में किया जायेगा ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : क्योंकि ये समारोह किसी एक स्थान पर अथवा किसी एक संस्था द्वारा नहीं किये जा रहे हैं इसलिये यहां, अब या भविष्य में यह अन्दाजे से बताना भी असम्भव है कि कुल कितनी रकम खर्च होगी । सम्भवतः यह तो कोई बता सकता है कि आकाशवाणी द्वारा कितनी रकम खर्च की जायेगी, विशिष्टि टिकटों पर डाक तथा तार विभाग द्वारा कितनी रकम खर्च की जायेगी । साहित्य अकादमी तथा विश्व भारती, ये दोनों भारत सरकार से पूर्णतः पृथक् हैं । सरकार इन संस्थाओं की सहायता करती है और फिर ये निर्णय करते हैं कि कितनी रकम खर्च की जाये ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : जिस कार्य के लिये भारत सरकार से अंशदान के लिये कहा गया है उसका सुतथ्य स्वरूप क्या है ? क्या सामान्य खर्च के लिये रकम मांगी जा रही है या कोई विशिष्ट बात सामने है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : सरकार को रवीन्द्र सदन के पुनर्गठन के लिये विश्व भारती से एक प्रार्थना प्राप्त हुई थी और उस प्रयोजन के लिये कुछ प्राक्कलन तैयार किये गये हैं ।

†**श्री रंगा** : यह है कहां ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : शांतिनिकेतन में विश्व भारती है ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह शताब्दी किस तारीख को मनाई जा रही है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : शताब्दी १९६१ में मनाई जायेगी और ठीक तिथि है......

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : ५ मई ।

श्री भक्त दर्शन : इस में रवीन्द्र सदन का जिक्र किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या गवर्नमेंट ने इस बात पर विचार किया है कि कलकत्ते में जो टैगोर का पुराना मकान है उसे खरीद लिया जाय क्योंकि कल जिक्र आया था कि मूंदड़ा साहब ने उसे खरीद लिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†डा० का० ला० श्रीमाली : जी नहीं, मुझे इसकी इत्तला नहीं है कि मूंदड़ा ने उसे खरीद लिया है ।

रूरकेला में उर्वरक संयंत्र

†*३९६. { श्री पाणिग्रही :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री संगण्णा :
श्री त० ब० विट्ठल राव : }

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री १७ दिसम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ११९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला में उर्वरक कारखाने के लिये यन्त्र तथा मशीनों के सम्भरण के सम्बन्ध में अब कोई आर्डर किए जा चुके हैं; और

(ख) उनकी कीमत कितनी है और संयंत्र को स्थापित करने में कितना समय लगेगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) तथा (ख). टेंडर आमंत्रित किये गये हैं और वे ३ मार्च, १९५८ तक आने हैं। आशा है कि सन्यन्त्र काम के लिये १९६१ तक तैयार हो जायेगा । अनुमान है कि सन्यन्त्र पर लगभग १८ करोड़ रुपये खर्च होंगे । परन्तु सन्यन्त्र की कीमत तथा निर्माण के लिये अपेक्षित अवधि की तभी ठीक प्रकार से पता चल सकेगा जब टेन्डरों की छान-बीन कर ली जायेगी ।

†**श्री पाणिग्रही** : रूरकेला सन्यन्त्र के लिये आस्थगित शोधन पर कुछ ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में हाल ही में हमारी सरकार ने पश्चिमी जर्मनी की सरकार से कुछ करार किया है। क्या आस्थगित शोधन आधार पर इस कारखाने के लिये हम पश्चिमी जर्मनी से अपने उपकरण भी प्राप्त करेंगे ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं माननीय सदस्य से प्रतीक्षा करने की प्रार्थना करूंगा । यह आवश्यक नहीं है कि जर्मनी में किसी सार्थ को आर्डर दिया गया है। समस्त विश्व से टेंडर आमंत्रित किये गये हैं, निबन्धनों तथा कथित मूल्यों की तुलना की जायेगी और सर्वोत्तम उपयुक्त निबन्धन स्वीकार किये जायेंगे ।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या अब तक हमें कोई टेंडर प्राप्त हुआ है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : टेण्डर प्राप्ति की अन्तिम तिथि ३ मार्च है । मैं यह नहीं बताना चाहूंगा कि क्या टेण्डर प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है ।

†**श्री दासप्पा** : क्या मैं सन्यन्त्र की क्षमता जान सकता हूं ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : नाइट्रो-चूने के पत्थर की ४,४२,००० टन की अर्थात् नाइट्रोजन के रूप में ८०,००० टन की क्षमता का अनुमान है ।

दिल्ली में बम विस्फोट

†*३९७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री १३ नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ८८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में हुए बम विस्फोटों के सम्बन्ध में जांच करने के कार्य में अब कितनी प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** १३ नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ८८ के उत्तर के सम्बन्ध में दिये गये विवरण में जैसा कि संकेत किया जा चुका है अब बम विस्फोट के किसी मामले की जाँच नहीं की जा रही है। १५ अगस्त, १९५७ को जो पटाखा फटा था उसके सम्बन्ध में उस मामले में (ऊपर जिस विवरण की चर्चा की गई है उस की मद २४) इस बीच दण्ड दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त १७३ व्यक्तियों को भी नाजाइज़ तौर पर विस्फोटक पदार्थ रखने पर सजायें दिलाई गई हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : पिछले विवरण में यह कहा गया है कि कुछ मामलों की अभी खोज नहीं की जा सकी है। क्या उन मामलों के सम्बन्ध में खोज लगाने के लिए कोई कार्यवाही की गई है और उनमें से कितने मामलों में सरकार को सफलता मिली है ?

†**श्री दातार** : मैं प्रश्न का पिछला भाग नहीं सुन सका हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य को केवल प्रश्न-काल के लिये आगे एक जगह दी जानी चाहिये।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** श्रीमान्, मुझे इस प्रकार की रियायत नहीं चाहिये। पिछली बार माननीय मंत्री ने जो विवरण दिया था उसमें दर्ज जिन मामलों की खोज नहीं लगाई गई थी उनमें से अब तक कितने मामलों के सम्बन्ध में खोज लगाई जा सकी है ?

†**श्री दातार :** उस विवरण के प्रस्तुत किये जाने के बाद से तीन और मामलों का पता लगाया गया है और कुल मिला कर १५६ मामलों में सजायें दी गई हैं। यही कुछ किया गया है।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस क्रेकर केस में और इससे पहले जो क्रेकर के एक्सप्लोजन हुए उनके सिलसिले में अब तक कुल कितने आदमी गिरफ्तार हुए और कितना सामान बरामद हुआ जोकि विस्फोटक था और उसका क्या किया गया ?

†**श्री दातार :** पिछले के उत्तर तक नाजाइज विस्फोटक पदार्थ रखने के २२५ मामलों का पता लगाया गया था जिन से २४२ व्यक्तियों का सम्बन्ध था। इन मामलों में कार्यवाहियां की जा रही हैं और कुछ मामलों में पहिले ही सजायें दिलाई जा चुकी हैं।

†**श्री म० ला० द्विवेदी :** खोज के दौरान मिली सामग्री का क्या बना है ?

†**श्री दातार :** मुझे यह विशिष्ट जानकारी नहीं है।

श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री जी ने बताया कि इस बीच में कुछ व्यक्तियों को सजा दिलायी जा चुकी है। इसके लिये धन्यवाद देते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अभी भी कितने लोगों के खिलाफ मुकदमे चलाये जा रहे हैं और इसमें इतनी देरी क्यों हो रही है ?

†**श्री दातार :** विवरण में दी गई जानकारी के अतिरिक्त मेरे पास जो भी जानकारी है वह मैं यहां दे चुका हूं।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या सरकार ने यह मालूम करने का प्रयत्न किया था कि क्या इस मामले में किसी गैर-भारतीयों का हाथ तो नहीं है ?

†**श्री दातार :** इस प्रश्न का उत्तर पहिले ही दिया जा चुका है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

धनबाद का भारतीय खान और व्यावहारिक भौमिकी स्कूल

+
†*३९८. { **श्री वाजपेयी :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री कोडियान : }

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री २० दिसम्बर, १९५७ के अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि धनबाद के भारतीय खान और व्यावहारिक भौमिकी स्कूल के विद्यार्थियों की शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाहियां की गई हैं ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास) :** लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में अपेक्षित जानकारी दी गई है। **[देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८१]**

†**श्री वाजपेयी :** विवरण से यह पता चलता है कि विद्यार्थियों की लगभग सभी शिकायतें दूर की जा चुकी हैं। क्या अन्य संस्थाओं, उदाहरणार्थ, दिल्ली पालीटेकनिक के विद्यार्थियों के प्रति भी, जिन्होंने इसी प्रकार के कारण के लिये हड़ताल की है, वैसा ही सहानुभूति का दृष्टिकोण अपनाया जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह बात इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होती है ।

†**श्री अ० क० गोपालन :** विवरण के अनुसार कुछ शिकायतें हैं। कितनी शिकायतें दूर की जा चुकी हैं और अन्य शिकायतों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री म० मो० दास :** सभी शिकायतें दूर की जा चुकी हैं और अब सुखदतम सम्बन्ध स्थापित हैं। पिछले दिनों मैं वहां गया था और मैंने अध्यापकों तथा विद्यार्थियों में सामान्य सम्बन्ध, सुखदतम सम्बन्ध देखे थे ।

†**श्री अ० क० गोपालन :** सूची में चौदह शिकायतें दी गई हैं। क्या ये सभी चौदह शिकायतें दूर की जा चुकी हैं ?

†**श्री म० मो० दास :** कुछ पहिले ही दूर की जा चुकी हैं। अन्य में कुछ समय लगेगा क्योंकि उनसे अन्य निकायों का सम्बन्ध है । उदाहरणार्थ बस की सुविधायें हैं। बिहार सरकार द्वारा दो बसों को चलाने की अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि उनके धुरे की लम्बाई प्रस्वीकृत लम्बाई से कुछ अधिक है। हम इस सम्बन्ध में विशेष अनुमति दिये जाने क लिये बिहार सरकार से बात-चीत कर रहे हैं । इस में कुछ समय लगेगा ।

इसी प्रकार कुछ अन्य मदें भी हो सकती है जिनके लिये हम प्रयत्नशील हैं और हमें कुछ ही समय में सफलता मिलने की आशा है। कुछ शिकायतें पहिले ही दूर की जा चुकी हैं ।

शिक्षा सम्बन्धी. सम्मेलन

†*३९९. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि इस वर्ष भारत ने यूनेस्को के दो अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, अर्थात् प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी सुधार तथा द्रव्य-श्रव्य सहायक उपकरणों से सम्बन्धित सम्मेलनों में आतिथेय बनना स्वीकार किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** जी, हां।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस कानफरेंस में चीन और उत्तरी वियतनाम भी आमंत्रित होंगे या नहीं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी, हां साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के करीब-करीब सभी मुल्क हैं, चीन है, अफगानिस्तान है, बरमा है, यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं सब देशों के नाम सदन की मेज पर रख सकता हूं।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं सिर्फ दो देशों के बारे में जानना चाहता हूं।

डा० का० ला० श्रीमाली : चीन और वियतनाम दोनों हैं।

उड़ीसा का सीमा विवाद

†*४००. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने भारत सरकार को उड़ीसा राज्य विधान सभा द्वारा पारित उस संकल्प की एक प्रति भेजी है जिसमें सीमा विवाद, विशेष रूप से सरायकला तथा खारसवान क्षेत्रों के सम्बन्ध में सीमा विवाद की जांच करने के लिये एक आयोग नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसपर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी, हां।

(ख) राज्य पुर्नगठन आयोग ने सरायकला तथा खारसवान के सम्बन्ध में उड़ीसा के दावे पर विचार किया था और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि इन क्षेत्रों को बिहार का ही एक भाग बने रहना चाहिये। ध्यानपूर्वक सोच विचार करने के बाद यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई थी। संसद् में इस मामले पर वाद-विवाद हुआ था और ६ अगस्त, १६५६ को लोक-सभा में उड़ीसा विधान सभा द्वारा पारित संकल्प के अनुसार एक संशोधन प्रस्तुत किया गया था जिसे सदन ने अस्वीकार कर दिया था। इसलिये भारत सरकार का इस मामले में कोई कार्यवाही करने का प्रस्ताव नहीं है।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** जब संसद् में राज्य पुर्नगठन विधेयक पारित किया गया था उसके बाद इस विशिष्ट संकल्प को उड़ीसा विधान सभा ने स्वीकार किया था, वे केवल इतना चाहते हैं कि इन क्षेत्रों के सीमा विवादों की जांच करने के लिये एक समिति गठित की जाये। क्या पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् म इस प्रश्न को भी उड़ीसा सरकार द्वारा उठाया गया था और क्या भारत सरकार......

†**अध्यक्ष महोदय :** कितने प्रश्न हैं ? माननीय सदस्य केवल एक ही प्रश्न पूछ सकते हैं।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** उड़ीसा सरकार इस मांग पर कोई ध्यान देगी ?

†**श्री दातार :** मुझे मालूम नहीं है कि क्या यह प्रश्न पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् में उठाया गया था।

†**श्री पाणिग्रही :** पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् की जो दो बैठकें हुई थीं क्या उनमें से किसी में उड़ीसा सरकार ने बिहार तथा उड़ीसा में सीमा विवाद का मामला भी रखा था ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री दातार :** क्षेत्रीय परिषद् में उड़ीसा सरकार ही इस प्रश्न को रख सकती है और फिर यदि मामले पर विचार किया जाये और पक्षों में यदि कोई समझौता हो जाये तभी भारत सरकार के सामने मामला आयेगा । तब तक भारत सरकार का इस मामले से कोई सरोकार नहीं है ।

†**श्री पाणिग्रही :** मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने यह मामला उठाया था ?

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्हें मालूम नहीं है । अगला प्रश्न ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी :** मेरी यह प्रार्थना है कि प्रश्न संख्या ४०१ तथा ४०३ को इकट्ठे ले लिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** जी, हां ।

जम्मू तथा काश्मीर में तेल की खोज

†*४०१. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काश्मीर राज्य में जम्मू के निकट रामनगर तहसील के मानसर क्षेत्र में कुछ समय हुआ तेल की खोज करने का कार्य किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) जी, हां । नवम्बर, १९५७ से चार भूतत्ववेत्ताओं का एक दल क्षेत्र के भूतत्वीय मानचित्रण का कार्य कर रहा है ।

(ख) अब तक लगभग ७० वर्ग मील के क्षेत्र में भूतत्वीय मानचित्रण तथा नमूनों को एकत्रित करने का कार्य किया गया है ।

काश्मीर में पैट्रोलियम के निक्षेप

†*४०३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १३ नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि काश्मीर राज्य में मुर्दापुर के निकट पैट्रोलियम के निक्षेपों के सर्वेक्षण के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** जम्मू तथा काश्मीर के अधिकारियों का एक दल आजकल कार्य कर रहा है और यदि सर्वेक्षणों द्वारा अनुकूल संरचनाओं का पता चला तो विस्तृत अनुसन्धान कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** तेल के अतिरिक्त क्या किसी अन्य खनिज की खोज भी की जा रही है, और यदि हां, तो वे क्या हैं ।

†**श्री के० दे० मालवीय :** अन्य खनिजों के सम्बन्ध में भी सर्वेक्षण कार्य किया जाता है और भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा पृथक् रूप से प्रतिवेदन तैयार किये जाते हैं ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या मुर्दापुर के निकट इस स्थान से लगभग ९७ मील की दूरी पर, रामनगर के निकट किसी स्थान का भी परीक्षण किया गया है क्योंकि कहा जाता है कि वहां तेल की गन्ध आती है और हो सकता है वहां कुछ तरल पदार्थ हो ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†श्री के० दे० मालवीय : जी, हां । हमारे प्रतिवेदनों से पता चलता है कि वहां तेल तथा गैस के कुछ चिन्ह हैं । इस समय हम इससे अधिक कुछ नहीं कह सकते हैं । कुछ और अनुसंधान कार्य करना अपेक्षित है और कुछ समय पश्चात् ही हम निश्चित रूप से कुछ कह सकेंगे ।

†श्री दी० चं० शर्मा : मुर्दापुर के सर्वेक्षण का परिणाम क्या है ?

†श्री के० दे० मालवीय : प्रतिवेदनों में यह संकेत किया गया है कि—भूतत्वीय दृष्टि से मैं यह कह सकता हूं—उनका कुछ महत्व हो सकता है । तेल अथवा गैस के सम्बन्ध में निश्चित रूप से हम कुछ समय बाद ही कुछ कह सकेंगे ।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या इस सर्वेक्षण के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट इकाई जम्मू में कार्य कर रही है, और यदि हां, तो उसमें कितने व्यक्ति हैं ।

†श्री के० दे० मालवीय : : जी, हां । जम्मू क्षेत्र में भूतत्वीय दल सर्वेक्षण कार्य कर रहे हैं और अपना प्रारम्भिक अनुसन्धान कार्य भी कर रहे हैं । वहां लगभग दो दल हैं—मैं ठीक से नहीं कह सकता । वहां लगभग ८ से १० व्यक्ति काम कर रहे हैं ।

सेठ अचल सिंह : ज्वालामुखी और जैसलमेर में जो ड्रिलिंग हो रही है, उसमें क्या प्रगति हुई है ?

श्री के० दे० मालवीय : ज्वालामुखी का तो सवाल दूसरा है । अगर वह पूछा जाये, तो मैं जवाब दे दूंगा । यह तो जम्मू का सवाल है ।

उड़ीसा का भूतत्वीय सर्वेक्षण

†*४०२. { श्री पाणिग्रही :
श्री संगण्णा :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५६-५७ में उड़ीसा का भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो यह सर्वेक्षण कार्य किन क्षेत्रों में किया गया था; और

(ग) सर्वेक्षण का परिणाम क्या है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) तथा (ख). १९५६-५७ में उड़ीसा के जिन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया था उनमें ये जिले थ :

(१) म्यूरभंज,
(२) ढेनकनाल,
(३) साम्बलपुर,
(४) पुरी,
(५) कटक, तथा
(६) तालचर ।

(ग) लोह अयस्क, ग्रेफाइट तथा ग्लास सैन्ड के निक्षेपों के सम्बन्ध में इस समय जो जानकारी प्राप्य है उसकी तुलना में इन सर्वेक्षणों के परिणाम यथासमय भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसंधान लेखों में प्रकाशित किये जाने पर उनमें पूरी जानकारी प्राप्य होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

प्रस्तावित तेल शोधक कारखाने

†*३७३. **श्री वि० च० शुक्ल :**
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री भगवती :

क्या **इस्पात खान और इंधन** मंत्री २६ नवम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोहाटी तथा बारौनी में प्रस्तावित तेल शोधक कारखानों के सम्बन्ध में सरकार को परियोजना अध्ययन प्राप्त हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : जी, नहीं। मंत्रणाकार अभी उस पर कार्य कर रहे हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सेन्ट्रल आर्डनेन्स डिपो, आगरा

*३८०. **सेठ अचल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ९ दिसम्बर, १९५७ को सेन्ट्रल आर्डनेंस डिपो, आगरा में आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसके फलस्वरूप कितनी हानि हुई;

(ग) क्या जांच न्यायालय को आग लगने के कारणों की जांच पड़ताल करने का आदेश दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो वह न्यायालय किस निष्कर्ष पर पहुंचा है; और

(ड) भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोक-थाम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी, हां।

(ख) ३,४४,७४४·२५ रुपये।

(ग) जी, हां।

(घ) कोर्ट की राय में आग किसी मामूली साधन जैसे कि सुलगती बीड़ी या सिगरेट के टुकड़े से लगी जो किसी कामगर द्वारा डिपो बन्द होते समय गोदाम में रह गया। कुछ समय सुलगते रहने के बाद उस बीड़ी अथवा सिगरेट के टुकड़े ने किसी आसानी से आग पकड़ने वाले पदार्थ को आग लगा दी।

(ड) कोर्ट आफ इन्क्वायरी के कार्यक्रम की केवल एडवांस कापी प्राप्त हो चुकी है। भिन्न स्तरों के कमांडरों की सिफारिशें प्राप्त होने पर जो आवश्यक और उपयुक्त कार्य करना होगा किया जायेगा।

†मूल अंग्रेजी में।

क्रीड़ांगण[1]

†*३८३. **श्री मं० रं० कृष्ण :** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार सब राज्यों में खेल-कूद क्रीड़ागण (स्पोर्टस स्टेडियम) बनाने का विचार रखती है; और

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने हैदराबाद में एक क्रीड़ागण का निर्माण करने के लिये धन की प्रार्थना की है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) भारत सरकार ने उन केन्द्रों में क्रोड़ागण बनाने की योजना स्वीकृत की है जहां वे आवश्यक हैं। इस योजना के अन्तर्गत भूमि की कीमत के अतिरिक्त निर्माण सम्बन्धी ५० प्रतिशत व्यय का अनुदान इस शर्त पर देने का विचार है कि राज्य सरकार अथवा इसका आरम्भ करने वाला प्राधिकार शेष खर्च उठाने के लिये तैयार हो । अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद् की सिफारिश पर ही प्रत्येक मामले में उपरोक्त अनुदान दिया जायेगा ।

(ख) हैदराबाद में पहले से निर्मित क्राड़ागण (स्टेडियम) में एक पेविलियन के निर्माण के लिये आन्ध्र प्रदेश सरकार की प्रार्थना का परीक्षण किया जा रहा है ।

कोयला वाले क्षेत्रों का अधिग्रहण

†*३८५. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ४ दिसम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला वाले क्षेत्र अधिग्रहण तथा विकास) अधिनियम, १९५७ के अधीन अभी तक अधिगृहीत भूमि का कुल क्षेत्र कितना है; और

(ख) प्रतिकर के रूप में कितनी रकम दी गई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) ८१३१·५९ बीघा जमीन और ८६९२·७१ बीघा जमीन में खनन अधिकतर प्राप्त किये गये हैं ; और

(ख) अभी कोई प्रतिकर नहीं दिया गया है । सम्बन्धित पार्टियों से बातचीत चल रही है ।

केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय गवेषणा संस्था, मैसूर

†*३८९. **श्री वोडयार :** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय गवेषणा संस्था, मैसूर में १९५२ के पश्चात उत्पादित कितनी वस्तुओं को अभी तक व्यावसायिक रूप दिया गया है; और

(ख) उपरोक्त वस्तुओं के उत्पाद का अधिकार कितने मामलों में गैर-सरकारी निकायों अथवा व्यक्तियों को दिया गया है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास)** : (क) ग्यारह ।

(ख) सम्पूर्ण ग्यारह ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

१. Sports stadia.

क्षेत्रीय परिषदें

†*३९१. **श्री सें० वें० रामस्वामी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय परिषदों की अब तक कितनी बैठकें हो चुकी हैं; और

(ख) क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले क्या-क्या निर्णय किये गये हैं और वे किस प्रकार क्रियान्वित किये जा रहे हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद् के अतिरिक्त सम्पूर्ण क्षेत्रीय परिषदों की दो बार बैठकें हो चुकी हैं। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद् की बैठक एक बार हुई है ।

(ख) क्षेत्रीय परिषदों के निर्णयों की क्रियान्विति के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र ही एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जायेगा ।

पाकिस्तान को देय ऋण

*४०४. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि पाकिस्तान का यह दावा है कि द्वितीय महायुद्ध के दौरान भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत आजकल पूर्वी पाकिस्तान में सम्मिलित राज्य क्षेत्र की सम्पदा का अधिग्रहण करने के कारण उन्हें हम से २,६४,००० रुपये लेना बाकी है ।

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) :** जानकारी एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

आगरे का किला

†*४०५. **श्री वाजपेयी :** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आगरे की ऐतिहासिक किला जीर्णशीर्ष अवस्था में हैं और सम्राट औरगंजेब द्वारा बनाई गई पटावदार खाई टूट रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार उस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख). वास्तुकला विभाग के नियन्त्रण में जो स्थल हैं उनकी संरक्षण अवस्था संतोषजनक है और विशेष तथा वार्षिक मरम्मत के रूप में उनकी ओर समुचित ध्यान दिया जाता है। प्रश्न में जिस खाई का उल्लेख है वह वास्तुकला विभाग के नियन्त्रण में नहीं है ।

हार्नेस और सैडलरी फैक्टरी के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†४४३. **श्री स० म० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हार्नेस और सेडलरी फैक्टरी, कानपुर के असैनिक कर्मचारियों के लिये १९५८-५९ में कितने क्वार्टर बनाने का विचार है; और

(ख) इसके लिये कितनी रकम स्वीकृत की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) 'एच' आकार के १०० क्वार्टर और 'जे' आकार के १०० क्वार्टर का निर्माण कार्य १९५८-५९ में प्रारम्भ होगा ।

(ख) १९,७६,५००·०० रुपये ।

उड़ीसा में तम्बाकू की खेती

†४४४. **श्री पाणिग्रही** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में प्रत्येक जिले में कितनी जमीन पर तम्बाकू की खेती होती है;

(ख) उड़ीसा से १९५२-५३ से १९५७-५८ में उत्पादन-शुल्क के रूप में कुल कितनी रकम (वर्षवार) वसूल हुई है; और

(ग) उड़ीसा में तम्बाकू के उत्पादन-शुल्क के सम्बन्ध में उपरोक्त अवधि के लिये कितनी रकम बाकी है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८२**]

मैसूर आयरन एन्ड स्टील वर्क्स

४४५. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स में निम्नलिखित मदों के सम्बन्ध में विस्तार कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है :—

(१) कास्ट आयरन स्पन पाइप प्लान्ट,
(२) सिन्टरिंग प्लान्ट,
(३) फैरो एलाय प्लान्ट,
(४) बैस्सीमर इलेक्ट्रिक डूप्ले प्लान्ट,
(५) बिलेट और लाइट स्ट्रक्चरल मिल,
(६) बिजली की सप्लाई, और

(ख) सरकार द्वारा दी गई धनराशि में से कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है और वह किस प्रकार तथा किन-किन मुख्य मदों पर खर्च की गई है ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) (१) पूर्ण हो गया ।

(२) अप्रैल, १९५६ में कारखाने के लिये आर्डर दिये गये थे तथा मशीन और साजसामान से लदा हुआ जहाज भारत आ पहुंचा है ।

(३) कम्पनी, सन्यन्त्र तथा साजसामान के लिये नार्वे की एक फर्म को आर्डर दे रही है ।

(४) और (५). कम्पनी आस्थगित शोधन के अवधि के लिये विदेशी प्रदायकों से बातचीत कर रही है ।

(६) कम्पनी का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) १९५१–५६ में केन्द्रीय सरकार के ऋणों के द्वारा दी गई धनराशि में से ११६ लाख रुपये व्यय हो चुके हैं, इस काल में मुख्य मदों पर किया गया व्यय इस प्रकार है :—

	रुपये लाख में
दो बिजली की कच्चे लोहे की भट्टियां	५०·४६
कच्चे लोहे की खानें तथा ट्रामवेज का विकास	१३·२८
दुकानें, ढलाईघर तथा प्रांगण आदि का विकास	१२·७३
ट्रामवेज का विस्तार	१·८९
कास्ट आयरन स्पन पाइप प्लान्ट	२७·५०
सिन्टरिंग प्लान्ट	०·०९

१९५६-५७ और १९५७-५८ में कोई ऋण नहीं दिये गये ।

कोयला धोने के कारखाने

४४६. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला धोने के कारखाने स्थापित करने के लिये अब तक कुल कितनी धनराशि दी गई है;

(ख) ये कारखाने कहां-कहां स्थापित किये जायेंगे; और

(ग) क्या ये कारखाने केवल सरकारी इस्पात कारखानों को अथवा गैर-सरकारी कारखानों को भी कोयला देंगे ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) द्वितीय योजना में, सरकारी क्षेत्र में कोयला धोने के कारखानों के निर्माण के लिये १० करोड़ रुपये की रकम निश्चित की गई है ।

(ख) करगाली, डूगड़ा, पथरडीह और भोजूडीह ।

(ग) करगाली और डूगडा सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के लिये धुला हुआ कोयला देंगे तथा पथरडीह और भोजूडीह मुख्तया गैर-सरकारी इस्पात कारखानों को धुला हुआ कोयला देंगे ।

भारतीय खनि विभाग[1]

४४७. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ में भारतीय खनि विभाग के कर्मचारियों की संख्या में कितनी वृद्धि की गई है;

(ख) प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या में कितनी वृद्धि की गई है; और

(ग) कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के फलस्वरूप इस विभाग का खर्च किस हद तक बढ़ गया है ?

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) १९५७ में भारतीय खनि विभाग के कर्मचारियों की वृद्धि संख्या १९५ है ।

†मूल अंग्रेजी में ।

१. Indian Bureau of Mines.

(ख) प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या में जो वृद्धि हुई वह इस प्रकार है :—

प्रथम श्रेणी के कर्मचारी	२३
द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी	१
तृतीय श्रेणी के कर्मचारी	११२
चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	५९

(ग) कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण विभाग का लगभग ६,०५,००० रुपये खर्च बढ़ गया है ।

राष्ट्रीय नवकला वीथि, जयपुर हाउस

†४४८. **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली के जयपुर हाउस में राष्ट्रीय नवकला वीथि (नेशनल गैलरी आफ मार्डन आर्ट) में दर्शकों की दैनिक औसत संख्या कितनी है; और

(ख) गैलरी पर पूंजीगत व्यय और आवर्ती व्यय १९५३-५४ से १९५६-५७ तक वर्षवार कितना है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या** ८३]

नासिक में भूमि अधिग्रहण

†४४९. **श्री जाधव :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २६ नवम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७१४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नासिक जिले में सैनिक उपयोग के लिये १९५१ और १९५५ के बीच अधिगृहीत भूमि के प्रतिकर के सम्बन्ध में क्या प्रगति है; और

(ख) कृषकों को पूरी रकम कब तक दे दी जायेगी ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए वृत्तिका

†४५०. **श्री ओंकार लाल :** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में १९५६-५७ में एफ० ए०, एफ० एस० सी०, बी० ए०, बी० एस० सी०, बी० काम०, एम० ए०, एम० एस० सी०, और एम० काम० की फायनल परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों की कुल कितनी संख्या है जिन्हें भारत सरकार की ओर से वृत्तिका मिल रही है; और

(ख) इनमें से कितने विद्यार्थी सफल हुए हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). राजस्थान राज्य में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति वाले विद्यार्थी १९५६-५७ में जहां-जहां पढ़ रहे थे उन शिक्षा संस्थाओं के प्रधानों से अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

राजस्थान में कल्याणकारी संगठन

†४५१. **श्री ओंकार लाल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के वित्तीय सहाय्य के आधार पर राजस्थान राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये कार्य करने वाले सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के क्या नाम हैं;

(ख) १९५५-५६, १९५६-५७ और १९५७-५८ में अभी तक उन्हें कितनी वित्तीय सहायता दी गई है;

(ग) क्या ये संगठन अपना प्रगति-पत्र केन्द्रीय सरकार के समक्ष अथवा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं; और

(घ) इन रिपोर्टों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का क्या स्वरूप है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिए मकान

†४५२. **श्री ओंकार लाल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को बसाने के लिये राजस्थान को १९५५-५६ से कितनी वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) इस कार्य के लिये वस्तुतः कितनी रकम दे दी गई है; और

(ग) अभी तक बनाये गये मकानों की संख्या कितनी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८४**]

(ख) और (ग). अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर शीघ्र ही लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

नेपाल का सर्वेक्षण

†४५३. { **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सर्वेक्षण विभाग ने कोलम्बो योजना के अन्तर्गत नेपाल की सहायता के रूप में उस देश का सर्वेक्षण किया है और मानचित्र तैयार किये हैं;

(ख) यदि हां, तो यह काम कितनी सीमा तक हो चुका है;

(ग) काम पूरा होने की अनुमानित तिथि क्या है; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(घ) भारत सर्वेक्षण विभाग द्वारा (१) नेपाल का सर्वेक्षण करने और (२) मान चित्र तैयार करने में कितनी रकम खर्च हुई है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास)** : (क) जी, हां ।

(ख) कुल ५४,००० वर्गमील में से लगभग ११,००० वर्गमील का सर्वेक्षण किया जा चुका है और १९५७-५८ के चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक ४,४६६ वर्गमील के अतिरिक्त क्षेत्र का सर्वेक्षण पूरा कर लेने की आशा है ।

(ग) आशा है कि यह कार्य १९६१-६२ के अन्त तक परा हो जायेगा ।

(घ) उपलब्ध जानकारी इस प्रकार है:—

	(रुपये)
(१) ३१ दिसम्बर, १९५७ तक सर्वेक्षण और मान चित्रों पर व्यय	२१,२९,१०८
(२) १४ फरवरी, १९५८ तक विमान द्वारा फोटोग्राफी पर व्यय	२४,४०,०४०·६१
(३) छपाई पर व्यय ३१ दिसम्बर, १९५७ तक	२२,९९९

अतिरिक्त अस्थायी संस्थापन सेवाएं[1]

†४५४. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १ अगस्त, १९४९ के पूर्व की गई अतिरिक्त अस्थायी संस्थापन सेवा का पचास प्रतिशत भाग जिसे वरिष्ठता की दृष्टि से अस्थायी सेवा माना गया है, प्रतिरक्षा कर्मचारियों के मामले में पेंशन हेतु सम्मिलित किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस आशय के कोई आदेश जारी किये गये हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी, नहीं । फिर भी यह निर्णय किया गया है कि अतिरिक्त अस्थायी संस्थापन सेवा अर्थात् वरिष्ठता की दृष्टि से अस्थायी सेवा के समान मानी गई सेवा का पचास प्रतिशत भाग, पेंशन की अवधि में सम्मिलित किया जायेगा किन्तु यह पांच वर्ष से अधिक न होगा ।

(ख) इस विषय में आदेश बाद में जारी किये जायेंगे ।

आर्मी स्टोर्स कोर[2]

†४५५. { **श्री अ० क० गोपालन** :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री जगदीश अवस्थी : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर्मी स्टोर्स कोर में दस वर्ष से भी अधिक के सेवा वाले कर्मचारियों को अर्द्ध स्थायी अथवा स्थायी घोषित नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस आशय का कोई अन्तिम निर्णय किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1]. Extra Temporary Establishment Services.

[2]. Army Stores Corps.

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) और (ख). प्रतिरक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत आर्मी स्टोर्स कोर नामक कोई कोर नहीं है। माननीय सदस्य का अभिप्राय स्पष्टतः आर्मी सर्विस कोर से है। इस कोर के बारे में अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। [**देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८५**]

दिल्ली में गुण्डे

४५६. श्री नवल प्रभाकर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में गुण्डों की गतिविधियां बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो १९५८ में अब तक कितने गुण्डे गिरफ्तार किये गये हैं; और

(ग) सामान्यतः गुण्डागर्दी किस तरह की होती है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). दिल्ली में कोई गुण्डा एक्ट नहीं है। सभी जुर्म करने वालों के खिलाफ कार्यवाही साधारण कानून के अन्तर्गत ही की जाती है।

मनीपुर में लोहे की नालीदार चादरों का वितरण

†**४५७. श्री ले० अचौ सिंह** : **क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री ३० अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १३४९ के उत्तर के सम्बन्ध में दिये गये आश्वसान की पूर्ति के बारे में १३ नवम्बर, १९५७ को लोक-सभा के पटल पर रखे गये विवरण के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि** :

(क) **क्या सरकार को मालूम है कि राजकीय सहायता पर आधारित लोहे की नालीदार चादरों के वितरण का लाभ उठाने में आदिम जाति जनता इसलिये असमर्थ है कि उनकी कीमत बहुत ऊंची है;**

(ख) **क्या सरकार परिवहन लागत के रूप में दी गई सहायता के अतिरिक्त और भी सहायता देने का विचार रखती है;**

(ग) **क्या १९५७-५८ में आदिम जाति गृहनिर्माण के लिये मनीपुर पहाड़ियों में उखरूल और चूड़ा चांदपुर के अतिरिक्त अन्य सब-डिविजनों में भी आदिम जाति वासियों को सहायता प्रदान की गई थी; और**

(घ) यदि हां, तो इसका विस्तृत व्यौरा क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, नहीं। **अप्रैल १९५६ और अक्तूबर, १९५७ के बीच की अवधि में मनीपुर में प्राप्त ७२२ टन लोहे की नालीदार चादरों में से आदिम जाति संस्थाओं अथवा व्यक्तियों द्वारा जो उपरोक्त प्रयोक्ता समूची जन संख्या के एक तिहाई से कुछ ही कम है, ३६५ टन का प्रयोग किया गया ।**

(ख) प्रशासन से इस सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्ताव रखन के लिए कहा गया है।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

बिहार को वित्तीय सहायता

†४५८. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार को १९५७-५८ के लिये वचनबद्ध वित्तीय सहायता की अभी पूर्ण अदायगी नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने उस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है;

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) उस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (घ). बजट में इस मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली कुल रकम ११.८५ करोड़ रुपयों में से राज्य सरकार को अभी तक ७.२४ करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं। शेष रकम योजना पर आवश्यक व्यय को ध्यान में रखकर वित्तीय वर्ष के पहले ही दे दी जायेगी ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सैनिक प्रशिक्षण

४५९. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक देशों के कई सैनिक पदाधिकारी १९५० से भारत में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों ने भारत में प्रशिक्षण के लिये अब तक अपने पदाधिकारी भेजे हैं;

(ग) प्रत्येक देश के कितने पदाधिकारी अपना प्रशिक्षण पूरा करके वापिस चले गये हैं और कितने अभी भारत में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं; और

(घ) यह प्रशिक्षण किन शर्तों पर दिया जा रहा है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी हां, भिन्न देशों की सशस्त्र सेनाओं के आफिसरों की एक संख्या हमारी सेवा-संस्थाओं में प्रशिक्षण पा रही है।

(ख) अफगानिस्तान, आस्ट्रेलिया, भूटान, बर्मा, कनेडा, श्रीलंका, मिस्र, ईथोपिया, फ्रांस, इंडोनेशिया, ईरान, नेपाल, सूडान, सीरिया, यू० के०, यूनाइटिड स्टेट्स आफ अमेरिका और युगोस्लाविया ।

(ग) तथा (घ). सूचना शीघ्र नहीं दी जा सकती क्योंकि साधारण प्रथा के अनुसार संबद्ध देशों की अनुमति लेना आवश्यक है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

आई० एन० एस० "मैसूर"

†४६०. **श्री गोरे :**
श्री मुरारका :
श्री नथवानी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई० एन० एस० "मैसूर" के लिये कितनी कीमत दी गई है ;

(ख) उसकी मरम्मत और पुनः फिटिंग करने के लिये कितना खर्च किया गया है;

(ग) आई० एन० एस० "मैसूर" के पुनर्नवीकरण के दौरान भारतीय नौ इंजीनीयरों को प्रशिक्षित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) क्या आई० एन० एस० "मैसूर" खरीदने के पूर्व इस बात की पूछ-ताछ की गई थी कि क्या कोई और देश भारत को 'क्रूज़र' बेचने के लिये तैयार है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) और (ख). यह जहाज ब्रिटिश सरकार से खरीदा गया है और उस सरकार से की गई व्यवस्था के आधार पर उसे आधुनिक रूप देकर इसकी पुनः फिटिंग कर दी गई है । अभी खर्च अन्तिम रूप से मालूम नहीं हुआ है ।

(ग) नाविक निर्माणकर्ताओं का एक कोर बनाया गया है ताकि शनैः शनैः भारत म ही युद्धपोत तैयार किये जा सकें । इस प्रयोजन की पूर्ति के लिये नौ वास्तुविदों को ब्रिटेन में उच्चतर प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

(घ) जी, नहीं । किन्तु जहां तक हमारी जानकारी है, सरकार किसी ऐसे स्रोत से अवगत नहीं थी जहां से आई० एन० एस० मैसूर की किस्म का क्रूजर भारतीय नौबल को उपलब्ध हो सकता था ।

सेना के लिए पत्र-पत्रिकाएं

†४६१. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना को सप्लाई की जाने वाली पत्र-पत्रिकाओं के नाम और संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि दक्षिण भारत की अन्य भाषाओं की पत्र-पत्रिकाएें भी सेना को सप्लाई की जाती हैं; और

(ग) १९५७ में उन पर कुल कितनी रकम खर्च की गई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) से (ग). सेना की यूनिटों और रचनाओं को यह अधिकार दिये गये हैं कि वे उनके लिये निर्धारित साहित्य अनुदान में अपनी आवश्यकतानुसार तामिल तथा दक्षिण भारत की अन्य भाषाओं समेत विभिन्न भाषाओं की पत्र-पत्रिकायें स्थानीय रूप से खरीद लें । साहित्य अनुदान १०० से अधिक सदस्यों वाली यूनिट में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष ३७ नये पैसे और सौ से अधिक सदस्यों की यूनिटों के लिये २५ नये पैसे प्रति व्यक्ति है । तामिल भाषा अथवा दक्षिण भारत की अन्य भाषा के पत्र-पत्रिकाओं के नाम और संख्या तथा उन पर होने वाले खर्च का निर्धारण तभी मालूम हो सकता है जब समय और श्रम लगाकर इनके बारे में विस्तृत जांच की जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

इस्पात का आयात

†४६२. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७-५८ में अभी तक भारत में इस्पात की कुल कितनी मात्रा का आयात किया गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : अप्रैल, १९५७ से जनवरी, १९५८ के बीच की अवधि में इस्पात का कुल उत्पादन १,२९३,९०३ टन हुआ ।

हिमाचल प्रदेश का विकास

४६३. **श्री नेक राम नेगी** : क्या गृह-कार्य मंत्री २७ नवम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के किन-किन स्थानों में दी गई धन राशि से ग्रामोद्योग तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में काम किया गया है या किया जा रहा है; और

(ख) उसके फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति में क्या सुधार हुआ है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) (अ). द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये दी गई रकम से हिमाचल प्रदेश में गांवों और लघु-उद्योगों के लिये निम्नलिखित योजनायें आरम्भ की गई हैं :–

(१) आधुनिक ढंग से गुड़ बनाने के लिये मंडी जिले के बाल्ह और सिरमूर जिले के पओन्टा नगर में दो प्रदर्शन यूनिटें ।

(२) लुहार का काम और धातु का सामान बनाने के लिये महासू जिले के रोहरू, चम्बा जिले के चम्बा और मंडी जिले के जोगिन्दर नगर में तीन प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र ।

(३) बढ़ई के काम के लिये चम्बा जिले के चम्बा नगर और सिरमूर जिले के पओन्टा नगर में दो प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र ।

(४) दर्जी का काम सिखाने के लिये पांच केन्द्र—एक चम्बा जिले के चम्बा नगर में, एक सिरमूर जिले के पओन्टा नगर में, दो महासू जिले के हतकोटी और रामपुर नगरों में और एक मंडी जिले के जोगिन्दर नगर में ।

(५) रेशम के कीड़े पैदा करने की क्रिया प्रदेश के सब जिलों में आरम्भ कर दी गई है । शहतूत के पौदों के केन्द्र महासू जिले में, तीन मंडी जिले में, दो सिरमूर जिले में और एक चम्बा जिले में स्थापित कर दिये गये हैं । मंडी में कच्चा सिल्क तथा सिल्क का कपड़ा बनाने के लिये एक रीलिंग फैक्ट्री भी स्थापित कर दी गई है ।

(६) चमड़े का सामान बनाने और उसमें प्रशिक्षण देने के लिये मंडी जिले के सुन्दर नगर तथा सिरमूर जिले के पओन्टा नगर में दो प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र ।

(७) मंडी जिले के सुन्दर नगर में एक बुनाई प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र ।

(८) लुहार, बुनाई, चमड़े, दर्जी और बढ़ई के काम के लिये पांच यूनिटें बिलासपुर जिले के सदर तथा गुमारविन नगरों में खोली गई हैं ।

(९) बांस के बने बर्तनों के दो प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र—एक महासू जिले के कुनिहार नगर में और दूसरा सिरमूर जिले के नहान नगर में ।

(१०) मोजे, बनियान आदि के दो प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र—एक महासू जिले के सोलन नगर में और दूसरा सिरमूर जिले के पओन्टा नगर में ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(११) सिरमूर जिले के पम्रोन्टा नगर में खेल के सामान बनाने का एक प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र ।

(१२) सिरमूर जिले के त्रिलोकपुर नगर में रस्सी बनाने का एक प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र ।

(१३) हिमाचल प्रदेश में कुटीर तथा लघु-उद्योगों द्वारा बनाये गये सामान को बेचने की सुविधा देने के लिये एक दुकान शिमले में खोली गई है ।

(आ) निम्नलिखित कार्य आरम्भ किये जाने वाले हैं :—

(१) पैंसिल बनाने के लिये दो प्रदर्शन यूनिटें । एक महासू जिले के जुवल नगर में और दूसरी चम्बा जिले के चम्बा नगर में । ये यूनिटें अन्य जिलों में भी जाकर पैंसिल बनाने के तरीके का प्रदर्शन करेंगी ।

(२) बढ़ई के काम के लिये बिलासपुर जिले के बिलासपुर नगर में प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र ।

(३) महासू जिले के रामपुर नगर में ऊन-उत्पादन-केन्द्र की स्थापना ।

(४) मंडी में एक डिजाइन केन्द्र की स्थापना ।

(ख) ये योजनायें आमतौर से दस्तकारी और उद्योग में प्रशिक्षण तथा टेक्नीकल ज्ञान बढ़ाने के लिये बनाई गई हैं जो ग्रामीण जनता क अभिन्न अंग हैं । आर्थिक स्थिति में सुधार, अधिक टेक्नीकल कर्मचारी और ऊंची टेक्नीक के बढ़े हुये ज्ञान द्वारा होगा ।

दिल्ली के स्कूल अध्यापक

†४६४. **श्री नेक राम नेगी :** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री ३० अगस्त, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी स्कूलों के अध्यापकों और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों में भेदभावपूर्ण व्यवहार के क्या कारण हैं जबकि सहायता प्राप्त स्कूलों को सरकार ९० प्रतिशत सहायक अनुदान देती है; और

(ख) सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों को अवकाश अवधि का वेतन देने के बारे में क्या नियम हैं ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख) . लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८६**]

दिल्ली के स्कूल

†४६५. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री दिल्ली राज्य में प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कलों की वर्तमान संख्या और उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :

क्रम सं०	स्कूल	संख्या	विद्यार्थी
(१)	प्राइमरी	५८८	१,४१,७२२
(२)	मिडिल	१४२	४६,६५१
(३)	हाई स्कूल	७४	५६,१७२

जामा मस्जिद

†४६६. **श्री दी० चं० शर्मा : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल जामा मस्जिद की मरम्मत में सामान्यतः कितने कारीगर लग रहे हैं; और

(ख) इन कारीगरों पर कितना मासिक व्यय होता है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :**
(क) ६ ।

(ख) ७८५ रुपये ।

स्पुटनिक

†४६७. **श्री राधा रमण : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, १९५८ में मद्रास में आयोजित भारतीय विज्ञान कांग्रेस में स्पुटनिक का आविष्कार करने वाले रूसी वैज्ञानिक आमंत्रित किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या इनमें से कोई वैज्ञानिक आया था और विज्ञान कांग्रेस में उपस्थित हुआ था;

(ग) क्या स्पुटनिक की टेक्नीक के बारे में भारतीय वैज्ञानिकों ने उनसे बात-चीत की थी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हैं ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास) :** (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८७**]

रूरकेला का इस्पात कारखाना

†४६८. **श्री दी० चं० शर्मा : क्या इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला के इस्पात कारखाने में नियोजित श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से कितने व्यक्तियों के लिये क्वार्टरों का उपबन्ध है; और

(ग) १९५८-५९ में कितने क्वार्टर बनाने का विचार है ?

†मूल अंग्रेजी में ।

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) लगभग ५,४०० श्रमिक सीधे परियोजना द्वारा नियोजित किये गये हैं।

(ख) लगभग २,२०० के लिये क्वार्टरों का उपबंध है।

(ग) २,१६८ मकानों का निर्माण किया जा रहा है और चालू वर्ष में १,००० मकान बनाने का कार्यक्रम है ।

हिमाचल प्रदेश में स्कूल और कालेज

४६६. **श्री पद्म देव** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा कितने प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल तथा कालेज चलाये जा रहे हैं; और

(ख) इन संस्थाओं को सरकार द्वारा किस प्रकार की सहायता दी गई है ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):

(क)	(१) प्राथमिक स्कूल	१५४
	(२) मिडिल स्कूल (सरकारी प्राथमिक स्कूलों से सम्बद्ध मिडिल कक्षाओं सहित) ...	२६
	(३) हाई स्कूल	३
	(४) कालेज	१

(ख) सहायक अनुदान दिये जाते हैं ।

हिमाचल प्रदेश में प्राइमरी स्कूल

४७०. **श्री पद्म देव** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में दूसरी पंचवर्षीय योजनावधि में एक सौ प्राइमरी स्कूल स्थापित किये जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो उनमें से १६५६ से १६५८ तक प्रति वर्ष प्रत्येक जिले में कितने स्थापित किये गये हैं ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) आयोजना में १०० बुनियादी प्राथमिक स्कूल खोलने की व्यवस्था है ।

(ख) आवश्यक सूचना हिमाचल प्रदेश प्रशासन से मांगी गई है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

हिमाचल प्रदेश में समाज कल्याण केन्द्र

४७१. **श्री पद्म देव** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५७-५८ में अब तक हिमाचल प्रदेश में कितने समाज कल्याण केन्द्र खोले गये हैं;

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) इन केन्द्रों में कितने वैतनिक कर्मचारी काम करते रहे;

(ग) उक्त अवधि में इन केन्द्रों में क्या-क्या काम किया गया; और

(घ) प्रत्येक मद पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) से (घ). सरकार और केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा खोले गये "समाज-कल्याण केन्द्रों" के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है। सूचना प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

हिमालय की वनौषधियां

४७२. **श्री पद्म देव** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमालय की वनऔषधियों की ठीक देख-रेख न होने के कारण उनके आकार, रस और गुण में जो ह्रास हो रहा है, उसके संरक्षण के लिये क्या सरकार कोई योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो वह योजना क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास) : (क), (ख) और (ग). वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा, एक केन्द्रीय भारती-औषधीय जड़ीबूटी संघ की स्थापना के विषय में विचार किया जा रहा है। यह संघ, इस देश के विभिन्न भागों तथा हिमालय के क्षेत्रों में पाये जाने वाले भारतीय औषधीय पौदों के सम्बन्ध में योजना बनायेगा।

ई० एम० ई०[1] कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु

†४७३. **श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ई० एम० ई० कर्मचारियों की किसी श्रेणी की सेवा-निवृत्ति की आयु में परिवर्त्तन कर दिया है;

(ख) प्रतिरक्षा सेवाओं के इलैक्ट्रिकल और मेकैनिकल उपभागों में भर्त्ती किये गये ग़ैर-योधन क्लर्कों की सेवा-निवृत्ति आयु कितनी थी; और

(ग) परिवर्त्तित नियमों के अधीन इन कर्मचारियों की अवधि और कितनी बढ़ाई गयी है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) से (ग). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८८]**

मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा योजनायें

४७४. **श्री राधे लाल व्यास** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन की कितनी योजनायें केन्द्रीय सरकार से सहायता के लिये अब तक प्रस्तुत की हैं; और

(ख) उनके लिये कितनी धन राशि मंजूर की गई है या मंजूर की जाने वाली है ?

---

[1] Electrical and Mechanical Engineering.

†मूल अंग्रेजी में।

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :

(क) छियालीस ।

(ख) १९५६-६१	...	लगभग १९८·५१ लाख रुपये
१९५६-५७		८,४१,२३१ रुपये
१९५७-५८		२१,५८,३०० रुपये

कोरबा कोयला-खान क्षेत्र

†४७५. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ में कोरबा कोयला खान-क्षेत्र से कुल कितना कोयला निकाला गया; और

(ख) इन कोयला खान क्षेत्रों में अब तक कुल कितनी पूंजी लगायी गयी है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) ४,००० टन—यह सब अग्रिम खान और दोनों पहली ढलानों में से निकला है ।

(ख) ६८,००,००० रुपये जिसमें १९६०-६१ के अन्त में निर्धारित लक्ष्य के सम्बन्ध में असैनिक निर्माण कार्यों, मशीनों, उपकरणों और सामान की लागत भी शामिल है ।

दार्जिलिंग जिले की स्वायत्तशासी स्थिति

†४७६. **श्री स० म० बनर्जी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) के नागरिकों ने एक ज्ञापन दिया है जिसमें दार्जिलिंग जिले को स्वायत्तशासी बना देने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी, हां ।

(ख) दार्जिलिंग जिले को स्वायत्तशासी बनाने का प्रस्ताव संभव नहीं प्रतीत होता । ज्ञापन में जो अन्य बातें उठायी गई हैं उनकी ओर राज्य-सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया गया है ।

दिल्ली पोलिटेकनिक

†४७७. **श्री परुलेकर :** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पोलिटेकनिक इंस्टीट्यूट के साथ किस प्रकार की मनोरंजन-सम्बन्धी सुविधायें, अर्थात् खेल के मैदान आदि, संलग्न हैं ; और

(ख) छात्रों को ऐसी और भी अधिक सुविधायें प्रदान करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास) :** (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दे दी गयी है । **[देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८७]**

---

†मूल अंग्रेजी में ।

मनीपुर की अदालतों में मुकदमों का निबटारा

†४७८. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर के जिला और सेशन जज की अदालत में क्रमशः १९५५, १९५६ और १९५७ में कितने कितने मुकदमों का निबटारा किया गया है;

(ख) अदालत में फौजदारी और दिवानी के कितने कितने मुकदमे विचाराधीन हैं; और

(ग) विचाराधीन मुकदमों के निबटारे के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) क्रमशः ४४२, ३४३ और ४५९ ।

(ख) १ फरवरी, १९५८ को क्रमशः ७१ और २३५ ।

(ग) मनीपुर के जिला और सेशन जज का ध्यान इस मसले की ओर आकृष्ट किया गया है और यह आशा की जाती है कि मुकदमों के निबटारे में शीघ्रता के लिये उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी ।

द्वितीय और तृतीय श्रेणी के कर्मचारी

†४७९. **श्री बाल्मीकी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय के द्वितीय और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के कर्त्तव्य और कृत्य क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को इन श्रेणियों को मिलाकर एक कर देने के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) सचिवालय और सम्मिलित कार्यालयों में श्रेणी 'ख' (सैक्शन-अफसरों) के पदों पर कार्य करना । अधिक काम वाले सैक्शनों को सामान्यतया द्वितीय श्रेणी के सैक्शन अफसरों और हलके काम वाले सैक्शनों को तृतीय श्रेणी के सैक्शन अफसरों के अधीन रखा जाता है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) सुझाव को नोट कर लिया गया है ।

पाकिस्तान के वायु-सेनाध्यक्ष की यात्रा

†४८०. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान की वायुसेना के प्रधान सेनाध्यक्ष ने हाल ही में दिल्ली की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो उनकी इस यात्रा का प्रयोजन क्या था ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) जी, हां ।

(ख) पाकिस्तान की वायु-सेना के प्रधान सेनाध्यक्ष कराची से ढाका जाते समय रात को दिल्ली में ठहरे थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

प्रादेशिक सेना

†४८१. **श्री मोहम्मद इलियास :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रादेशिक सेना पर १९५३ के बाद से अब तक कुल कितनी राशि व्यय हुई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : ६,९६,००,००० रुपये ।

सभा-पटल पर रखा गया पत्र

सिन्दरी फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

†**उद्योग मंत्री श्री मनुभाई शाह** : मैं समवाय अधिनियम १९५६ की धारा ६३९ की उपधारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९५६-५७ के लिये सिन्दरी फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे सहित सभा पटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ५४०/५८**]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा असहयोग आन्दोलन

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर) : नियम १९७ के अन्तगत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर वित्त मंत्री का ध्यान दिलाता हूं । और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा असहयोग आन्दोलन"

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : जीवन बीमा निगम की स्थापना सितम्बर, १९५६ में की गई थी तथा स्थापित हो जाने के तुरंत बाद ही एक संयुक्त कार्यालय बनाने का काम प्रारंभ कर दिया गया जिससे दो सौ अथवा इससे अधिक बीमा कम्पनियों की सेवा में लगे वेतन प्राप्त क्षेत्रीय कर्मचारियों की सेवा की समान शर्तें बनाई जा सकें । इस प्रश्न की जांच प्रारंभ करते ही यह स्पष्ट हो गया कि यह एक बड़ी उलझी हुई समस्या है तथा इसका हल आसानी से नहीं हो सकता है । अधिकांश बीमा कम्पनियों ने इन क्षेत्रीय कर्मचारियों की सेवा की शर्तें बड़ी ऊटपटांग रखी हुई थीं । उदाहरण के लिये :

(क) सेवा की सुरक्षा नहीं थी तथा कर्मचारियों को सेवा में तभी तक रखा जाता था जब तक वह व्यापार में पर्याप्त बढ़ोतरी करते रहते थे;

(ख) नियमित वेतनक्रम नहीं थे अथवा वेतन वृद्धि नहीं होती थी और न विभिन्न भत्ते जैसे महंगाई भत्ता आदि देने के लिये कोई निश्चित नियम अथवा विनियम बनाये गये थे ।

(ग) किसी भी कर्मचारी को कुल पारिश्रमिक उसके द्वारा किये गये कार्य के आधार पर दिया जाता था; यदि किसी व्यक्ति का कार्य कम होता था तो उसका वेतन रोक लिया जाता था अथवा पदच्युत कर दिया जाता था; तथा

(घ) प्रत्येक समवाय की सेवा की शर्तें अलग-अलग थीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

संक्षेप में क्षेत्रीय कर्मचारियों को केवल बिक्री के लिये रखे कर्मचारियों की तरह समझा जाता और बीमा कम्पनियों की इच्छानुसार उनको वेतन दिया जाता था। इसलिये निगम ने निर्णय किया कि एक वर्ष के लिये क्षेत्रीय कर्मचारियों को समान सुविधायें तथा सेवा की शर्तें दी जायें तथा उसके पश्चात् इस अवधि के परिणामों के आधार पर एक संयुक्त संगठन में उन्हें खपा लिया जाये। इस बीच में ३१ अगस्त, १९५६ को जो वेतन उनको देता था वही दिया गया, केवल कुछ मामलों में मनोरंजन भत्ता जैसे भत्ते जारी नहीं रखे गये क्योंकि उनकी कोई जरूरत नहीं समझी गई।

निगम ने सब से पहले सितम्बर, १९५७ में वर्गीकरण योजना बनाई जिसके अधीन क्षेत्रीय कर्मचारियों के विलीनीकरण के प्रस्ताव बनाये गये। इन प्रस्तावों पर अधिकाश कर्मचारी सहमत थे परन्तु कुछ बातों की ओर फिर भी ध्यान दिलाया गया जिससे इन प्रस्तावों में कुछ सुधार किये जा सकें। इस पर निगम के सभापति ने सभी खण्डों में क्षेत्रीय कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बात-चीत की और योजना में सुधार कर दिये गये। योजना का पुनरीक्षण किया गया तथा सेवा की शर्तों को पर्याप्त उदार बनाया गया। मोटे-मोटे सिद्धान्त बनाये गये जिनके आधार पर कर्मचारियों को १२५-५०० के वेतनक्रम में रखा गया। उनकी सेवा की अनिश्चितता को समाप्त कर दिया गया और छुट्टी, उपदान, आदि के सम्बन्ध में इन कर्मचारियों को प्रशासनिक कर्मचारियों की श्रेणी में ही समझा जायेगा।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** (हमीरपुर) : इसको सभा पटल पर रख दिया जाये।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जी, हां; इसे सभा पटल पर रख दिया जाये। मगर मैं यहां एक बात बताना चाहता हूं। बीमा कर्मचारियों ने इन सब मामलों पर चर्चा करने के लिये मुझसे भेंट करने की इच्छा प्रकट की थी। मैं अगले महीने के शुरू में उनसे मिल रहा हूं।

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं शेष वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

वक्तव्य का अंश जो सभा पटल पर रखा गया

जिन मामलों में सिद्धान्तों को लागू करने से कठिनाइयां होती थीं; चाहे वह वेतन आदि में कमी हो या सेवा का समाप्त किया जाना हो, ऐसे मामले एक विशेषज्ञ समिति द्वारा पुनरीक्षित किये जाने थे। वर्गीकरण योजना की एक प्रति अपनाये जाने वाले सिद्धान्तों की प्रति के साथ ४ दिसम्बर, १९५७ को भूतपूर्व वित्त मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखी गई थी। उन्होंने जीवन बीमा निगम के अन्तरिम प्रतिवेदन पर इस सभा में विचार के समय योजना के मूल सिद्धान्तों पर भी प्रकाश डाला था। केन्द्रीय सरकार ने जीवन बीमा निगम अधिनियम, १९५६ की धारा ११(२) के अधीन योजना को लागू करने के लिये एक आदेश जारी किया है और उस आदेश के उपबन्धों की क्रियान्विति के लिये विनियमों को प्रख्यापित किया जा रहा है। निगम अब योजना को ब्यौरे वार बना रहा है तथा क्षेत्रीय कर्मचारियों पर इसके असर की जानकारी कर रहा है। ऐसी आशा है कि योजना के फलस्वरूप निगम का वेतन सम्बन्धी खर्च प्रति मास लगभग २ लाख रुपये (१३ लाख रुपयों से १५ लाख रुपये) बढ़ जायेगा।

निगम के प्रधान ने भारत की बीमा क्षेत्रीय कर्मचारियों के राष्ट्रीय फेडरेशन के वर्गीकरण प्रस्तावों पर चर्चा की थी। फेडरेशन ने इस योजना में किए गए सुधारों को अच्छा मानते हुए इसको अपना पूरा सहयोग देने से इसलिये इनकार कर दिया क्योंकि निगम ने उनकी दो मांगों को स्वीकार नहीं किया था। ये दो मांगें यह थीं : (१) निगम की स्थापना से पूर्व क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा लिये

†मूल अंग्रेजी में।

पारिश्रमिकों में किसी किसम की कमी नहीं होनी चाहिये; और (२) किसी भी कारण से किसी को पदच्युत न किया जाये। समवायों में नियुक्त क्षेत्रीय कर्मचारियों के पारिश्रमिकों की आर्थिक सेवा की कोई गारन्टी नहीं थी इसलिये इन मांगों का राष्ट्रीयकरण से पूर्व के कार्यों से कोई सम्बन्ध नहीं था और इसलिये ३१ अगस्त, १९५६ को पुराने बीमा समवायों की सेवा में नियुक्त क्षेत्रीय कर्मचारियों को निगम के अधीन एक संयुक्त स्थापना में लाने की समस्या से इन मांगों की कोई संगति नहीं थी। फिर भी निगम के अध्यक्ष ने फेडरेशन से वायदा किया कि आंकड़े मिलने पर, वह फेडरेशन से ऐसे क्षेत्रीय कर्मचारियों के बारे में जिनको इस वर्गीकरण योजना के कारण नुकसान हुआ हो, बातचीत करेंगे।

फेडरेशन ने और भी कुछ मांगें निगम के सामने रखीं। इनमें से बहुत-सी स्वीकार कर ली गई हैं और कुछ विचाराधीन हैं। मैं उनको बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

वर्गीकरण योजना के अन्तिम रूप से घोषित हो जाने के थोड़े दिन बाद ही फेडरेशन की केन्द्रीय खण्ड की शाखा ने अपने खण्ड के क्षेत्रीय कर्मचारियों को निगम के साथ असहयोग करने को कहा और यह भी कहा कि वह उनकी राय के अनुसार, वर्गीकरण योजना की अनुचित कार्यान्विति, अर्थात्, पारिश्रमिक कम करने तथा सेवा से पद्च्युति से सम्बन्धित मूल मांगों को अस्वीकार करने के विरुद्ध आवाज़ उठायें। यह आन्दोलन १९ जनवरी, १९५८ को जो राष्ट्रीयकरण की दूसरी जन्मतिथि थी प्रारंभ किया गया। फेडरेशन की केन्द्रीय समिति के निर्देशन में यह आन्दोलन १० फरवरी, १९५८ से भारतव्यापी हो गया है।

सरकार राजकीय उपक्रमों के कर्मचारियों की मांगों से उचित साहनुभति रखती है। परन्तु फिर भी यह समझना चाहिये कि हम नये तरीके से काम कर रहे हैं तथा क्षेत्रीय कर्मचारियों की सेवा शर्तों में पुराने समवायों के ज़माने की गड़-बड़ को ठीक करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिये इससे सम्बन्धित आंकड़े उपलब्ध हुए बिना किसी वर्ग की मांगों को स्वीकार करने का वचन देना निगम के लिये संभव नहीं होगा। निगम को व्यापारिक सिद्धान्तों के अनुसार ही आगे बढ़ना है। और इसीलिये उसके कर्मचारियों की सेवा शर्तों तथा पारिश्रमिकों को व्यवसायिक आधारों पर ही निर्धारित किया जायेगा। क्षेत्रीय कर्मचारियों के वर्गीकरण के मामले में यह आवश्यक है कि निगम तथा उसके कर्मचारियों के बीच मत-भेद के प्रश्न बात-चीत से हल किये जायें, सीधी कार्यवाही से नहीं। निगम कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से विशिष्ट मामलों पर चर्चा करने को तैयार है। मैं आशा करता हूं कि कर्मचारी भी निगम के कार्य में सहयोग देने का प्रयत्न करेंगे। मैं समझता हूं कि वह यह समझेंगे उनकी तथा निगम की भलाई इसी में है।

जानकारी का प्रश्न

†**राजा महेन्द्र प्रताप** (मथुरा) : मैं जानना चाहता हूं कि मेरे अल्प सूचना प्रश्न का क्या हुआ जो गाजीपुर के निकट के एक गांव के बारे में था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उसपर विचार किया जा रहा है। पहले मैं उसे गृहीत करूंगा। तब मंत्री स्वीकार करेंगे। समय पर उन्हें बताया जायेगा कि उनको उसका उत्तर दिया जायेगा अथवा नहीं।

†मूल अंग्रेजी में।

सभा का कार्य

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : आपकी अनुमति से, मैं, संसद् कार्य मंत्री की ओर से यह घोषणा करता हूं कि २४ फरवरी से प्रारंभ होने वाले सप्ताह के लिये सभा का कार्य निम्नलिखित होगा :

(१) आज के कार्य का कोई भी बचा हुआ अंश लिया जायेगा।

(२) वाणिज्यिक नौवहन विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपे जाने का प्रस्ताव।

(३) रेलवे आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।

(४) वर्ष १९५६-५७ के लिये संघ लोक सेवा आयोग के सातवें प्रतिवेदन तथा उस पर सरकारी ज्ञापन के सम्बन्ध में चर्चा, जिसका प्रस्ताव सर्वश्री हरिश्चन्द्र माथुर तथा मुनिस्वामी ने रखा है।

(५) रेलवे आय-व्ययक से सम्बन्धित अनुदानों की मांगो पर चर्चा और मतदान।

(६) २८ फरवरी के ५ बजे १९५८-५९ के लिये सामान्य आय-व्ययक की उपस्थापना।

संसद (अनर्हता निवारण विधेयक)

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन की उपस्थापना के लिए समय का बढ़ाया जाना

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिण्डा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संसद (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५७ की संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन की उपस्थापना के लिये निर्धारित समय को अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक बढ़ा दिया जाये।"

मैं इस समय की वृद्धि के कुछ कारण बता देना चाहता हूं। समिति ने अपनी छठी बैठक में यह निर्णय किया था कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त विभिन्न समितियों के नियम, विनियम आदि की जांच की जायेगी। इसके लिये विधि मंत्रालय ने राज्य सरकारों को लिखा हैं। जब उसका उत्तर आ जायेगा तभी कोई निर्णय किया जायेगा। इसलिये समय बढ़ाया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि संसद (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५७ की संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन की उपस्थापना के लिये निर्धारित समय को अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक बढ़ा दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५७-५८

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा में अब अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर विचार होगा। निर्धारित ४ घंटों में से १ घंटा ३८ मिनट समाप्त हो चुके हैं। श्री गायकवाड़ अपना भाषण जारी रखें।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** (नासिक) : श्रीमान्, मैं कल भारत सुरक्षा प्रेस मज़दूर संघ की मांगों पर विवाद के सम्बन्ध में बता रहा था। उनकी एक मांग प्रति सप्ताह काम के घंटों के बारे में थी। वह चाहते थे कि यह ४४ घंटे होने चाहिये। यह एक सरकारी संस्था है। यदि आप अन्य सरकारी प्रेसों को देखें तो आपको जानकारी होगी कलकत्ता, बम्बई, तथा नासिक रोड के सरकारी प्रेसों में काम के घंटे ४४ से अधिक नहीं हैं परन्तु इस सुरक्षा प्रेस में ४८ घंटे रखे गये हैं और इसीलिये शांतिपूर्ण हड़ताल हुई। और अन्त में श्री चव्हाण के द्वारा उनके सभापति श्री खेडगीकर से बात-चीत करने पर हड़ताल समाप्त हुई और काम के घंटे ४४ किये गये। परन्तु जब अन्य मांगों पर सरकारी कर्मचारियों, जिन में वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री बख़्शी, मुख्य लेबर आयुक्त श्री मुकर्जी तथा प्रादेशिक आयुक्त श्री गुप्ता जी से मजदूरों के प्रतिनिधियों से बात-चीत हुई तो अन्य सभी मांगों को स्वीकार करने पर श्री बख़्शी ने कहा कि उनके काम के ४४ घंटे इसी शर्त पर स्वीकार किये गये हैं कि काम में कोई कमी नहीं आयेगी। इस पर श्री खेडगीकर ने बताया कि मुख्य मंत्री से जो समझौता हुआ उसमें कोई शर्त नहीं थी। परन्तु फिर भी उन्होंने कहा कि उनका प्रयत्न यही होगा कि ४४ घंटों में उतना ही कार्य करें। यह कार्यवाही एक सरकारी कर्मचारी द्वारा लिखी गई और जब इसकी एक प्रति श्री खेडगीकर को दी गई तो उन्होंने आपत्ति की कि वह उससे सहमत नहीं थे; और उन्होंने श्री बख़्शी को इस सम्बन्ध में एक पत्र लिखा। मैं यही बता देना चाहता हूं कि जो काम ४८ घंटों में हो सकता है उसको ४४ घंटों में किस प्रकार किया जा सकता है। इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह इस पर उदारता से विचार करें और काम के घंटे ४४ कर दें।

श्री आसर (रत्नागिरि) : अध्यक्ष महोदय, मैंने डिमांड नम्बर २ के विषय में कटौती प्रस्ताव संख्या १३ प्रस्तुत किया है। इस सम्बन्ध में सरकार ने स्पष्ट रूप से बताया है कि उसकी पालिसी हथकरघे के उद्योग को प्रोत्साहन देने और उस काम को बड़े ज़ोर से बढ़ाने की है। इस स्थिति में यह उचित नहीं है कि इस उद्योग को दी जाने वाली सहायता में कमी की जाये। पहले रीबेट (छूट) ९ पैसे दिया जाता है, लेकिन अब उसको छः पैसे कर दिया गया है। इससे इस उद्योग को बहुत चोट लगी है। इसलिये सरकार से यह प्रार्थना है कि अगर उसका उद्देश्य हथकरघे के उद्योग को बढ़ाना है, तो वह ९ पैसे रीबेट देना जारी रखे।

यह भी देखा जाता है कि रीबेट दिये जाने में ढिलाई होती है, जिसके परिणामस्वरूप को-आपरेटिव सोसाइटीज़ और अन्य छोटे-छोटे काम करने वालों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चहता हूं कि जो रीबेट दिया जाता है, वह तुरन्त दिया जाना चाहिये।

पेकिंग में प्रदर्शनी के लिये ४ लाख रुपये का एस्टीमेट किया गया था, परन्तु वह रकम बढ़ कर १६ लाख तक पहुंच गई। मुझे पता नहीं कि इस रकम में इतना डिफ़रेंस होने का क्या कारण है और हमारे एस्टीमेट इतने गलत क्यों होते हैं। ४ लाख का ५ या ६ लाख हो जाये, लेकिन वह बढ़ कर १६ लाख हो जाये, यह कोई उचित बात नहीं है। पेकिंग में सिर्फ़ ८ लाख रुपये के माल की बिक्री हुई। इसका तात्पर्य यह है कि हमको इस मामले में बड़ा घाटा उठाना पड़ा। मेरे विचार में इस प्रकार की योजनाओं का एस्टीमेट अच्छी तरह से करना चाहिये।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : किस चीज़ का एस्टीमेट आप कह रहे हैं ?

श्री आसर : पेकिंग में मिनिस्ट्री आफ़ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री की ओर से जो प्रदर्शनी हुई उसका।

---

†मूल अंग्रेजी में।

हमारे देश में जो फ़ोरेन डिगनेटरीज़ आते हैं, उनके स्वागत-सत्कार इत्यादि के सम्बन्ध में २३ लाख रुपये का खर्चा बताया गया है । यह तो उचित है कि भारतीय परम्परा के अनुसार इन लोगों का यहां पर आदर-सम्मान किया जाये । परन्तु इसके बावजूद इस बारे में २३ लाख रुपये का खर्चा करना वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए ठीक नहीं लगता है । आज हमें बहुत-सी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और हम जनता से अपील करते हैं कि वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिये त्याग करे । लेकिन हम स्वयं अपने खर्चे में कटौती नहीं करते हैं । हमारा खर्चा बढ़ रहा है, इस तरफ़ हमको पूरी तरह से ध्यान देना चाहिये । जो खर्चा निश्चित किया गया है, उससे ज्यादा नहीं करना चाहिये और ऐक्सेस डिमांड्ज़ नहीं मांगनी चाहिये ।

इसके बाद मैं अनाज की स्थिति के विषय में कुछ शब्द कहना चाहता हूं । आज अनाज की स्थिति ऐसी है कि अन्धा बांटे और कुत्ता खाये । आज सब जगह अनाज पर कंट्रोल करने का परिणाम यह होता है कि लोगों को उसके लिये लम्बी-लम्बी कतारों में घँटों खड़ा रहना पड़ता है और उनको बड़ी परेशानी होती है । कुछ दिन पहले आन्ध्र के कृषि मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हमारे देश का हज़ारों टन अनाज पाकिस्तान चला जाता है । पिछले सैशन में मैंने एक प्रश्न पूछा था कि १९४७-४८ में काश्मीर में अनाज की क्या डिमांड थी और वहां पर अब इतना ज्यादा अनाज क्यों भेजा जाता है । मैं समझता हूं कि जो अनाज हम वहां भेजते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी मात्रा पाकिस्तान चली जाती है । अगर हम अनाज का इस प्रकार पाकिस्तान में जाना नहीं रोक सकते हैं, तो फिर हम चाहे कितना ही प्रयत्न करें खाद्य स्थिति में परिवर्तन नहीं होने वाला है । सेंट्रल गवर्नमेंट को गैर-कानूनी और बेकायदा तौर पर इस तरह अनाज देश से बाहर न जाने देने के सम्बन्ध में कार्यवाही करनी चाहिये ।

पोस्ट एण्ड टैलिग्राफ़ विभाग के कर्मचारियों को ५ रुपये इन्टेरिम रिलीफ़ दिया गया है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह बहुत कम है । आज सब जगह अनाज और दूसरी आवश्यक चीज़ों के भाव बढ़ रहे हैं । इस परिस्थिति में अगर हम उनको सिर्फ़ पांच रुपया दे कर प्रसन्न करने का प्रयत्न करें, तो यह ठीक नहीं है । वे लोग चौबीस घंटे काम करते हैं, इसलिये अगर हम उनको अच्छी तरह से पेमेंट न करें या उनको सुविधायें न दें, तो काम में गड़-बड़ हो सकती है । इसलिये इस इन्टेरिम रिलीफ़ को बढ़ाना आवश्यक है । कुछ व्यक्तियों को दो रुपये भी इन्टेरिम रिलीफ़ दिया गया है । वह बहुत कम है । मेरी समझ में नहीं आता कि पांच और २ का यह डिफ़रेंस क्यों किया गया है । सब लोग वहां पर काम करते हैं, इसलिये यह फ़र्क रखना ठीक नहीं है । जिन लोगों को दो रुपये दिये गये हैं, उनको भी पांच रुपये दिये जाने चाहिये ।

निर्वासित भाइयों के बारे में सरकार ने एक नई नीति निर्धारित की है, जोकि देखने में तो ठीक ही लगती है । सबको लगता है कि सरकार ने उन लोगों को बड़ी सुविधायें दी हैं । सरकार ने इन लोगों को रहने के मकानों का मालिक बनाने के लिये एक योजना बनाई है और मकानों की प्राइस निश्चित कर दी है । सरकार ने इस बारे में स्पष्ट कहा है कि वह नो प्राफ़िट नो लास के सिद्धान्त पर चल रही है । लेकिन जो प्राइस निश्चित की गई है, उसको देखने से पता चलता है कि सरकार इसमें कुछ न कुछ ज्यादा पैसा ले रही है । थोड़े दिन पहले मैं चैम्बूर गया था । वहां मुझे पता लगा कि जहां पहले डिफ़ेंस की कालोनी थी और कैम्प था, वहां पर तीन-तीन हज़ार रुपया कीमत निश्चित कर दी है । यह भी शर्त है कि २० प्रतिशत कीमत पहले ही देना आवश्यक है और जो किराया बैलेंस रहा है, उसमें से २० प्रतिशत रकम भी एक दम देना आवश्यक है । यह व्यवस्था उचित नहीं प्रतीत होती है । उन लोगों के पास पैसा नहीं है । हम लोग निर्वासित भाइयों को मकान देने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन इतनी कीमत देने के लिये उनके पास पैसा नहीं है । आज उन लोगों को बड़ी परेशानी का

[श्री आसर]

सामना करना पड़ रहा है। उनको इस बात की बड़ी चिन्ता है कि आजकल या एक महीने में हमें यह घर छोड़ना पड़ेगा, तब हम कहां जायेंगे।

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : आप क्लेमेंट्स का जिक्र कर रहे हैं या नान-क्लेमेंट्स का ?

श्री आसर : नान-क्लेमेंट्स का।

श्री मेहरचन्द खन्ना : उन लोगों का, जिनकी पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है ?

श्री आसर : हां। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को इस ओर पूरा ध्यान देना आवश्यक है।

पुनर्वास मंत्री वहां गये थे और वहां के लोगों ने अपनी कठिनाइयां उनको बताई थीं। वहां जो नई डबल फ्लोर की इमारतें बनाई गई हैं, वहां रास्ते पर इलैक्ट्रिक लाइट है, वरांडे में लाइट है, लेकिन जहां वे रहते हैं, वहां लाइट नहीं है। इस कारण उनको बत्ती जला कर गुज़ारा करना पड़ता है। जब हम वहां पर इलैक्ट्रिक लाइट पर इतना खर्च करते हैं, तो अगर हम उन लोगों को भी इलैक्ट्रिक लाइट न दें, तो यह बात ठीक नहीं है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो इमारतें बनी हैं उनकी पैरापिट वाल बहुत ही कम ऊंची है और कम से कम चार पांच बच्चे उनसे गिर कर मर चुके हैं। इतना होने पर भी हमारे मंत्री महोदय का ध्यान उस तरफ नहीं गया है। उन लोगों ने मंत्री महोदय को मिल कर उनसे प्रार्थना की थी कि इसको ऊंचा कर दिया जाये और मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था कि अगर एक लाख के अन्दर एस्टीमेट हुआ, तो इसको ऊंचा करवाने का प्रयत्न किया जायेगा। लेकिन अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अब जबकि चार पांच एक्सिडेंट हो चुके हैं मैं आशा करता हूं मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे और उन लोगों की कठिनाई को दूर करने का प्रयत्न करेंगे।

अब मैं टेलिग्राफ आफिस के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। कुछ दिन पहले मैंने एक प्रश्न किया था और पूछा था कि कितने परसेंट इन आफिसिस में काम होता है। मुझे बताया गया था कि ९९ परसेंट काम होता है। मैं स्वयं रत्नागिरि और कोलाबा डिस्ट्रिक्ट्स में घूमा हूं और मैंने उन लोगों की कठिनाइयां को देखा है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि वहां ५० परसेंट भी काम नहीं होता है। कई बार तार टूट जाते हैं और काम बन्द हो जाता है। मैं समझता हूं जो उत्तर हमको दिया गया है कि ९९ परसेंट काम होता है, वह उत्तर वहां के पोस्ट आफिस ने या पोस्ट मास्टर ने सरकार को भेजा है। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियेंस से आपको बतलाता हूं कि परिस्थिति अच्छी नहीं है, वहां पर काम हमेशा नहीं होता, पोस्ट आफिस में काम ठीक नहीं होता। हमेशा तारें टूटने की बात होती रहती है जिसके कारण वहां के व्यापारियों को तथा आम लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि हमारे मंत्री महोदय इस ओर विशेष तौर से ध्यान दें।

अब मैं नेशनल हाइवेस (राष्ट्रीय राजपथ) के बारे में कहना चाहता हूं। बम्बई से एक हाईवेज़ गोआ को जाता है। मैं समझता हूं कि यह रास्ता तकरीबन ३०० मील का है। इस हाइवे के काम को शुरू हुए करीब-करीब-साढ़े तीन वर्ष हो चुके हैं। इन साढ़े तीन वर्षों में करीब-करीब पचास

मील का रास्ता ही पूरा हुआ है। अगर इस तौर से काम होता रहा तो इस सारे काम को पूरा करने में अधिक नहीं तो २५—३० साल लग जायेंगे। साढ़े तीन बरस में केवल पचास मील का रास्ता ही ठीक हो पाया है। यह बात सरकार को शोभा नहीं देती है। मैं चाहता हूं कि इस ओर जल्दी से जल्दी ध्यान दिया जाये।

अब मैं, किस तरह से पी० डब्ल्यू० डी० का काम चलता है, उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मराठी में एक कहावत है "जावईखाता" जिसका अर्थ यह है कि खाते जाओ और आनन्द करते जाओ। पी० डब्ल्यू० डी० पर भी यही कहावत लागू होती है। उनको सभी प्रकार की सुविधायें हैं, रहने के लिये मकान उनके पास हैं, और खाने-पीने के लिये काफी मिल भी जाता है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जून में एक डिविजनल आफिस वहां खोला गया था। आपको मालूम होगा कि रत्नागिरि में मई के आखिर से बारिशें शुरू हो जाती हैं और वहां बहुत ज़ोर की बारिशें होती हैं। इन बारिश के दिनों में कोई काम नहीं होता। इन बारिश के दिनों में इस डिविज़नल आफिस को खोला गया था। नवम्बर महोने तक वे लोग हाथ पर हाथ रख कर बैठ रहे, कुछ भी काम उन्होंने नहीं किया। इसके साथ ही साथ जो लोन सैंट्रल गवर्नमेंट से मिलना था वह नहीं मिला। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब तक पैसा न मिले काम केसे हो सकता है और हम इसी तरह से बैठे रहने के सिवाय और क्या कर सकते हैं। मैंने एक प्रश्न पूछा था कि क्या सरकार उसको मदद देगी, तो मुझे जवाब दिया गया कि मदद दी गई है और हाल ही में दी गई है। अगर आप समय पर मदद नहीं दे सकते हैं तो फिजूल खर्च करने की आवश्यकता क्या है। आज यह कहा जाता है कि हमारी आर्थिक परिस्थिति बहुत गम्भीर है और हमें खर्चे में कमी करनी चाहिये और दूसरी तरफ इस तरह का फिजूल खर्च किया जाता है। मैं चाहता हूं कि इस ओर भी मंत्री महोदय का ध्यान जाना चाहियें।

अन्त में मैं एस्टीमेट्स के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि जितना हमको खर्चा करना होता है इसका ही एस्टीमेट किया जाता लेकिन ज्यादा खर्च कर दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि सरकार देखे कि जितना एस्टीमेट लगाया जाता है उसी में खर्चा पूरा हो और अधिक रुपया मांगने की आवश्यकता न पड़े। अगर इस तरह से आप डिमांड्स पेश करते रहे तो आपकी जो डिमांड है वह बढ़ती जायेगी और यह ठीक नहीं होगा। इसलिये इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

†**श्री नाथ पाई (राजापुर)** : प्रारंभ में, मैं मांग संख्या ३२ पर कटौती प्रस्ताव संख्या ३ के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। मेरा विचार है कि यदि सरकार चाहती तो नासिक सुरक्षा प्रेस की हड़ताल को रोका जा सकता था। कर्मचारियों ने अपनी मांग में मंत्री महोदय को स्पष्ट रूप से बता दिया था कि यदि उनकी मांगे न्यायनिर्णय के लिये सौंप दी गई तो वह हड़ताल नहीं करेंगे। परन्तु ऐसा नहीं किया गया और हड़ताल हुई जबकि कर्मचारी हड़ताल करना नहीं चाहते थे। उनकी मांग भी उचित थी कि उनके काम के घंटे घटा कर ४८ से ४४ कर दिये जायें क्योंकि अन्य सरकारी प्रेसों में काम के यही घंटे हैं।

अब मैं आपको बताता हूं कि यह मांग स्वीकार क्यों नहीं की गई। इसका केवल एक कारण था और वह यह था कि यह मांग एक ऐसे संघ ने उठाई थी और हड़ताल का संचालन एक ऐसी संस्था कर रही थी जो आई० एन० टी० यू० सी० से सम्बंधित नहीं थी। अन्त में यह हड़ताल ३० दिन के पश्चात् समाप्त हुई। और कर्मचारियों ने जितनी शांति इस हड़ताल में रखी वैसी भारत की किसी भी हड़ताल में आज तक देखने में नहीं आई है। प्रधान मंत्री तथा श्रम मंत्री से मिलने के लिये प्रतिनिधि आये और

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री नाथ पाई]
उचित मांग को स्वीकार कल लिया गया। सरकार द्वारा श्रम के सम्बन्ध में बरती गई नीति का यह एक उदाहरण है। बोकारो की हड़ताल की भी यही हालत हुई।

अब मैं डाक तथा तार के कर्मचारियों को दी गई अन्तरिम सहायता के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सभा में जब इसकी घोषणा की गई तो हम संसद सदस्यों तथा कर्मचारियों को इससे बड़ा ही खेद हुआ क्योंकि हम सब यह समझते थे सरकार समाजवाद की ओर जा रही है इसलिये अधिक सहायता देगी। परन्तु इस ५ रुपये तथा विभागातरिक्त कर्मचारियों को २ रुपये मंजूर करने से हमें बड़ा खेद हुआ। पुराने वेतन आयोग की सिफारिशों को देखने पर पता लगता है कि उनका विचार इतनी मंहगाई में १० रुपये बढ़ाने का था। परन्तु सरकार ने इस सिफारिश को नहीं माना और पांच माह तक प्रतीक्षा कराने के पश्चात् ५ रुपये दिये। हाल ही में हमने उच्चपदासीन पदाधिकारियों की यहां बढ़ी प्रशंसा सुनी परन्तु बचारे तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये जो सदा पिसते रहते हैं एक शब्द भी सांत्वना का कभी नहीं कहा जाता है। बल्कि 'भूखाडाकिया' बिल्ला लगाने पर उनको अपराधी घोषित किया जा सकता है। ऐसा आदेश तार भांडार के मुख्य नियंत्रक ने निकाल दिया। सार्वजनिक सभाओं में भाग लेना आपत्तिजनक पोस्टर लगाना भी अपराध बना दिया गया। इन सबके पश्चात् मंत्री से मिलने जाना भी अपराध घोषित कर दिया गया। उनके साथ न्याय करने के बजाये इस प्रकार उनको धमकियां दी गई।

योजना आयोग ने प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में सरकार के लिये दो सिद्धान्त बनाये थे। एक यह था कि जहां मजूरी की वर्तमान दरें बहुत कम हों वहां गड़-बड़ को दूर किया जाये तथा दूसरे उत्पादन क्षमता बढ़ा कर युद्धपूर्व की वास्तविक मजूरी लागू करे। आप राष्ट्रीय आय को देखिये। यदि हम १९४८-४९ को आधार मानें तो पता लगता है कि आय में ११०·२ वृद्धि हुई जिसका अर्थ हुआ १०·२ प्रतिशत बढ़ोतरी हुई। परन्तु कर्मचारियों को इस बढ़ोत्तरी से क्या लाभ हुआ, कुछ नहीं। केवल धमकियां और डर उनके पल्ले पड़े और प्रथम योजना के उन दोनों सिद्धान्तों को भुला दिया गया।

स्थिति यहां तक बिगड़ी कि हमें मजूरी भुगतान अधिनियम की सहायता लेनी पड़ी। परन्तु उस पर हमें उत्तर मिला कि यदि उनका देय उन्हें दिया गया तो मुद्रास्फीति का भय है। सर्वदा यही उत्तर हमें दिया जाता है। बड़ी ही अजीब सी बात है कि यदि एक कर्मचारी को ७½ रुपये दे दिये जायेंगे तो उससे मुद्रास्फीति हो जायेगी। बड़ी भयानक स्थिति है कि अपना भाग मांगने पर भी डर दिखाया जाये और जब उच्चतम न्यायालय तक आवाज़ पहुंचाने की धमकी दी जाये तो आशा दिला कर पांच माह तक प्रतीक्षा कराई जाये और केवल तुच्छ-सी राशि पांच रुपये दी जाये।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : श्रीमान, अध्यक्ष महोदय, वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से सम्बन्धित कुछ मामलों की यहां आलोचना की गई है। मैं उन्हीं का उत्तर देना चाहता हूं।

उनमें से एक मामला प्रतिष्ठित विदेशी व्यक्तियों के भारत आने के सम्बन्ध में हैं। इन मामलों के बारे में कहना बड़ा कठिन है, खास तौर पर यह कहना कि कोई व्यक्ति प्रतिष्ठित व्यक्तियों के यहां भारत आने को महत्व देता है अथवा नहीं। यदि वह आते हैं तो हमें उनके साथ एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करना ही होता है। वास्तव में इस वर्ष के आंकड़े अधिकांशतः पिछले वर्ष के आंकड़े ही हैं। यह केवल इस वर्ष के लेखे में समायोजित किये जा रहे हैं।

मैं कुछ आंकड़े आपको बताता हूं। गत वर्ष से पिछले वर्ष बुद्ध जयन्ती हुई थी जिसमें दलाई लामा तथा पंचेन लामा भारत आये थे। मेरे विचार से उन पर सबसे अधिक धन व्यय हुआ था।

†मूल अंग्रेजी में।

उसके पश्चात् इथियोपिया के सम्राट तथा चीन के प्रधान मंत्री यहां आये। इन चार-पांच व्यक्तियों के आगमन पर किये गये व्यय की रकम कुल रकम का पर्याप्त बड़ा भाग है।

प्रतिष्ठित लोगों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति भी यहां आये। प्रत्येक व्यक्ति पर तो इतना अधिक व्यय नहीं किया जाता किन्तु आने वालों की संख्या ही अधिक है। जब कोई मंत्री इत्यादि हमारे अतिथि होते हैं तो उनका कुछ सत्कार किया ही जाता है। सारा खर्च मिल मिलाकर ज्यादा हो जाता है।

इन अतिथियों की संख्या देखते हुए जो हमारे हां आये, हमें यह व्यय ज्यादा प्रतीत नहीं होता। इसके अतिरिक्त व्यय भी तो दो वर्ष का है। मैं सभा को विश्वस्त रूप से बताता हूं कि हम दौरों का प्रोत्साहन नहीं करते। दो तीन वर्ष पहले जो भी बात रही हो पर अब हम यह नहीं करते। किन्तु जब प्रतिष्ठित लोग स्वयं आना चाहें तो बात दूसरी है। हम उनकी मैत्री को महत्वपूर्ण समझते हैं और हमारी सदैव यह इच्छा रहती है कि उनसे सम्बन्ध बढ़ाये जायें। संभवतया श्री नाशीर भरूचा ने बताया कि अफगानिस्तान के सम्राट के आगमन पर नागरिक स्वागत समारोह में क्या हुआ। इस स्वागत के आयोजन का उत्तरदायित्व नगरपालिका पर होता है। केन्द्रीय सरकार या वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का उससे कोई भी सम्बन्ध नहीं है। दूसरी कठिनाई यह है कि जब संसद् सदस्यों को बुलाया जाता है तो उनमें से बहुत कम यह उत्तर देने का कष्ट करते हैं कि वे आयेंगे या नहीं। उसका परिणाम यह होता है कि बाद में असुविधा होती है। और कुर्सियों वगैरा का इन्तज़ाम ठीक नहीं हो पाता। मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान सम्राट के आगमन पर बहुत-से लोग योहीं घुस आये थे। मेरा आशय संसद् सदस्यों से नहीं है। उन बिना बुलाये लोगों ने आकर वे स्थान रोक लिये जो आमंत्रित अतिथियों के लिये थे। वास्तविक कठिनाई यह है कि जब तक नगरपालिका को यह पता नहीं चलता कि आमंत्रित व्यक्ति आयेंगे या नहीं तब तक इन जगहों को रोके रखना मुश्किल होता है।

नेपाल के शिष्ठ मंडल के बारे में भी कुछ कहा गया। यह बहुत-से दलों का एक मिश्रित-सा शिष्ठ मंडल था। गत वर्ष भी यहां एक ऐसा ही शिष्ट मंडल आया था और ये शिष्ट मंडल नेपाल सरकार की अनुमति से ही आते हैं। हम इस मामले में नेपाल सम्राट तथा सरकार की अनुमति के विरुद्ध काम नहीं कर सकते। इस वर्ष भी महामहिम सम्राट को इसकी सूचना दी गई। उन्हें इसकी जानकारी थी। यह हमारे लिये बहुत ही अनुचित होगा यदि हम वहां की सरकार की जानकारी के बिना वहां से शिष्ट मंडलों को यहां बुलायें। यह नहीं हो सकता और न ही हम भारत के बारे में यह सब बातें पसंद कर सकते हैं।

मैं समझता हूं कि इस मामले में जो गत वर्ष हुआ उसे आदर्श के रूप में मान लिया गया और ऐसा ही शायद फिर हुआ हो। यद्यपि सम्राट को इस मामले की सूचना पहले दे दी गई थी किन्तु मैं समझता हूं कि आरंभ में उन्हें कोई औपचारिक सूचना नहीं दी गई। यह संभवतः बाद में ही दी गई। इसके लिये मुझे खेद है क्योंकि मेरा विचार है कि यह चीज़ औपचारिक नीति से ही होनी चाहिये थी।

एक माननीय सदस्य ने उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण के बारे में कहा कि वहां अनाज को सस्ते दामों पर बेचने के लिये सहायता देने पर इतनी रकम व्यय की गई तथा पुलिस पर उससे कहीं ज्यादा रुपया खर्च किया गया। अब मैं क्या कह सकता हूं। पुलिस तथा सेना पर तो बहुत सारा व्यय होता ही है। हम खाद्यान्नों के लिये सहायता देते ही हैं। यदि हम इस पर भी उतना ही खर्च करें जितना सेना आदि पर करते हैं तो यह ख़र्च बहुत अधिक बढ़ जायेगा।

हमने सीमान्त अभिकरण में खाद्यान्नों के दाम सस्ते करने के लिये सहायता देने में लाखों रुपये खर्च किये हैं। पुलिस तथा सेना जो वहां काम करती है वह हमें अवश्य ही मंहगी पड़ती है।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

अब हम वहां ग्राम रक्षा दल को प्रोत्सहान दे रहे हैं—विशेषकर नये नागा और तुएनसांग डिवीजन में ऐसा किया जा रहा है ताकि स्थानीय लोग ही रक्षा कार्य करें। ये लोग पुलिस वाले नहीं हैं, बल्कि ये रचनात्मक कामों के अतिरिक्त रक्षा का कार्य भी करते रहेंगे।

†**श्री वें० प० नायर** (क्विलोन) : खाद्य मंत्रालय की मांगों के बारे में मैं श्री तंगामणि के कटौती प्रस्ताव संख्या ४१ की ओर सभा का ध्यान अकर्षित कराना चाहता हूं। उसमें कहा गया है कि केरल तथा मद्रास में चावल का पर्याप्त संभरण नहीं हो सका।

सरकार ने कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में अनाज के संभरण का उत्तरदायित्व ले रखा है। केरल राज्य की आबादी भी इन तीनों नगरों के बराबर होगी। यदि सरकार केरल को सहायता दे तो वह काम उससे ज्यादा आसान होगा।

श्रीमान्, आप जानते ही हैं कि केरल में ५० प्रतिशत खाद्यान्नों का अभाव हैं। इसका यह अभिप्राय नहीं कि केरल के कृषक निकम्मे हैं बल्कि वास्तविक कारण तो यह है कि नकद फसलें वहां पैदा की जा रही हैं।

श्रीमान्, वहां पर रबड़, काली मिर्च, तथा जिंजर इत्यादि वस्तुओं का उत्पादन होता है जोकि हमारे देश को बहुत लाभदायक हैं। वहां से हम कितनी विदेशी मुद्रा का अर्जन कर सकते हैं।

वैसे तो वहां रबड़ की बजाये चावल भी पैदा किया जा सकता है किन्तु इससे देश को हानि होगी। पंचवर्षीय योजना में भी केरल को उपयुक्त भाग नहीं मिला है। अभी तक वहां बेकारी है और सब से ज्यादा बेकारी है।

नवयुवक खाद्य मंत्री ने तो प्राय केरल के खाद्य मंत्री की बातों को स्वीकार नहीं किया है किन्तु श्रीमान् तथ्य तो यह है कि इस सहायता का विशेष हक तो केरल को है। अब सरकार ने कहा है कि केरल सरकार खुले बाजार से ही खरीद ले। श्रीमान्, वहां तो सहायता प्राप्त वस्तुओं से कहीं अधिक धन हम को देना होगा। बाजारों में तो गैर-सरकारी व्यापारियों का प्रभुत्व है। ये सट्टेबाज व्यापारी उसी समय तो अपने घर भर लेते हैं जबकि लोग भूखे मरने लगते हैं। इस बात को आप बिल्कुल भी रोक नहीं सकते।

दूसरे हमारे यहां गेहूं भी नहीं खाया जा सकता? अतः केरल को खाद्य सहायता देने के बारे में भारत सरकार को अधिकाधिक विचार करना चाहिये। केरल के पास धन भी तो नहीं है। सरकार को चावल कम मूल्यों पर हमें भेजना चाहिये। हमारी इच्छा है कि सरकार इस मामले में अधिक सहानुभूति से काम ले।

इसके पश्चात मैं दंडकारण्य योजना के बारे में कहना चाहता हूं। हमें यह देखना चाहिये कि सरकार इस पर १० करोड़ रुपया लगायेगी। यह ठीक है किन्तु पहले यह तो देख लो कि क्या यह ठीक है कि पहली इसी प्रकार की समस्त योजनायें सफल रही हैं या नहीं। हमें गलतियां दोहरानी नहीं चाहिये। क्या फरीदाबाद की योजना सफल रही है?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : मैं इस समय तो हस्तक्षेप नहीं करना चाहता किन्तु माननीय सदस्य ने फरीदाबाद के सम्बन्ध में बहुत से प्रश्न दिये हैं मुझे उनकी प्रतियां अभी-अभी मिली हैं। उनका कटौती प्रस्ताव भी दंडकारण्य योजना के बारे में है। उनके उत्तरों के पश्चात् ही उनका कुछ कहना ठीक रहेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री वें० प० नायर :** मैं सामान्य बातों का उल्लेख कर रहा हूं। वैसे मेरे नाम में तो केवल एक कटौती प्रस्ताव है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** जब दंडकारण्य योजना के बारे में आपका कटौती प्रस्ताव है तो फिर इतनी आज्ञा कैसे दी जा सकती है ।

†**श्री वें० प० नायर :** मैं तो यह कह रहा हूं कि योजना आरंभ करने से पूर्व हमें पहली योजनाओं से शिक्षा ले लेनी चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह योजना गत बजट के समय की है । यह तो अनुपूरक मांग है अतः इसके सम्बन्ध में अब बात-चीत नहीं हो सकती ।

†**श्री वें० प० नायर :** श्रीमान्, यह बात नहीं कि मैं दंडकारण्य योजना का विरोध कर रहा हूं बल्कि मैं तो यह कहना चाहता हूं कि क्या हम पहली बातों से शिक्षा न लें ?

मैं केवल यही चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस बात पर विचार करें कि क्या वे सब कुछ ही ठीक कर रहे हैं या नहीं ।

उन उद्योगों के सलाहकारों के बारे में क्या हुआ । सरकार ने सात या आठ उद्योगों को आरंभ किया है और उन पर सरकारी धन भी व्यय किया जा रहा है ? वास्तव में सब बातें गलत ढंग से की जाती हैं ।

पुनर्वास मंत्रालय के औद्योगिक सलाहकार भी तो एक भूतपूर्व राजनयक कर्मचारी हैं। चाहे कोई किसी काम को जाने या न जाने उसे वहां लगा दिया जाता है ।

†**श्री मेहरचन्द खन्ना :** हमारे पदाधिकारियों के प्रति इस प्रकार कहना अनुचित है । माननीय सदस्य को जानना चाहिये कि मैं सारे आदेश देता हूं और सबका उत्तरदायित्व लेता हूं । माननीय सदस्य कहते हैं कि पदाधिकारी मेरी अनुपस्थिति का लाभ उठाते हैं । मुझे इस पर आपत्ति है ।

†**श्री वें० प० नायर :** मुझे क्या पता कि उन्हें सब पता है या नहीं । तीन-चार वर्षों में फरीदाबाद में क्या हुआ ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य दंडकारण्य के बारे में ही कहें ।

†**श्री वें० प० नायर :** मैं तो यही कहूंगा कि सरकार अब सावधानी से काम करे । वह गलतियां न दुहराये जो पहले की जा चुकी हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस समय मैं एक बात कहना चाहता हूं । किसी योजना की वांछनीयता पर चर्चा की अनुमति तभी दी जा सकती है जबकि योजना नये सिरे से ही सभा के समक्ष आये । मांग संख्या १२५, पृष्ठ ६९ पर मैं यह देख रहा हूं कि यह रकम नई सेवा के लिये है । मुझे यही धारणा थी कि यह पुरानी योजना है । नयी मदों पर सारी चर्चा की आज्ञा दूंगा अगस्त, १९४७ से पूर्व इन पर पूरी चर्चा होती थी । उसके पश्चात् मैंने सुझाव दिया था कि इन चीजों के ज्ञापन रखे जाने चाहियें ताकि सदस्यों को इनकी वांछनीयता का पता लग सके । नयी योजनाओं पर सदस्यों को अवसर देना पड़ेगा । खैर अब इस सम्बन्ध में बजट के समय मैं चर्चा का पूरा अवसर दूंगा । अब समय कम है ।

†**श्री वें० प० नायर :** जैसे श्रीमान् की इच्छा । मैं बाद में बोल लूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मेरा सुझाव है कि इन योजनाओं आदि पर प्राक्कलन समिति भी विचार करे ।

श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : अध्यक्ष महोदय, पूरक अनुदानों की मांगों पर मैंने दो कटौती प्रस्ताव रखे हैं । एक का सम्बन्ध विदेशी मेहमानों के दिल्ली में आने पर जो अधिक व्यय होता है उससे है ।

अभी प्रधान मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में जो भी स्पष्टीकरण दिया उससे कम से कम मेरा संतोष नहीं हुआ । यह कटौती प्रस्ताव रखा गया है केवल इसलिये नहीं कि इसका उद्देश्य बढ़े हुए ख़र्चे की ओर सरकार का ध्यान दिलाना है । जो भी उसके बारे में कहा गया है उससे इस प्रकार के स्वागत सत्कारों की व्यवस्था किस ढंग से की जानी चाहिये उसके सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं मिला है । केवल अफ़गानिस्तान के शाह के आगमन के अवसर पर ही नहीं अपितु जब ईरान के शाह आये थे उस समय भी लाल किले के समारोह में बड़ी अव्यवस्था और अनुशासनहीनता रही और केवल यह कह देने मात्र से कि लाल किले के समारोह का आयोजन दिल्ली की नगरपालिका करती है, केन्द्रीय सरकार उसके उत्तरदायित्व से बच नहीं सकती । दिल्ली की नगरपालिका भी समारोह करने के लिये केन्द्र से अनुदान मांगती है और सरकार पार्लियामेंट से उसकी मांग प्रस्तुत करती है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह आवश्यक है कि दिल्ली की नगरपालिका प्रत्येक विदेशी मेहमान का मान-पत्र भेंट करके ही स्वागत करें ? जब भी कोई मेहमान आते हैं, हम उनका स्वागत करें यह स्वाभाविक है । अतिथि सत्कार की हमारी पुरानी परम्परा है ।

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : स्वाभाविक ही नहीं बल्कि आवश्यक भी है ।

श्री वाजपेयी : आवश्यकता से स्वभाव अधिक बलवान होता है । जो स्वाभाविक चीज़ होती है वह स्वभाव वश अपने आप अन्दर से आ जाती है और प्रकट हो जाती है जबकि आवश्यकता में एक बाहर से लाने की भावना प्रकट होती है । अपने मेहमानों का स्वागत करना यह हम भारतीयों के स्वभाव में है.........

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : आप उसको अपोज़ कर रहे हैं ।

†**श्री वाजपेयी :** मैं उसको अपोज़ नहीं कर रहा हूं, शर्मा जी । ज़रा ध्यान से सुनिये । मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि स्वागत का हमारा एक स्तर होना चाहिये जो हमारी आज की स्थिति और पुरानी परम्पराओं के अनुकूल हो । दिल्ली नगरपालिका मानपत्र भेंट करे और उसी से स्वागत हो, या दिल्ली दरवाज़े पर बिजलियां जगमगा कर और आसफ़ अली पार्क के एक-एक पत्ते पर एक-एक लट्टू लगा कर अगर हम समझते हैं कि स्वागत सत्कार का हमारा कर्त्तव्य पूरा हो गया तो यह ठीक नहीं है और मैं उसे स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं । आज का हमारा स्वागत भी पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिये हम देश में त्याग और बलिदान का जो वातावरण उत्पन्न करना चाहते हैं, उसके अनुकूल होना चाहिये । अगर उससे शान और शौक़त टपकती है और अगर आम आदमी को ऐसा अनुभव होता है कि इन स्वागतों के बिना भी हम अपने अतिथि के प्रति प्रेम प्रकट कर सकते थे तो मैं समझता हूं कि इन स्वागतों के ढांचे में और उसके तौर तरीक़े में कुछ परिवर्त्तन होना चाहिये ।

अभी राष्ट्रपति हो० आये थे । उनको बिठाने के लिये लाल क़िले में सोने चांदी से मढ़ी हुई कुर्सी रख दी गई । डा० हो० ने उस कुर्सी पर न बैठ कर अपना सम्मान बहुत बढ़ा लिया और इसके लिये सभी

†मूल अंग्रेजी में ।

ने उनकी सराहना की। वह तो उस कुर्सी पर नहीं बैठे। लेकिन जहां उनका सम्मान बढ़ गया वहां जिन लोगों ने उनके बैठने के लिये सोने और चांदी की कुर्सी रखी थी, उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। क्या यह आवश्यक है कि निर्धन देश विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिये उसी शान व शौक़त का तरीका अपनाये जो कभी नई दिल्ली में खास स्थिति में अपनाये जाते रहे हैं। इतिहास बदल गया है। राज्य-तंत्र का स्थान लोकतंत्र ने ले लिया है, मगर यह तौर-तरीका अभी वही बना हुआ है। विदेशी मेहमानों का स्वागत सरलता से होना चाहिये, सादगी से होना चाहिये। उनके स्वागतों में अगर देश नवनिर्माण की लड़ाई लड़ रहा है यह झलके, यह प्रकट हो, तो मैं समझता हूं वे अधिक प्रभावित हो कर जायेंगे बजाय इसके कि उनको यह दिखाया जाय कि पेड़ों की पत्तियों पर तो लट्टू लगे हुए हैं, मगर उनकी छाया में जो लोग लेटे हैं उनके पास जाड़े के मौसम में ओढ़ने के लिये भी कपड़े नहीं हैं। अंधेरा गरीबी को छिपाता है इसलिये अंधेरा नई दिल्ली में अच्छा लगता है, और जब कभी विदेशी मेहमान के स्वागत में उस अंधेरे की जगह बिजलियां जगमगाने लगती हैं तो हमारी निर्धनता मानो हमारी ही हंसी उड़ाने लगती है। जो भी स्वागत के तरीके हैं, इस कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य उन तरीकों की ओर सरकार का ध्यान खींचना है।

छोटे-छोटे बच्चे प्रदर्शन के लिये लाये जाते हैं। वे कसरत के खेल दिखायें यह बहुत अच्छा है। मगर इस बार मैंने देखा कि जब डा० हो० यहां आये तो शकूर बस्ती से जो बच्चे लाये गये, उन्हें छः बजे इकट्ठा कर लिया गया था और ६ बजे प्रदर्शन किया जाना था। उन बच्चों को पानी पिलाने और जलपान की भी व्यवस्था नहीं की गई। शारीरिक प्रदर्शन हों लेकिन उनके साथ असुविधायें नहीं होनी चाहियें। और जो हमारे साधन की सीमायें हैं उनके अनुसार इस प्रकार के आयोजन किये जाने चाहियें। पालियामेंट के मेम्बर अगर अपने भाषण की एक प्रति और मांगें तो उनसे कहा जाता है कि सरकार खर्चे में कमी कर रही है। लेकिन मैंने देखा कि दिल्ली के लाल किले में जो मान-पत्र भेंट किये जाते हैं उन सैंकड़ों मान पत्रों के बंडल के बंडल लाल किले के पास जामा मस्जिद में जो रद्दी की दूकानें हैं उनमें भरे हैं। वे रद्दी में बेचे जाते हैं। स्पष्ट है कि हम इसमें बचत कर सकते हैं।

श्री मेहरचन्द खन्ना : आप जामा मस्जिद में क्या कर रहे थे?

श्री वाजपेयी : जो जामा मस्जिद देश में है, मैं उसमें भी जा सकता हूं।

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : अच्छी बात है।

श्री वाजपेयी : यह तो ठीक है कि हम इस प्रकार के विदेशी सम्पर्क स्थापित करें और जो भी मेहमान आते हैं उनका हृदय से स्वागत करें, लेकिन हृदय का प्रेम प्रकट करने के लिये बहुत बड़ा खर्चा किया जाय यह आवश्यक नहीं है। मैं समझता हूं कि सरकार को इस सम्बन्ध में विस्तृत रूप से विचार करना चाहिये और अपने साधनों, क्षमता और देश के नवनिर्माण की आवश्यकता को ध्यान में रख कर इन स्वागत समारोहों में किस प्रकार का परिवर्तन या संशोधन किया जा सकता है इसका विचार करना चाहिये।

एक और बात की तरफ मैंने अपने कटौती प्रस्ताव के द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। वेतन आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार केन्द्रीय कर्मचारियों को ५ रु० की वृद्धि मिली है। यह वृद्धि आज की परिस्थिति को देखते हुए, बढ़ती हुई मंहगाई और बढ़ते हुए टैक्सों के बोझ को देखते हुए, अपर्याप्त है। किन्तु इस प्रश्न का एक पहलू और भी है। केन्द्रीयि कर्मचारियों को तो अन्तरिम सहायता मिल गई, किन्तु जो राज्यों के कर्मचारी हैं उनको अभी तक कुछ नहीं मिला। अनेक नगरों में जहां केन्द्र और राज्य कर्मचारी एक साथ काम करते हैं, जहां चीजों के दाम भी एक हैं, अन्य प्रकार के खर्चे भी

[श्री वाजपेयी]

एक से हैं, वहां राज्य कर्मचारियों को जितना भत्ता मिलता है वह केन्द्रीय कर्मचारियों के बराबर नहीं है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो राज्य कर्मचारियों को कम भत्ता मिलता है। सरकार के पास धन की कमी है इसलिये केवल केन्द्रीय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की जाये और राज्य के कर्मचारियों को उससे वंचित रखा जाये, यह ठीक नहीं है। भेदभाव की दृष्टि से भी और सभी कर्मचारियों में समान रूप से अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा उत्पन्न करने की दृष्टि से भी इस प्रकार का प्रबन्ध किया जाना चाहिये कि जो भी अन्तरिम सहायता मिली है उसको बढ़ाया जाये और राज्य कर्मचारी भी उससे लाभ उठा सकें इसके लिये केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्य सरकारों को जो मदद चाहिये वह मदद दे। अगर हमने एक स्थान पर सहायता कार्य बढ़ाना शुरू कर दिया, मंहगाई भत्ता या अन्तरिम सहायता बढ़ा दी गई तो यह स्वाभाविक है कि दूसरी ओर भी मांग खड़ी हो और राज्यों के कर्मचारी भी ऐसी मांग पर जोर दें। वे कोई गलत कदम न उठायें, ऐसे तत्वों के हाथ में न पड़ जायें जिनमें उन्हें नहीं पड़ना चाहिये, इसलिये यह आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार जो राज्यों के कर्मचारी हैं उनकी मांगों पर भी विचार करें। जब तक वेतन आयोग की पूरी रिपोर्ट नहीं आती तब तक जो भी अन्तरिम सहायता दी गई है उसको किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, इस सम्बन्ध में भी ध्यान दिया जाये।

†**इस्पात, खान तथा ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : श्रीमान् मेरे मंत्रालय के सम्बन्ध में भी दो एक बातें कहीं गई हैं तथा मैं भी उनके सम्बन्ध में कुछ बातें कहूंगा।

बम्बई के प्रतिनिधि श्री नौशीर भरूचा ने कहा है कि सरकारी क्षेत्र में लगाये जाने वाले इस्पात कारखानों के प्राक्कलन क्या हैं। इस मामले पर इस सभा में अनेक बार चर्चा हो चुकी है। गत वर्ष भी व्योरात्मक चर्चा इस सम्बन्ध में हो गई थी। इस पर नवीनतम जानकारी कई बार दी जा चुकी है। यह तो मामला बड़ा लम्बा हो जायेगा कि यदि बार-बार मुझे इसी प्रकार जानकारी देनी पड़े।

जो बात इस सम्बन्ध में सब से अधिक महत्वपूर्ण है वह यह है कि तीनों इस्पात कारखानों की स्थिति तुलनात्मक नहीं है। कई मामलों में टेंडर मांगे गये थे। भिलई तथा दुर्गापुर की मशीनों के बारे में बातचीत से निश्चय किया गया था। इनमें नई चीजें समय-समय पर बढ़ा दी जाती हैं और इन सब बातों के कारण समय-समय पर प्राक्कलन बदलते रहते हैं।

श्रीमान्, जहां तक सिविल कार्य का सम्बन्ध है उसे भी तो कारखाने के बीच में ही करना पड़ता है। रूरकेला तथा भिलई में यह काम टेंडरों के आधार पर किया गया है। उससे जरा यह हो जाता है कि हम अधिक व्यय नहीं कर रहे। अधिक महत्व तो इसी बुनियादी बात का है। इस बात पर हिन्दुस्तान इस्पात (प्राइवेट) लिमिटेड कई बार बातचीत कर चुकी है और ध्यान लगा तार रखा जा रहा है। जैसे ही प्राक्कलन तैयार हो जायेंगे मैं सभा में उन्हें रख दूंगा। संभवतया इस काम में दो महीने लगें।

मैं उनके साथ ही परिवर्तनों की सारी व्याख्या भी दूंगा। इस समय मैं केवल यही कह सकता हूं।

मैं यह नहीं कह सकता कि उनमें परिवर्तन न होगा। अनुमान आखिर अनुमान है आपको वास्तविक आंकड़े देखने चाहियें। वास्तविक महत्व अनुमानों का नहीं है।

मैं भी यह समझता हूं कि हमें यह पता लग जाना चाहिये कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि हम आवश्यकता से अधिक भुगतान नहीं कर रहे हैं।

†मूल अंग्रेजी में।

हां, यह बात ठीक है कि अनुमान भी गलत न हों। वास्तविकता के अत्यधिक निकट हों। किन्तु वास्तव में यह काम ही दूसरे प्रकार का होता है। गत वर्ष भी कई मदों की वृद्धि कर दी गयी थी। इसके प्राकृतिक रूप से मूल अनुमानों में परिवर्तन होगा।

उप-उत्पादों को ठीक ढंग से उपयोग करने के लिये भी यह कई बार आवश्यक हो जाता है कि हम इधर उधर कुछ बातों को बढ़ायें।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : उन पर पहले क्यों विचार न किया गया।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : विचार तो किया गया था किन्तु मूल बजट में उन्हें नहीं रखा गया था। मैं नहीं जानता कि वह क्या तर्क दे रहे हैं। मूल बात तो यह है कि ये परिवर्तन ठीक हैं अथवा नहीं। वह मेरे विरुद्ध क्या तर्क देना चाहते हैं यह मेरी समझ में नहीं आया। इस तरह के तर्क का कोई अंत नहीं। मैं यह बता देना चाहता हूं कि जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड इस ओर ध्यान दे रही है और मैं आरम्भ में ही सभा को इस बारे में बता दूंगा।

दूसरी बात रूरकेला में आये हुए विस्थापित लोगों के सम्बन्ध में मेरे मित्र श्री पाणिग्रही ने उठाई है। उड़ीसा सरकार ने विस्थापित लोगों को प्रतिकर देने और बसाने का पूरा उत्तरदायित्व लिया था।

जहां तक राशि का सम्बन्ध है केन्द्रीय सरकार इस्पात निगम के द्वारा वह राशि उड़ीसा सरकार को देती रही है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

किन्तु प्रतिकर की राशि के निर्धारण और भुगतान और विस्थापित लोगों को बसाने के अत्यंत महत्व-पूर्ण और कठिन कार्य को उड़ीसा सरकार ने भली प्रकार किया है क्योंकि वह स्थानीय स्थिति को भली प्रकार जानती है और इस समस्या को अधिक संतोषजनक ढंग से हल कर सकती है।

राज्य सरकार ने उनके मकानों, ज़मीनों, कुओं आदि के लिये जो क्षतिपूर्ति दी है वह लगभग ७५ लाख रुपये है। उड़ीसा सरकार का झीरपानी और जैलदा में दो पुनर्वास बस्तियां बसाने का विचार है। गत वर्ष के अन्त तक विस्थापितों को इन बस्तियों में लगभग २,९०० जगहें दी गई हैं। ३६७ विस्थापित परिवारों में से ३३८ परिवारों को जगहें दी जा चुकी हैं। यह भी पता लगा है कि इन पुनर्वास बस्तियों में सड़कें जल संभरण, स्कूल, सहकारी समिति, बढ़ई के काम का स्कूल और आमोद केन्द्र बनाने का भी उपबंध किया गया है।

लगभग ५,९०० स्वस्थ्य लोगों में से ३,८०० लोगों को इस्पात परियोजनाओं में, लगभग १,००० को हिन्दुस्तान इस्पात निगम में और अन्य २,८०० लोगों को ठेकेदारों के पास काम मिल गया है।

इस प्रश्न का संतोषजनक हल ढूंढने के लिये क्योंकि इसमें मानवसुलभ सहानुभूति उपेक्षित है सभा में सभी राजनैतिक दलों के सदस्यों ने चिंता प्रकट की है कि जब किसी परियोजना में से विस्थापित लोगों को निकाला जायेगा तो उनका क्या बनेगा। किन्तु ज्यों-ज्यों हमारा कार्य बढ़ेगा, विभिन्न विकास कार्यों के लिये अर्थात् कारखानों की स्थापना और अन्य प्रयोजनों के लिये भूमि अर्जन की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति में विस्थापन स्वाभाविक है और इस प्रकार के मामलों में केवल यही किया जा सकता है कि स्थानीय सरकार के साथ परामर्श और उसके सहयोग से समस्या का संतोष-जनक हल ढूंढा जाये और समय-समय पर सरकार ने इसी साधन को अपनाया है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[सरदार स्वर्ण सिंह]

मुझे यह विदित है कि विस्थापित लोगों को चाहे उनके मकानों, जमीनों, कुओं आदि के लिये कितना भी उदारतापूर्वक उचित प्रतिकर दिया जाये उसमें मानव जीवन सम्बन्धी कठिनाई बनी रहेगी और उस समस्या को सुलझाने का सर्वोत्तम ढंग यह है कि या तो वहां बनाई जाने वाली परियोजना में ही उन्हें काम दिया जाये अथवा परियोजना से उत्पन्न होने वाले कारोबार से लाभ उठाने का उन्हें पूर्ण अवसर दिया जाये ।

मैं अनुभव करता हूं कि जहां तक इस्पात के तीन कारखानों का सम्बन्ध है केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें इस ओर पूरा ध्यान दे रही हैं और उचित रूप से जो कुछ भी किया जा सकता है किया जा रहा है । इस प्रकार के मामले में पूर्ण संतोष न होना स्वाभाविक ही है ।

इस्पात, खान तथा ईंधन मंत्रालय के अधीन खान विभाग के सम्बन्ध में एक दो महत्वपूर्ण बातों के उल्लेख की आवश्यकता है । यह आलोचना की गई है कि खानों के भारतीय विभाग को कार्य संचालन के लिये पर्याप्त निधि नहीं दी गई । मैं नहीं जानता कि इसका क्या उत्तर दूं । मैं समझता हूं कि निधि के आवंटन के प्रभारी मंत्रालय के मांगों को बहुत ध्यानपूर्वक छांटना पड़ता है और जहां तक खान विभाग का सम्बन्ध है उसे कुछ और निधि मिलती तो अच्छा होता । किन्तु सभी उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए हमें जो कुछ मिला है उसी से संतुष्ट रहना पड़ता है । मैं समझता हूं कि उपलब्ध राशि का उपयोगी उचित ढंग से किया जायेगा ताकि उससे अधिकाधिक अच्छे परिणाम निकलें ।

यह भी कहा गया है कि उड़ीसा राज्य में खनिज संसाधनों की खोज के सम्बन्ध में अधिक पर्याप्त प्रयत्न नहीं किये गये । इस सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने राज्यों के एकीकरण के बाद से उड़ीसा में काफी काम किया है । यह बात सर्वविदित है कि उड़ीसा राज्य के क्षेत्राधिकार में बहुत-सी पुरानी भारतीय रियासतें हैं । पुरानी रियासतों में खनन कार्य अथवा खानें खोजने के लिये अधिक काम नहीं किया जाता था । अतः भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने विशेष कार्यवाही की और अन्य राज्यों की अपेक्षा इस राज्य की ओर अधिक ध्यान दिया ।

जहां तक उड़ीसा के लोह अयस्क का सम्बन्ध है वहां से हिन्दुस्तान स्टील समवाय के लिये बहुत खनन लिया जा चुका है । और यदि जापान के साथ होने वाली वार्ता के फलस्वरूप कोई करार हो जाये तो निर्यात के लिये भी इस राज्य से बहुत लोह अयस्क लिया जायेगा ।

अन्त में श्री भगत दर्शन की बात का उत्तर देते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक सारे देश का भूतत्व सम्बन्धी मानचित्र तैयार करने का प्रश्न है मुझे स्वयं उसका बहुत ध्यान है । हमने हाल ही में हिसाब लगाया था कि इस आवश्यक कार्य के लिये कितना प्रयत्न करना पड़ेगा । अभी तक भारत का भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने देश के मानचित्र में लिये जाने वाले कुल क्षेत्र में से लगभग एक-चौथाई क्षेत्र का सर्वेक्षण कर लिया है । कम काम होने का कारण यह है कि हमारे पास प्रशिक्षित कर्मचारी कम हैं ।

भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण निदेशालय ने जो हाल ही में अनुमान लगाया है उसके अनुसार इस काम को पूरा करने में १०० भूतत्ववेत्ताओं को २० वर्ष लगेंगे । यह अच्छा कार्य है और होना भी चाहिये किन्तु इसमें समय लगता है । मैं सभा को यह आश्वासन दिलाता हूं कि इस कार्य के लिये अपेक्षित कर्मचारी ढूंढने और संसाधन जुटाने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है ।

इन शब्दों सहित मैं इस मंत्रालय के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये दो कटौती प्रस्तावों का विरोध करता हूं ।

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : मांग संख्या ४६, ११७ और ११८ खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के सम्बन्ध में हैं और मांग संख्या ४६ और ११७ के सम्बन्ध में सभा में कुछ चर्चा हुई है ।

मांग संख्या ११७, ३१ मार्च, १६५८ तक की कालावधि में खाद्यान्नों के क्रय के सम्बन्ध भारों के भुगतान के लिये अनुपूरक मांग है । इस सभा ने मूलतः १४६·२२ करोड़ रुपये की राशि मंजूर की थी किन्तु पुनरीक्षित प्राक्कलनों के अनुसार १८४·७० करोड़ रुपये की आवश्यकता थी । अतः ३८·४८ करोड़ के अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता है ।

सभा के किसी भी भाग ने इस मांग का तो विरोध नहीं किया । वस्तुतः अप्रत्यक्ष रूप से इसका समर्थन ही किया गया है । श्री भरूचा ने अपने कटौती प्रस्ताव संख्या १० द्वारा इस ओर ध्यान दिलाया है कि रक्षित खाद्यान्न की स्थिति अच्छी नहीं । उन्होंने अपने भाषण में भी इसी बात पर बल दिया है । परन्तु मांग से ही इस बात का पता लग जायेगा कि जैसा श्री भरूचा कहते हैं वस्तुतः सरकार इस मामले में कदापि संतुष्ट नहीं है और सरकार ने आने वाली स्थिति का मुकाबला करने के लिये ठीक समय पर कार्यवाही की है ।

मेरे पास जो तथ्य हैं उनसे पता लगता है कि १६५७-५८ के आय-व्ययक प्राक्कलन नवम्बर/दिसम्बर, १६५६ में तैयार किये गये थे । उस समय यह आशा की गई थी प्रतिमास २ लाख टन के खाद्यान्न का आयात करना पड़ेगा अर्थात् वर्ष भर में २४ लाख टन का आयात होगा । किन्तु फरवरी/मार्च, १६५७ में गेहूं की खपत बढ़ गई और मूल्य कम होने की बजाय बढ़ने लगे । अतः फरवरी/मार्च में खाद्यान्न भंडार की स्थिति इतनी खराब हो गई कि बहुत कठिनाई से उसका वितरण हो सका ।

अतः पहले तो इसलिये कि फरवरी/मार्च की-सी कठिन परिस्थिति पुनः पैदा न हो और दूसरे इसलिये कि सस्ते अनाज की दुकानों पर काफी अनाज दिया जा सके, रक्षित अनाज की काफी मात्रा रखने के हेतु आयात को २५ से ३० लाख टन तक बढ़ा देने का निश्चय किया गया । आयात में वृद्धि कर के हमने रक्षित भंडार काफी बढ़ा लिया है और बाज़ार में इस बात के लिये बहुत विश्वास बढ़ गया कि सरकार खाद्य संकट का मुकाबला कर सकती है ।

चावल के आयात में कमी हुई है । हमने मूल आय-व्ययक प्राक्कलनों में यह अनुमान लगाया था कि लगभग ७ लाख टन चावल आयात करना पड़ेगा किन्तु हमने ४·६८ लाख टन चावल का आयात किया है और इसमें ४·८६ करोड़ रुपये की बचत हुई है ।

हमें आशा थी कि हम देश में १½ लाख टन खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे किन्तु हमने ३ लाख टन अनाज प्राप्त किया है । इन अन्तरों के कारण मैंने अभी बताये हैं ।

इस समय हमारे पास जो रक्षित भंडार हैं वे यद्यपि बहुत संतोषजनक नहीं किन्तु जैसा कि आंकड़ों से पता लगेगा वे काफी अच्छे हैं । केन्द्रीय और राज्य सरकारों के पास ६·२५ लाख टन गेहूं और ३·२३ लाख टन चावल रक्षित हैं । इस प्रकार कुल १२·४८ लाख टन अनाज रक्षित है ।

माननीय सदस्यों को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये कि १ जनवरी, १६५७ को सरकार के पास ३ लाख टन से भी कम अनाज था । उसे हमने बढ़ा कर १० लाख टन से भी अधिक कर लिया है । इसका उल्लेख कई प्रश्नों के उत्तर में किया जा चुका है—इसे सरकार की नीति के रूप में स्वीकार किया गया है—कि कम से कम १० लाख टन अनाज का रक्षित भंडार सरकार के पास होना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री अ० म० थामस]

माननीय सदस्यों को यह भी विदित होगा कि १० लाख टन अनाज का रक्षित भंडार बनाने और विशेषतः चावलों का भंडार बनाने में बहुत कठिनाइयां हैं। यह अनाज या तो आयात किया जाता है अथवा देश से ही प्राप्त किया जाता है। जबकि देश की विकासशील अर्थ-व्यवस्था में विकास कार्यों पर बहुत अधिक व्यय हो रहा है और मूल्य बढ़ रहे हैं वहां एक ओर तो सावधानी से अनाज प्राप्त करने का कार्य करना चाहिये और दूसरी ओर बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिये सरकारी अनाज लोगों को देना भी चाहिये।

विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण अधिक खाद्यान्न का आयात भी नहीं किया जा सकता। अतः खाद्यान्न का भंडार बनाने में देर लगती है। किन्तु यह श्रेय की बात है कि सरकार ने निरन्तर प्रयास द्वारा यह भंडार बना लिया है।

मैं माननीय सदस्यों को यह भी बता देना चाहता हूं कि हमने १९५८ के पूर्वार्द्ध में खाद्यान्न के आयात के लिये पक्के करार कर लिये हैं और वर्ष १९५८ के लिये करार कर लिये हैं तथा पी० एल० ४८० में से बकाया ६४६,००० टन कपास के लिये नियत निधि को अनाज में लगाते हुए ४ लाख टन—२५० लाख डालर पहले कपास के लिये रखे गये थे—पी० एल० ६६५ में से शेष १५,००० टन अनाज के आयात के लिये प्रबंध किये जा चुके हैं। कोलम्बो योजना के अन्तर्गत १९५७ के आयात में से शेष १०३,००० टन अनाज का आयात करना है। हमने १९५८ के पूर्वार्द्ध में कुल १६ लाख टन गेहूं आयात करने का कार्यक्रम बनाया है। बर्मा के साथ भी हमारा करार है और १९५८ के करार द्वारा हम वहां से ५ लाख टन अनाज आयात करेंगे। रक्षित भंडार और किये जाने वाले आयात की यह स्थिति है।

अब मैं मांग संख्या ४६ को लेता हूं। यह चालू वित्तीय वर्ष में राजस्व के लेखे का समायोजन करने के लिये अनुपूरक मांग है। श्री भरूचा ने कहा है कि वे यह नहीं समझ सके कि यह समायोजन कैसे किया जा रहा है। जो गेहूं और चावल हम अमरीका से खरीद रहे हैं उसके लिये दी जाने वाली कुल राशि खाद्यान्न व्यापार योजना के लेखे में डाली जा रही है। जहां तक लेखों का सम्बन्ध है मूल व्यय और विक्रय मूल्य का अन्तर व्यापार के लेखे में से जो कि पूंजीगत शीर्ष है निकाल कर राजस्व के लेखे में डालना है। जैसा कि अनुपूरक मांग की पत्रिका में बतलाया गया है यह अमरीका के वास्तविक मूल्य और यथा स्थिति बर्मा या आस्ट्रेलिया के मूल्य में अंतर है और अर्थ सहायता आस्ट्रेलिया या बर्मा के मूल्य और विक्रय मूल्य में अंतर है। इसमें कुल अर्थ सहायता ५$\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये की है। इसके अतिरिक्त देशी चावल के लिये अर्थ सहायता २$\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये की है। १९५७-५८ में खरीदे गये अनाज के लिये जो राशि व्यापार लेखे में से निकालनी है वह ३० करोड़ रुपये है। किन्तु किसी वर्ष में राजस्व में से इतनी बड़ी राशि बट्टेखाते नहीं डाली जा सकती। अतः वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श के बाद यह निश्चय किया गया है कि इसे १० वर्षों में बट्टे खाते में डाला जाये। अतः यह समायोजन १० वर्षों तक के लिये डाल दिया गया है। भूत काल में भी ऐसी प्रक्रिया अपनाई गई थी। १९५४ में बर्मा से चावल के आयात पर ४५ करोड़ रुपया व्यय हुआ था और उसे १५ वर्षों में बट्टे खाते में डालने का निश्चय किया गया था और इसी प्रकार अमरीकन ऋण के अन्तर्गत गेहूं के आयात पर १९ करोड़ रुपये की हानि हुई थी और उसे बट्टे खाते में डालने के लिये ३५ वर्ष की अवधि रखी गई है।

श्री तंगामणि, श्री नारायणन कुट्टि मेनन और श्री वें०प० नायर ने कटौती प्रस्तावों द्वारा केरल और मद्रास को चावल संभरण के सम्बन्ध में बात उठाई थी। यह सच है कि यह खण्ड बनाने के बाद आंध्र प्रदेश से मद्रास को प्रति मास औसत १,००० टन अनाज भेजा जाता रहा है। किन्तु हमें मद्रास के उत्पादन और वहां के मूल्यों को भी ध्यान में रखना होगा। यदि मद्रास में आंध्र प्रदेश से चावल आयात करने में लाभ न हुआ तो स्वभावतः व्यापारी लोग आयात नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान

देने की बात है कि यदि तंजोर और त्रिची से केरल राज्य तक के क्षेत्र में चावल की कमी न हो तो मद्रास राज्य आत्मनिर्भर नहीं होगा। इस वर्ष तंजोर की फसल बहुत ही अच्छी है। अतः मद्रास में चावल की कमी नहीं। इसी कारण आंध्र प्रदेश से काफी चावल मद्रास में नहीं जा रहा अन्यथा यह निषिद्ध नहीं है।

मेरे माननीय मित्र श्री नारायणन कुट्टि मेनन और वें० प० नायर ने कहा है कि केरल की आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाये। यह स्पष्ट है कि ऐसा किया जा रहा है। १९५७ में चावल की जो कुल राशि वितरित की गई उसमें से एक-तिहाई जो कि अधिकतम है केरल को दी गई थी। केरल राज्य के अनुमान अनुसार वहां ७ लाख टन अनाज की कमी है। केरल राज्य दक्षिण खण्ड में रखा गया है और वह खण्ड चावल के उत्पादन में न केवल आत्मनिर्भर है वरन् यह भी कहा जा सकता है कि वहां कुछ अतिरिक्त अनाज भी है। व्यापार के लेखे के अनुसार आंध्र से काफी चावल केरल भेजा जा रहा है।

आंध्र से केन्द्रीय सरकार ने जो आंकड़े एकत्र किये हैं उनके अनुसार १९५७ में ८०,००० टन चावल केरल को भेजा गया है। तंजोर और त्रिची से १७५,००० टन चावल भेजा गया है और व्यापारी लोग भी काफी अनाज वहां भेज रहे हैं।

इन मामलों में हमें अखिल भारतीय दृष्टिकोण रखना पड़ता है। दक्षिण खंड से चावल के निर्यात पर रोक लगाने के कारण बम्बई और कलकत्ता में चावल का मूल्य बढ़ गया है और इस केन्द्र को इन क्षेत्रों में अधिक चावल भेजना पड़ता है। अतः केन्द्रीय सरकार को दक्षिण खंड बनाये जाने से बम्बई और कलकत्ता में पैदा हुई स्थिति को ध्यान में रखना चाहिये।

श्री वें० प० नायर ने यह कहा है कि मैं जब कभी केरल जाता हूं वहां की स्थानीय सरकार की आलोचना अवश्य करता हूं। वस्तुतः ऐसी बात नहीं है वरन् केरल सरकार ही प्रायः चावल और अन्य वस्तुओं के बारे में अधूरी स्थिति के सम्बन्ध में प्रेस वक्तव्य निकालती रहती है। आखिर जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो पूर्ण स्थिति के बारे में मुझे बताना पड़ता है। हाल ही में केरल सरकार ने तंजोर से प्राप्त हुए चावल के बारे में एक प्रैस वक्तव्य निकाला है। उस विषय को लोक-सभा और राज्य-सभा में प्रश्नों के उत्तरों के रूप में स्पष्ट किया गया है। वस्तुतः केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार के परामर्श पर तंजोर से अनाज प्राप्त करना बंद कर दिया और केरल सरकार को इस पर इस कारण आपत्ति हुई थी कि वे इस बात में केरल का ही हित समझते थे कि तंजोर में मूल्य न बढ़ें। केरल सरकार के टिप्पण में आप देखेंगे कि उन्होंने एक गैर-सरकारी सार्थ के अभिकरण द्वारा तंजोर से १०,००० टन चावल खरीदने का प्रबन्ध किया था किन्तु सार्थ ने जिस प्रकार के चावल के लिये ठेका किया था वह न मिलने के कारण विहित कालावधि में चावल का संभरण नहीं हो सका था। और यह बहुत अनुचित बात थी कि केरल सरकार ने इसे शिकायत का विषय बनाया और राज्य विधान सभा में यह कहा गया कि "केन्द्रीय सरकार भेदभाव की नीति अपना रही है और यह कि दक्षिण खंड बनाने का क्या लाभ है जबकि हमें तंजोर आदि से अनाज नहीं खरीदने दिया जाता।"

हाल ही में एक और प्रेस वक्तव्य निकला है। हमने यह स्वीकार किया था कि हम अपने केन्द्रीय भंडार से १२,००० टन चावल उन्हें देंगे और उसके स्थान पर केरल सरकार द्वारा आंध्र से खरीदा गया चावल लेंगे। हमने यह भी स्वीकार किया था कि आंध्र में हमें चावल मिलने से पहले ही हम उन्हें चावल दे देंगे किन्तु अब केरल सरकार ने प्रेस वक्तव्य निकाला है कि पहले तो केन्द्रीय सरकार ने १०,००० टन चावल देना स्वीकार किया था परन्तु अब उन्होंने विचार बदल दिया है और केवल ६,००० टन चावल देने के लिये तैयार हैं। इस प्रकार सच्ची बात नहीं बताई जाती और केन्द्र के लोगों को वास्तविक तथ्य लोगों को बताने पड़ते है।

[श्री अ० म० थामस]

१९५७-५८ में १६ अक्तूबर के पश्चात हमने २०,१६६ टन चावल और २६,४०० टन गेहूं काश्मीर को दिया है। अर्थ सहायता केवल चावल के लिये दी जाती है। उन्हें दी जाने वाली अर्थ-सहायता की राशि का निर्णय गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के परामर्श से करता है। काश्मीर सरकार की यह मांग थी कि उन्हें १६ अक्तूबर १९५७ से १५ अक्तूबर १९५८ तक ४४,००० टन चावल और ३५ तथा ४५ हज़ार टन के बीच गेहूं देना चाहिये। हमें काश्मीर राज्य की कठिनाइयों को समझना चाहिये। वहां बाढ़ें आई थीं और केन्द्र का कर्तव्य था कि उन्हें अनाज आदि भेज कर उनकी सहायता करे।

श्री पाणिग्रही ने उड़ीसा में अनाज प्राप्त करने के मूल्यों का उल्लेख किया था। ये मूल्य उचित ही हैं। इन्हें गत दो वर्षों में फसल की कटाई के पश्चात् के मूल्यों और १९५२-५३ के उपार्जन के मूल्यों के आधार पर निर्धारित किया गया था। मुख्य फसल के बाद जो मूल्यों में सामान्य गिरावट होती है उसे भी ध्यान में रखा गया था। इन मूल्यों के निर्धारण के समय राज्य सरकार से भी परामर्श लिया गया था।

उड़ीसा अब शेष देश से सर्वथा कटा हुआ है और वहां से दूसरे क्षेत्रों में चावल का निर्यात बिल्कुल बन्द है। उड़ीसा में आजकल खुले बाज़ार भाव १५–८–० रुपये और १८ रुपये प्रति मन के बीच हैं जो कि बहुत अधिक नहीं।

श्री पाणिग्रही ने यह भी कहा था कि मूल्य कम होने के कारण ही राज्य सरकार अनाज का उपार्जन नहीं कर सकी। यह बात गलत है। इस अकाल के बाद ही राज्य सरकार ने २५,००० टन का उपार्जन किया है।

†**श्री पाणिग्रही** (पुरी) : बाजार भाव तो १८ रुपये की बजाये २० रुपये प्रति मन है।

†**श्री अ० म० थामस** : यह १५.५० रुपये से लेकर १८.६२ रुपये तक है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस चर्चा में अधिक समय लग गया है। अब १० या १५ मिनट के लिये गैर-सरकारी कार्य को ले लिया जाये। हम कुछ देर तक बैठ सकते हैं।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने आदेश दिया है मैं पांच मिनट के अन्दर ही अपने विचार इस सदन में रखने का प्रयत्न करूंगा। मुझे दो अनुदानों पर अपने विचार प्रकट करने हैं।

पहली बात तो यह है कि व्यवसाय और उद्योग मंत्रालय के सम्बन्ध में कुछ नय पद क्रियेट (बनाना) किये गये हैं और उसके लिये अतिरिक्त रुपये की मांग की गई है। एक पद तो ३,५०० रुपये माहवार का क्रियेट किया गया है और दूसरा २,२५० रुपया माहवार का। इसी तरह से कुछ और भी नये पद बनाने आप जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि आप पांच रुपया माहवार जब निचले कर्मचारियों का बढ़ाते हैं तो आपको परेशानी महसूस होती है और आप कहते हैं कि यह रुपया कहां से आयेगा। जो लोग तनख्वाहें बढ़ाने की मांग करते हैं, वे पहले तो मीटिंग्स करते हैं, फिर प्रदर्शन करते हैं और काफी जद्दोजहद जब के कर चुकते हैं तब कहीं जा कर उनको थोड़ा सा रिलीफ दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आप इतनी बड़ी-बड़ी तनख्वाहों के पद क्रियेट करते जाते हैं। आपने अपने सामने समाजवादी समाज की रचना का ध्येय रखा है। लेकिन इतनी बड़ी-बड़ी तनख्वाहें देकर क्या आप उस ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं? मैं चाहता हूं कि आपकी घोषणाओं में साम्य होना चाहिये और जो आप कहते हैं, उसी पर आपको अमल भी करना चाहिये। इतनी

†मूल अंग्रेजी में।

अधिक तनख्वाहों के पद आपको त्रियेट नहीं करने चाहियें। आपको चाहिये कि आप कुछ रेशो तो फिक्स कर दें कि कम से कम इतनी तनख्वाह होगी और अधिक से अधिक इतनी होगी। भारतवर्ष में एक व्यक्ति की औसत आय २५ रुपया या २३ रुपया १२ आना माहवार है और उनकी आमदनी का खयाल किये बिना आप दूसरों को ३,५०० या २,२५० रुपया माहवार दे रहे हैं। इतनी अधिक तनख्वाह दे कर आप १५० गुना का फर्क कर रहे हैं। यह समाजवादी समाज रचना के अनुकूल नहीं है। मैं चाहता हूं कि किसी एक की आमदनी सौ रुपये से कम और दूसरे की एक हज़ार से अधिक किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिये। जब उद्योगों का सवाल आता है तो आपको यह देखना चाहिये कि किस तरह से इनकी उन्नति हो सकती है न कि यह कि आप ३,५०० और २,२५० रुपये माहवार के आदमी ढूंढें। आपको इसी से जांचा जायेगा कि किस तरह से आप उद्योगों को चलाते हैं और किस तरह से आप उनमें रुपया लगाते हैं।

एक मांग नैशनल हाइवेज़ के बारे में भी रखी गई है। बजट पेश होने के बाद से दो नई सड़कों के लिये रुपया मंजूर किया गया है। इन नई सड़कों का जहां तक ताल्लुक है, मैं इनका स्वागत करता हूं लेकिन साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको ऐसे क्षेत्रों का भी खयाल रखना चाहिये जो पिछड़े हुये हैं और वहां पर सड़कें बनाने से उनकी कई समस्यायें हल हो सकती हैं। मैं एक हाइवे बनाने का सुझाव आपके सामने पेश करना चाहता हूं। आप उस सड़क को बना कर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश को मिला सकते हैं। यदि आपने ऐसा किया तो जो डकैती की समस्या का आपको सामना करना पड़ रहा है, उससे भी आपको छुटकारा मिल जायेगा। मैं चाहता हूं कि यातायात मंत्री इस ओर ध्यान दें। जिस सड़क का मैं सुझाव दे रहा हूं वह भरतपुर, धोलपुर, राज खेड़ा से लेकर उत्तर प्रदेश में शमसाबाद, फतहबाद होते हुए, फिरोज़ाबाद तक होगी और उससे न सिर्फ डकैती की समस्या हल होगी बल्कि इन राज्यों का आपस में सम्बन्ध में भी कायम हो जायेगा। साथ ही साथ जो पिछड़े हुये क्षेत्र हैं, उनकी भी उन्नति इससे हो सकती है।

हमारे राष्ट्रपति जी ने इच्छा व्यक्त की थी कि वे दक्षिण में कुछ दिनों के लिये निवास किया करेंगे। यह अच्छी बात है। परन्तु राष्ट्रपति जी के निवास स्थान में कुछ परिवर्तन करने के लिये २५ लाख रुपया आप खर्च करने जा रहे हैं। यह मुनासिब नहीं है। आज जब कि हम यह चाह रहे हैं कि कम से कम खर्च करें और पैसा बचायें तो इस तरह से भारी रकम खर्च करना ठीक नहीं है। आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने का भी दावा करते हैं। गांधी जी तो हमेशा ही भंगी बस्ती में ठहरा करते थे। मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति जी का भी जिस तरह का आवास हैदराबाद में मौजूद है, उसी में ठहर सकते हैं।

खाद्यान्नों का जहां तक सम्बन्ध है, आप स्टाक बनाते हैं। लेकिन जहां तक पैदावार का ताल्लुक है, आप उसको बढ़ाने के लिये कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। छोटी सिंचाई योजनाओं पर आप ध्यान नहीं देते हैं। सीमेंट के लिये यह कहा जाता है कि स्थिति सुधर गई है लेकिन कुओं के लिये सिमेंट नहीं दिया जाता है। उनके लिये छोटे-छोटे और काम हैं। नहर के मुहकमे में भ्रष्टाचार है। वहां पर जो नये ट्यूबवैल्स बने हैं उनमें औपरेटर्स लोग जो हैं, वे अच्छे तरीके से पानी नहीं देते हैं। मंत्री महोदय को इन सब चीज़ों की तरफ़ ध्यान देना चाहिये।

आवास मंत्री महोदय का ध्यान मैं दिल्ली के किरायेदारों की समस्या की ओर आकर्षित करूंगा जिसको कि लेकर अभी हमारे प्रधान मंत्री महोदय की कोठी के सामने एक व्यक्ति और बाद में कई व्यक्ति ८, ९ दिनों तक भूख हड़ताल कर रहे थे। मंत्री महोदय को दिल्ली के किरायेदारों की समस्या

[श्री ब्रजराज सिंह]
की तरफ़ तत्काल ध्यान देना चाहिये और जो भी कानून बने उसमें किरायेदारों के लिये यह व्यवस्था होनी चाहिये कि एक किरायेदार जब तक वह किराया अदा करता रहे तब तक मकान से बेदख़ल न हो और किसी भी बिना पर उसके बेदख़ल होने का सवाल नहीं उठना चाहिये ।

†**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी) : दण्डकारण्य का विस्तार ८०,००० वर्ग मील है । वह एक पहाड़ी प्रदेश है । वहां रहने वाली पर्वतीय आदिम जातियां,—कौंध, गौंड, कोया, सावरा, गडवास और पारजलोग—अब पहाड़ियों की ढलानों पर पोदू ढंग की खेती करती हैं, जिससे भूमि का कटाव बढ़ता जाता है । इसीलिये, अब राज्य सरकारों ने उसे बन्द करने के लिये कदम उठाये हैं । और अब उन विस्थापित आदिमजातियों के पुनर्वास की समस्या हमारे सामने है ।

भारत सरकार को इन आदिवासियों और पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या पर साथ ही साथ सोचना चाहिये ।

हाल में, मचकुण्ड के समीपवर्ती क्षेत्र में जलपुत बांध बनाने के लिये कुछ गांवों को सरकर ने लेकर उनके निवासियों को मलकानगिरि क्षेत्र में भूमि दे दी है । लोग इससे प्रसन्न हैं । उस क्षेत्र के ४९ वर्ग मील अरक्षित वन का कृष्यकरण आरम्भ हो गया है । हमें इन उपयोगी वनों को नष्ट नहीं करना चाहिये ।

मोत्तु और मलकानगिरि के बीच के क्षेत्र का सर्वेक्षण होना चाहिये और यदि सम्भव हो तो वहां पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को बसा दिया जाये ।

दण्डकारण्य में बड़ी-बड़ी औद्योगिक सम्भावनायें भी हैं । वास्तव में लगभग ३,००,००० लाख टन ऊंची किस्म का कच्चा लोहा है । वहां बौक्साईट और मैंगनीज़ के भी निक्षेप हैं ।

इस क्षेत्र में सबसे बड़ी कठिनाई संचार की है । यदि वहां रेलवे लाइन डाल दी जाये तो औद्योगीकरण की सम्भावनायें बढ़ जायेंगी ।

इस कार्य में सरकार को ऐसे इमानदार और आदर्श-निष्ठ व्यक्ति लगाने चाहिये, जो वहां की जनता का विश्वास प्राप्त कर सकें ।

श्री जाधव (मालेगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नम्बर (मांग संख्या) २४ और २५ के बारे में बोलना चाहता हूं । यह डिमांड्स इंडियन सिक्युरिटी प्रेस और करेंसी नोट प्रेस के बारे में हैं ।

जो वहां पर हड़ताल हुई थी, उसके बारे में काफ़ी यहां पर कहा गया है । मैं दूसरे पहलू पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूं । हिन्दुस्तान में करेंसी नोट प्रेस और इंडियन सिक्युरिटी प्रेस एक ही है । उसमें जो कुछ काम हो रहा है उसमें काफ़ी तरक्की हो और अच्छा काम हो इसके लिये जो कुछ बातें मुझे कहनी हैं, वह मैं चन्द-एक लफ्ज़ों में पांच मिनट के अन्दर कहना चाहता हूं । सिक्युरिटी प्रेस का जो मास्टर है, वह १-९-५७ को रिटायर होना चाहिये था, लेकिन उसके कार्य-काल की अवधि तीन वर्ष के लिये और बढ़ा दी गई । सन् १९५१ से वह सिक्युरिटी प्रेस का मास्टर है, लेकिन इस अर्से में जो कुछ काम वहां पर हो रहा है, उस काम में काफ़ी गलतियां हैं । मैं कहना चाहता हूं कि करीब-करीब ५-६ साल के अर्से में कई चोरियां वहां पर हुईं । आखिरी चोरी जो वहां हुई है, उसमें लाखों-करोड़ों रुपये की रकम का जहां तक मैं समझता हूं सम्बन्ध आता है । सिक्युरिटी प्रेस

†मूल अंग्रेजी में ।

में जो चोरियां होती हैं, उनकी रोकथाम के वास्ते जो सर्च पिएंस (खाना तलाशी लेने वाले कर्मचारियों) का ११० का स्टाफ़ है वह बहुत नाकाफ़ी है और उसको बढ़ाना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि जो वर्कर्स अथवा मुलाज़िम वहां के होते हैं, उनकी तो तलाशी होती है लेकिन जो अफ़सरान वहां पर काम करते हैं उनकी तलाशी नहीं होती और इसलिये यह चोरियां होती हैं। आख़िरी मर्तबा जो चोरी हुई उसमें जो आफ़िसर्स वहां के हैं, उनका सम्बन्ध आता है, ऐसा मुझे कहना है ।

यह कहना चाहता हूं कि यह जो प्रिंटिंग सेक्शन (मुद्रण विभाग) है, उसके ऊपर सरकार का काफी रुपया खर्च होता है। इस प्रिंटिंग सेक्शन के वास्ते एक खास अफसर रखना चाहिये।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि वहां रोजाना करीब-करीब ९ मिलियन (९० लाख) नोट छापे जाते हैं। वहां कितनी एहतियात से यह काम होना चाहिये, इसके कहने की जरूरत नहीं है। वहां जो कागज लगता है, वह भी करीब १,४०० टन होता है जिससे कि नोट छापे जाते हैं। ५,००० टन से ऊपर कागज स्टैम्प्स और पोस्टकार्डस वगैरह पर लगता है। उसमें से करीब-करीब ४ परसेन्ट (प्रतिशत) कागज ख़राब हो जाता है। आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि ६,४०० टन में से करीब ३०० टन कागज खराब होता है। यह कागज खराब न हो, इसके लिये मेरी मांग यह थी कि वहां एक पल्प प्लान्ट (लुगदी कारखाना) लगाना चाहिये, यह कागज जलाया जाता है। उस की जो ट्रिमिंग्स (कतरन) हैं खाली उनको बेचने से करीब २ लाख रुपया मिलता है और जो कागज जलाया जाता है वह करीब-करीब २० लाख रुपये का होता है, उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिये ।

इसके बाद, मैं कहना चाहता हूं कि वहां जो वर्कर्स हैं, जो काम करते हैं, वहां जो मशीनरी है, उस मशीनरी पर बहुत प्रेशर (काम का दबाव) है। मशीनरी बहुत कीमती होती है और वह मशीनरी मिलनी भी मुश्किल है। आज फारेन एक्सचेन्ज (विदेशी मुद्रा) की भी तंगी है। इस मशीनरी पर प्रेशर न पड़े इसके लिये भी हमें कोशिश करनी है ।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि वहां के जो लेबर आफिसर (श्रम अधिकारी) हैं वह लेबर आफिसर वहां सुपरवाइज़र (पर्यवेक्षक) की हैसियत से काम कर चुके थे। उनको वहां लेबर आफिसर की हैसियत में रखा गया है। उनका दो दफा ट्रांसफर भी हुआ था, लेकिन उनको कंटिन्यू (जारी) किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर कामगरों की हिफाजत के वास्ते, उनका हक सम्भालने के लिये वह अफसर वहां है तो उनको वह काम करना चाहिये। लेकिन वह हमेशा मैनेजमेंट का पक्ष लेते हैं। इसलिये लेबर आफिसर के बारे में गवर्नमेंट ध्यान दे और उनको वहां से ट्रांसफर करना चाहिये, ऐसा मैं मानता हूं ।

आखिर में, मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां कुछ स्टाफ है, वहां एक नया प्रेस बनाया जाने वाला है १ रु० के नोट छापने के वास्ते । उसके लिये मशीनरी भी मंगाई गई है, लेकिन बिल्डिंग (इमारत) का कोई बन्दोबस्त नहीं हुआ है। वहां जो स्टाफ रखा गया है उसके वास्ते, जो जूनियर (कनिष्ट) स्टाफ है उसको कुछ ट्रेनिंग (प्रशिक्षण) देने के लिये अगर हम गुंजाइश कर सकते हैं तो जो नया प्रेस खुलना है और जो अभी भी प्रेस है उसके लिये अच्छा स्टाफ मिलेगा। इसलिये इसके बारे में.......

उपाध्यक्ष महोदय : नये नोट बनाने की उस वक्त जरूरत होगी जब बजट पेश किया जायेगा। आज तो जो खर्च हो गया है उसके लिये बहस है। इसलिये नये नोट बनाने की जरूरत नहीं।

श्री जाधव : जो जूनियर स्टाफ है, उसको भी अच्छी तालीम देने की गुंजाइश हो सके, तो वह भी जरूर करनी चाहिये ।

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : मैं इस वाद-विवाद के दौरान में कही गई तीन-चार बातों के सम्बन्ध में सभा को कुछ सूचना देना चाहता हूं । सबसे पहले तो मैं उस आलोचना को लेता हूं जो डाक तथा तार विभाग की इमारतों के निर्माण के सिलसिले में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की की गई है । डाक तथा तार विभाग की इमारतों के निर्माण के लिये १९५७-५८ के आय-व्ययक में २५० लाख रुपयों की व्यवस्था की गई है । इस पूरी राशि को खर्च करने के लिये आवश्यक है कि कम से कम पांच करोड़ रुपयों की कार्य-साधक मंजूरी दी जानी चाहिये । वित्तीय वर्ष के आरम्भ में, केन्द्रीय निर्माण विभाग को कुल मिलाकर ४५८ लाख रुपयों की मंजूरियां मिली हुई थीं, लेकिन वित्त मंत्रालय ने उनमें से ३४५ लाख रुपयों पर प्रतिबन्ध लगा दिया था, इसलिये उसके पास जो कार्य-साधक मंजूरी सुलभ रह गई थी उसके आधार पर केवल ११३ लाख रुपये ही व्यय किये जा सकते थे । अनुमान है कि चालू वित्तीय वर्ष में १०० लाख रुपयों का व्यय होगा । मंजूरी को देखते हुए यह संतोषजनक भी है ।

कुल मिलाकर २३२ लाख रुपयों की लागत के निर्माणों के लिये वित्त मंत्रालय ने अनुमति दे दी है, और ११३ लाख रुपयों की लागत के निर्माणों की अनुमति अभी मिलनी है । डाक तथा तार विभाग ने भी प्रतिबन्ध लगने के बाद से १०.८ लाख रुपयों की लागत तक के नये निर्माणों की अनुमति दे दी है ।

आय-व्ययक द्वारा की गई व्यवस्था की तुलना में, इस व्यय में जो कमी दिखाई दे रही है उसका मुख्य कारण यह है कि उसकी मंजूरी नहीं मिली थी और हालांकि डाक तथा तार विभाग ने आय-व्यय की व्यवस्था के अनुसार पूरी राशि के लायक यथेष्ट निर्माणों की मंजूरी दे दी थी, लेकिन वे मंजूरियां वित्त मंत्रालय के प्रतिबन्ध के कारण प्रभावी नहीं रह गई थीं । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने इन इमारतों के निर्माण में अपनी ओर से कोई भी ढिलाई नहीं की थी ।

मैंने अपने सहयोगी—परिवहन तथा संचार मंत्री—से इस पर थोड़ी चर्चा की थी । उन्हें इस मामले में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से कोई शिकायत नहीं है । इसलिये मैं इसका कोई भी औचित्य नहीं समझता कि डाक तथा तार विभाग के सारे काम को किसी अन्य अभिकरण को सौंपा जाये, अर्थात् उसे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के हाथ में न रहने दिया जाये ।

एक शिकायत यह भी की गई थी कि डाक तथा तार विभाग से सम्बन्धित जनता के उपयोग के फार्म पर्याप्त मात्रा में सुलभ नहीं रहते । मेरे मंत्रालय और डाक तथा तार मंत्रालय ने इस पर काफी विचार किया है । अब महत्वपूर्ण फ़ार्मों की एक सूची तैयार कर ली गई है और उनके मुद्रण तथा वितरण का प्रबन्ध किया जा रहा है । हाल में, संगठन तथा रीति विभाग ने इस समस्या का विशेष तौर पर अध्ययन किया है । सरकारी मुद्रणालयों की क्षमता में पर्याप्त विस्तार होने पर इस प्रकार की सभी शिकायतें दूर हो जायेंगी । इसका प्रयत्न किया जा रहा है ।

वाद-विवादों के हिन्दी अनुवादों के मुद्रण में विलम्ब होने की भी शिकायत की गई है । सभा यह जानती ही है कि अभी तक हमारे सरकारी मुद्रणालय हिन्दी भाषा में मुद्रण-कार्य करने के लिये पूर्णतया साज्जित नहीं किये गये हैं । भारत सरकार के केवल तीन सरकारी मुद्रणालय—नई दिल्ली, नासिक और फ़रीदाबाद के—ही हिन्दी में थोड़ा-बहुत मुद्रण कर सकते हैं । इन्हीं तीन मुद्रणालयों में हमने सारा काम बांट दिया है, और अब उसमें विलम्ब नहीं होता । स्थायी तौर पर इसका समाधान तभी किया जा सकता है जब कि नई दिल्ली में एक नया हिन्दी मुद्रणालय और स्थापित किया जाये

†मूल अंग्रेजी में ।

ऐसा प्रस्ताव भी है। उसके बाद, अधिनियमों, वाद-विवादों इत्यादि के हिन्दी अनुवादों के मुद्रण में कोई विलम्ब नहीं होगा।

दिल्ली में मकान किराये के नियंत्रण के उपायों और किरायेदारों के निष्कासन की समस्या का भी उल्लेख किया गया है। अभी कुछ ही दिन पहले, मैंने सभा में वक्तव्य देते हुये बताया था कि सरकार इसी सत्र में इस समस्या पर एक व्यापक विधान प्रस्तुत करने जा रही है।

अधिग्रहीत मकानों को छोड़ देने का भी उल्लेख किया गया था। इस सम्बन्ध में कुछ ऐसे मामले भी बताये गये थे कि सरकार द्वारा अधिग्रहीत मकानों में रहने वाले अनियमित रूप से कुछ किरायेदारों को बसा लेते हैं। सरकार इसको बन्द करने का प्रयास कर रही है और उन माननीय सदस्य को यदि इस सम्बन्ध में कुछ और भी मामले मालूम हों तो हमें बता दें। हम अवश्य ही उसकी जांच करेंगे। यार्क होटल वाले मामले की जांच की जायेगी।

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : मेरे मंत्रालय के सम्बन्ध में तीन संशोधन आये हैं।

श्री आसर ने अपना कटौती प्रस्ताव इसलिये पेश किया है कि सरकार विस्थापित व्यक्तियों की समस्या हल करने में असफल रही है। लेकिन, उन्होंने इसका कोई उदाहरण नहीं दिया। उन्होंने बम्बई के पास की एक बस्ती, चिम्बूर में गैर-दावेदारों को पर्याप्त रियायतें न देने की बात अवश्य कही है। माननीय सदस्य को प्रतिकर की योजना की आधारभूत बातें भी मालूम नहीं हैं। मेरे मंत्रालय पर तो दोषारोपण ही यह किया जाता है कि पाकिस्तान में ५०० करोड़ रुपयों से अधिक मूल्य की सम्पत्तियां छोड़कर आनेवाले दावेदारों की तुलना में हमने गैर-दावेदारों को अधिक रियायतें दी हैं।

उन्हें श्रेणीवार स्तर के अनुसार ही प्रतिकर मिलेगा, जो उनको वास्तविक क्षति से कहीं कम होगा। पहले तो हम गैर-दावेदारों से यह चाहते थे कि वे आवंटित की जाने वाली अपनी सम्पत्तियों का मूल्य तीन या चार वर्षों में चुका दें, लेकिन अब वे उसे आठ वर्षों में चुका सकते हैं। पहली किस्त घटा कर २० प्रतिशत कर दी गई है। शेष ८० प्रतिशत, अर्थात् मूल्य की अदायगी के लिये गैर-दावेदारों को यह भी रियायत दे दी गई है कि वे दावेदारों के साथ मिलकर उसकी समायोजना करा सकते हैं। इतना ही नहीं, गैर-दावेदारों को यह भी रियायत दी गई है कि व किराये की बकाया राशि भी आठ वर्षों में अदा कर सकते हैं, अर्थात् २० प्रतिशत अभी और शेष ८० प्रतिशत अगले सात वर्षों में। गैर-दावेदारों को सबसे बड़ी रियायत तो यह दी गई है कि यदि वे चाहें तो आवंटित सम्पत्ति को खरीद कर उसके मालिक बन जायें। यह उनकी इच्छा पर छोड़ दिया गया है। यदि वे सम्पत्ति के मालिक नहीं बनना चाहते तो हमने अधिनियम में उनके लिये दो वर्ष तक के लिये तो विशेष आरक्षण की व्यवस्था कर दी है और उसके बाद उस सम्पत्ति पर राज्य की किरायेदारी से सम्बन्धित सामान्य विधियां लागू होने लगेंगी। इससे अधिक रियायत देना सम्भव भी नहीं है।

दूसरी बात थी मूल्यांकन की। मूल्यांकन का कार्य सरकारी इंजीनियरों और विशेषज्ञों ने ही किया है। यह एक बहुत विशाल संगठन है और सारे देश में इसकी शाखायें हैं। लेकिन, यह भी तो व्यवस्था है कि यदि गैर-दावेदार सम्पत्ति के मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं हैं तो वह उसे न खरीदे। यह अनिवार्य तो नहीं है।

श्री वें० प० नायर ने अपने कटौती प्रस्ताव का आधार यह बताया है कि दण्डकारण्य विकास योजना का संगठन त्रुटिपूर्ण है। लेकिन उन्होंने दण्डकारण्य योजना के सम्बन्ध में कुछ कहा ही नहीं।

†**श्री वें० प० नायर** : आपने सुना नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री मेहरचन्द खन्ना :** उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा ।

* * *

उन्होंने अपना भाषण फ़रीदाबाद से ही आरम्भ किया और उसी पर समाप्त कर दिया । फ़रीदाबाद की योजना तो बड़ी पुरानी है । दिल्ली से १८--२० मील दूर, कुछ विस्थापित व्यक्तियों ने उसे अपनी-सहायता-आप के आधार पर बसाया है । विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के सिलसिले में यह पहला और बहुत महत्वपूर्ण परीक्षण था ।

माननीय सदस्य ने जिन उद्योगों का उल्लेख किया था उनकी स्थापना भारतीय सहकारी संघ द्वारा ही की गई थी । इस सम्बन्ध में श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय ने बड़ा सराहनीय कार्य किया था । उन्होंने ही विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये इन उद्योगों की स्थापना कराई । हमारा मंत्रालय उनकी उन सेवाओं का समुचित आदर करता है ।

दण्डकारण्य योजना के सम्बन्ध में केवल श्री प्र० के० देव ने ही कुछ संगत बात कही थी ।

†**श्री गोरे** (पूना) : माननीय मंत्री भारत का एक मानचित्र हमें दे दें जिससे पता चल जाये कि दण्डकारण्य है कहां ।

†**श्री मेहरचन्द खन्ना :** सुझाव काफ़ी अच्छा है । उस क्षेत्र के सर्वेक्षण के बाद, मैं माननीय सदस्यों को उसका मानचित्र सुलभ बना दूंगा । उसके साथ एक व्याख्यात्मक टिप्पणी भी रहेगी । दण्डकारण्य की योजना ८०,००० वर्ग मील की है । हम उसे राष्ट्रीय आधार पर विकसित करना चाहते हैं । उस एकीकृत योजना में पुनर्वास के सभी पक्षों की उचित देखभाल की जायेगी । उसमें संचार, उद्योग, बन, इत्यादि सभी की ओर ध्यान दिया जायेगा । उस क्षेत्र को निवास योग्य बनाया जायेगा और विकसित किया जायेगा । वह योजना पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये ही है ।

मैं सभा को और विरोधी दल के माननीय सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि इस योजना की कार्यान्विति से वहां की वर्तमान आदिम जातियों को कोई भी हानि नहीं पहुंचने दी जायेगी । उनका उचित आरक्षण किया जायेगा । हम तो योजना की कार्यान्विति में उनको भी सहयोगी बनाना चाहते हैं । आशा है इससे माननीय सदस्य संतुष्ट हो गये होंगे ।

†**श्री राज बहादुर :** मैं अपने मंत्रालय से सम्बन्धित कुछ बातों का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं ।

सबसे पहल तो मैं श्री नौशीर भरूचा द्वारा उठाये गये प्रश्न को लेता हूं । उन्होंने कहा है कि 'बुकपोस्ट' और डाक द्वारा भेजी जाने वाली अन्य वस्तुओं के लिये आवश्यक आठ नये पैसे के टिकटों की भारी कमी है । मैं उन्हें याद दिला दूं कि बुकपोस्ट की दर छै: नये पैसे से बढ़ा कर आठ नये पैसे सितम्बर, १९५७ में ही की गई थी ।

हमने १४ नवम्बर को ही बच्चों के टिकटों के रूप में आठ नये पैसे के तीन करोड़ टिकट डाकघरों में रखे थे । इसके अतिरिक्त, छै: और दो नये पैसों के टिकट भी यथेष्ट परिमाण में सुलभ थे । ऐसे अवसर हम बहुधा एक से अधिक टिकट लगाते भी हैं ।

मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहे हैं , और जल्द ही आठ नये पैसों के टिकटों की अपेक्षित संख्या जारी की जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

***अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाला गया ।

दूसरा प्रश्न यह उठाया गया था कि कुछ डाकघरों में डाक सम्बन्धी फ़ार्मों की बड़ी कमी रहती है। डाक-तार विभाग में विभिन्न कार्यों के लिये लगभग २,००० विभिन्न फ़ार्म हैं। हमने इनकी दो श्रेणियां बना दी हैं—अत्यावश्यक और अनावश्यक। पहली श्रेणी में ८०० फ़ार्म आते हैं और दूसरी में १,२००। अत्यावश्यक फ़ार्म सरकारी मुद्रणालयों में छपते हैं, और हम कभी भी उनकी कमी नहीं पड़ने देते। जरूरत के लिये, या किसी आपातकाल के लिये हम उनका पृथक् स्टाक भी रखते हैं। इतना ही नहीं हमने सर्किलों के प्रधानों, बड़े पोस्टमास्टरों और डाक सेवा निदेशकों को यह अधिकार भी दे रखा है कि वे कुछ विशेष फार्मों की छपाई पर ५,००० रुपये तक ख़र्च कर सकते हैं। इन फार्मों की छपाई के लिये आवश्यक काग़ज़ भी हमने उन्हें दे दिया है। मैं माननीय सदस्य के प्रति कृतज्ञ रहूंगा यदि वे इन फ़ार्मों की कमी के किसी मामले विशेष की ओर सम्बन्धित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करें। वह उनका लोक-कर्त्तव्य भी होगा।

†**श्री नौशीर भरूचा :** यह एक पुरानी बात है; और मैंने इसके बारे में कई बार शिक़ायत की है।

†**श्री राज बहादुर :** माननीय सदस्य को यह भी नहीं भूलना चाहिये कि इधर के कुछ वर्षों में डाकघरों की संख्या २२,००० से बढ़ कर ५६,००० हो गई है; साथ ही, डाक द्वारा भेजी जाने वाली चीज़ों का परिमाण भी यदि चार नहीं तो तीन गुना बढ़ ही गया है। साक्षरता बढ़ने और राष्ट्रीय आर्थ-व्यवस्था का विकास होने के साथ-साथ डाक तथा तार कार्यालयों के कार्य में भी वृद्धि होती जायेगी। मुद्रणालयों और डाकघरों को उसी अनुपात में अपनी गति भी बढ़ानी पड़ेगी।

श्री भक्त दर्शन ने राष्ट्रीय राजपथों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश को किये गये आवंटन की अपर्याप्तता का उल्लेख किया है। १९५७-५८ में हमने कुल मिलाकर ८·६० करोड़ रुपयों का आवंटन किया है, और उसमें से राष्ट्रीय राजपथों के लिये उत्तर प्रदेश को ७८·७० लाख रुपये दिय गये हैं। मैं समझता हूं कि यह सर्वथा उचित है। इसके अतिरिक्त, हमने उत्तर प्रदेश को अन्तर-राज्यिक सड़कों के लिये ६० लाख रुपये और भी दिये हैं। इसलिये, हम पर उत्तर प्रदेश की उपेक्षा करने का लांछन लगाना उचित नहीं होगा।

श्री भक्त दर्शन के अपने ज़िले के लिये भी, उन्होंने जिस सड़क का उल्लेख किया है उसी के लिये राज्य सरकार को १·७७ लाख रुपयों का आवंटन किया गया है। यह दूसरी बात है कि राज्य सरकार ने चालू वर्ष के लिये २·४३ लाख रुपये की मांग की थी। अतिरिक्त निधियां भी जल्द ही दे दी जायेंगी।

एक माननीय सदस्य ने गोआ रोड़ का उल्लेख किया था। उसे गोआ रोड़ नहीं कहा जाता है। वह वैस्ट कोस्ट रोड (पश्चिमी तटीय सड़क) कही जाती है। उन्होंने उस सड़क के रत्नागिरि हिस्से के बारे में कहा था। वह राष्ट्रीय राजपथ नहीं है। लेकिन फिर भी, केन्द्रीय सरकार ने उसके निर्माण और उसके खर्च का दायित्व अपने ऊपर ले लिया है। उसकी अनुमति लागत दस करोड़ रुपये है, लेकिन स्पष्ट ही विदित कारणों से हम १९५६-५७ में ३० लाख रुपये से अधिक नहीं दे पाये हैं। यह वास्तव में खर्च कर दिया गया था। १९५७-५८ का अनुमित व्यय ४० लाख रुपये है। वित्तीय स्थिति में सुधार होते ही, हम इस सड़क के लिये और अधिक राशि देंगे।

आगरा-शमसाबाद-फ़िरोज़ाबाद सड़क को राष्ट्रीय राजपथ नहीं कहा जा सकता। माननीय सदस्य शायद यह चाहते हैं कि उस सड़क पर कुछ पुल बना दिये जायें।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : उसे कम से कम अन्तर-राज्यिक सड़क और आर्थिक महत्व की एक सड़क तो घोषित कर ही देना चाहिये ।

†**श्री राज बहादुर** : मैंने माननीय सदस्य को मुलाकात के समय आश्वस्त कर ही दिया था कि हम उसपर विचार कर रहे हैं। सम्बन्धित राज्य—उत्तर प्रदेश और राजस्थान —सरकारों द्वारा कोई निर्णय करते ही हम उसके सम्बन्ध में कुछ अवश्य करेंगे। अधिकांशतः तो वह राज्य सरकारों पर ही निर्भर है ।

विरोधी दल के कई माननीय सदस्यों ने अन्तरिम सहायता की अपर्याप्तता के बारे में कहा था। इस सम्बन्ध में, मैं आपको याद दिला दूं कि गतवर्ष जुलाई-अगस्त की उथल-पुथल के बाद एक वेतन आयोग नियुक्त किया गया था। वह अन्तरिम सहायता के प्रश्न पर विचार कर रहा है। श्री नाथपाई को विदित होगा कि सभी संघों और उनके प्रतिनिधियों को आयोग के सामने अपनी बातें कहने का पूरा अवसर दिया गया था। वेतन आयोग के सामने सरकारी कर्मचारियों के निकायों—डाक-तार कर्मचारियों के राष्ट्रीय फेडरेशन, असैनिक उड्डयन विभाग के कर्मचारियों के संघ, भारतीय रेलवे कर्मचारी राष्ट्रीय फेडरेशन, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग कर्मचारी संघ, भारत सरकार के मुद्रणालय कर्मचारी फेडरेशन और अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी फेडरेशन—ने प्रतिनिधित्व किया था। इन सभी पर विचार करने के बाद ही, आयोग ने यह निर्णय किया था कि वर्तमान परिस्थिति और आयोग के निर्देश-पदों को देखते हुये, पांच रुपये की अन्तरिम सहायता पर्याप्त होगी।

हमें ऐसे मामलों में, अन्य मामलों की भांति ही, आयोग के निर्णय को मानना ही पड़ता है। संघों ने ही नये वेतन आयोग की मांग की थी, और उनके आग्रह पर ही यह मामला आयोग को सौंपा गया था। आयोग के सभापति उच्चतम न्यायालय के एक प्रमुख न्यायाधीश हैं। मैं समझता हूं कि इसमें यही गारंटी पर्याप्त होनी चाहिये कि आयोग विभिन्न रायों पर विचार करेगा। निर्णय हो चुकने के बाद तो हम केवल उसे स्वीकार ही कर सकते हैं। हमने ही तो उस निकाय की नियुक्ति की है।

वेतन आयोग की स्थापना की मांग रखी जाने का एक कारण यह भी था कि मूल्यों में वृद्धि हो रही है। यदि माननीय सदस्य अब मूल्यों की प्रवृत्ति देखें तो उन्हें पता लगेगा कि अब मूल्यों में गिरावट आने लगी है। पिछले दो-तीन सप्ताहों के दौरान में तो मूल्य-देशानांक १९५३ के स्तर तक पहुंच चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में, वेतन आयोग के निर्णय से असहमत होना कठिन है। वेतन आयोग ने सभी बातों का ध्यान रखकर ही यह निर्णय किया है। इस मामले में निर्णय हो चुकने और उसकी घोषणा के बाद भी, उस अन्तरिम सहायता के क्षेत्र में वृद्धि की गई है। उसे २५० रुपये तक के वेतन भोगियों के स्थान पर, ३०० रुपये तक के वेतन भोगियों पर लागू कर दया गया है।

†**श्री नाथ पाई** : माननीय मंत्री ने मूल्यों के देशनांकों का उल्लेख किया है। मैं जनवरी १९५८ के रक्षित बैंक बुलेटिन का उद्धरण आपके सामने रखता हूं।

†**श्री राज बहादुर** : मैं इसी सम्बन्ध में बिलकुल ही दूसरे आंकड़े भी प्रस्तुत कर सकता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री इस हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसलिये माननीय सदस्य आगे न बढ़ें। एक समय में एक ही सदस्य बोल सकते हैं।

†**श्री राज बहादुर** : अब मैं प्रदर्शन की बात को लेता हूं। इस सम्बन्ध में मुझे एक बात कहनी है। इस सभा के सदस्यों को चाहे वे किसी भी दल या विचारधारा के हो, यह निश्चय करना चाहिये

---

†मूल अंग्रेजी में ।

कि असैनिक सेवाओं के सम्बन्ध में, औद्योगिक कर्मचारियों के बारे में नहीं, हमारा क्या कर्त्तव्य है। क्या हम उनके संघों को बिल्कुल राजनैतिक दलों के रूप में बढ़ने दें ? उनके राजनैतिक कार्यक्रमों को चलने दें ? या हम इन संघों को असैनिक कर्मचारियों के हित के लिये काम करने की अनुमति दें ताकि कर्मचारियों के काम की दशा तथा अन्य बातों का सुधार हो। हमें एक बार निर्णय कर लेना चाहिये कि हम सरकारी विभागों में राजनैतिक दलबन्दी नहीं होने देंगे। हम इन संघों को उचित सीमा के भीतर काम करने देंगे। उन्हें राजनैतिक दल के रूप में नहीं फैलने देंगे।

इस सम्बन्ध में एक नया आदेश है। यह आदेश गृह-कार्य मंत्रालय ने निकाला है। यह इस प्रकार है :—

> "कोई सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा सम्बन्धी शर्तों से सम्बद्ध किसी प्रदर्शन या किसी प्रकार की हड़ताल में भाग नहीं लेगा।"

दूसरे आदेश में पहले आदेश का स्पष्टीकरण किया गया है। एक खण्ड के प्रधान ने पूछा था : किन-किन बातों को प्रदर्शन माना जायेगा। दूसरा आदेश मैं पढ़कर सुनाता हूं। इन कामों को प्रदर्शन समझा जाये, " 'भूखे डाकिये' बिल्ले पहनना, जलूस निकालना, नारे लगाना और ऐसी सार्वजनिक सभायें करना जिनमें साधारण जनता भाग ले।" क्या ये बातें प्रदर्शन नहीं हैं ?

'भूखे डाकिये' यह बिल्ला लगाकर आप क्या वातावरण पैदा करना चाहते हैं। क्या सरकारी कर्मचारियों के कार्मिक संघ को चलाने का यही तरीका है ? कार्मिक संघवाद और राजनीति में बहुत अन्तर है। यह सिद्धांत हमें हमेशा के लिये समझ लेना चाहिये। डाक-तार कर्मचारियों की सार्वजनिक सभाओं को लीजिये। यह बात सिद्धांत रूप से मान ली गई है कि वे अपनी सभा डाकघर की सीमा के भीतर या डाक विभाग के किसी अन्य भवन की सीमा में, वहां काम करने वालों के काम में बाधा न पहुंचाते हुये, कर सकते हैं। यदि कोई सभा किसी खुले मैदान में होती है तो हर आदमी उसमें जाकर सम्मिलित हो सकता है और इस प्रकार वह सभा एक सार्वजनिक सभा हो जायेगी।

'आपत्तिजनक इश्तहार निकालना', सामान्य जनता के नाम खुली चिट्ठी निकालना" ये सब बातें प्रदर्शन नहीं है तो क्या हैं ?

'नारे लगाते हुए मंत्री से मिलने के लिये जाना' यह क्या है। मंत्री से मिलने जाने में नारे लगाने की क्या आवश्यकता है ? सामान्य प्रदर्शन और इसमें क्या अन्तर है ? यदि इस सम्बन्ध में कोई निश्चित सिद्धांत नहीं अपनाये जायेंगे तो ठीक प्रकार काम नहीं चलाया जा सकता। यदि आप चाहते हैं कि लोकतंत्र सफलतापूर्वक व प्रभावशाली ढंग से चले तो हमें आचरण सम्बन्धी कुछ सिद्धांत अवश्य अपनाने पड़ेंगे। बिना अनुशासन के कोई प्रगति नहीं हो सकती। यदि हम इन सिद्धांतों को स्वीकार कर लेते हैं तो, उन गतिविधियों को देखते हुए जिन्हें प्रदर्शन बताया गया है, संघों या अन्य संस्थाओं के प्रति यह कोई अन्याय या उनके अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होगा। मुझे इससे अधिक कुछ भी नहीं कहना है।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : मुझे कुछ भी नहीं कहना है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वित्त उपमंत्री वाद-विवाद का उत्तर देंगे।

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं केवल एक दो बातें कहना चाहता हूं।

श्री भक्त दर्शन ने कहा कि अनुपूरक मांगें बहुत देर से उपस्थापित की जाती हैं और इस बात की सावधानी रखी जाये कि ऐसी मांगों की आवश्यकता न पड़े। हमारी वित्तीय प्रक्रिया ऐसी है कि किसी

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री ब० रा० भगत]

राशि के स्वीकृत होने के बाद उसके वास्तविक भुगतान में कुछ समय लग जाता है। चाहे वह खाद्यान्नों के आयात की बात हो या प्रतिरक्षा भंडारों के खरीदने की बात हो। ऐसे खर्चों के बारे में पहले से अनुमान लगाना बहुत कठिन होता है और यदि खर्च अधिक होता है तो उसके लिये हमें सभा की स्वीकृति लेनी पड़ती है। यदि ऐसा न किया जाये तो यह सब असवैधानिक हो जाये। हम इस सम्बन्ध में पूरी सावधानी रखते हैं, फिर भी व्यय में अधिकता हो ही जाती है। व्याख्यात्मक टिप्पणी में प्रत्येक मामले के लिये बताया जाता है कि इन मांगों के बारे में पहले से अनुमान क्यों नहीं लगाया जा सका।

दूसरा प्रश्न आय-व्ययक के हिन्दी में होने के बारे में है। गत वर्ष बहुत कठिनाई से हम हिन्दी में आय-व्ययक तैयार कर पाये थे। इससे पता लगता है कि हम अपने प्रकाशन को हिन्दी में निकलवाने के लिये कितने इच्छुक हैं। पर इसमें बहुत-सी कठिनाइयां हैं: संसाधनों का सीमित होना और हमारी क्षमता। हमें हिन्दी जानने वाले व्यक्तियों को ढूंढ़ना ही नहीं पड़ता बल्कि उन्हें एक विशेष प्रकार के काम का प्रशिक्षण भी देना पड़ता है। हमें काफी कठिनाई होती है। हम इस सम्बन्ध में कोई वादा तो नहीं कर सकते पर इस सम्बन्ध में हम जो कुछ भी कर सकेंगे अवश्य करेंगे।

अब मैं नासिक सुरक्षा प्रेस की बात को लेता हूं। श्री जाधव ने प्रेस के संचालन सम्बन्धी ब्यौरों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि प्रेस में चोरियां हुई थीं। पर केवल कर्मचारियों की ही तलाशियां क्यों ली गईं, अफसरों की क्यों नहीं? यह सब ब्योरे की बातें हैं। हम माननीय सदस्य को विश्वास दिलाते हैं कि काग़ज़ की चोरी के मामले की छान-बीन हो रही है। इसी प्रकार उन्होंने कागज की बरबादी का भी ज़िक्र किया। कभी-कभी जब कागज को खोल कर देखा जाता है तो वह खराब निकलता तो उसे काटना पड़ता है। अतः इस प्रकार की बरबादी तो अपरिहार्य है। हम इसमें कमी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि कागज की कतरन को बेच दिया जाया करे पर इस प्रकार यह डर रहेगा कि इस कतरन को कहीं जाली टिकट बनाने के काम में न इस्तेमाल कर लिया जाये। ये बातें हैं ब्यौरेवार। जो सुझाव दिये गये हैं हम उनका स्वागत करते हैं।

आखिरी बात हड़ताल के सम्बन्ध में थी। मैं समझता हूं कि इसकी चर्चा करने के लिये यह उचित अवसर नहीं था। हड़ताल चल नहीं रही है। मुझे खेद है कि ऐसी हड़ताल हुई। मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं कि हड़ताल अपरिहार्य नहीं थी। मैं समझता हूं कि अच्छा होता यदि वह कार्मिक संघ, माननीय सदस्य जिसके प्रतिनिधि हैं, अधिक तर्कयुक्त होती।

समझौते की बात-चीत करने के लिये हम हमेशा तैयार हैं पर बात यह है कि उन्होंने हड़ताल की धमकी दी। हमने कहा कि यदि हड़ताल वापस ले ली जाये तो हम साथ बैठकर बातों पर विचार करने को तैयार हैं। सच पूछा जाय तो पहले भी साथ बैठ कर हमने समस्याओं पर विचार किया था। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पूर्व वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी वहां गये थे और उन्होंने दोनों संघों के मामलों के बारे में बात-चीत की और वे लगभग किसी समझौते पर पहुंच गये हैं।

केवल एक ही बात है। वह यह कि काम के घंटे घटाकर ४८ से ४४ कर दिये जायें। सिद्धांत की दृष्टि से हम इस बात से सहमत हैं। पर माननीय सदस्य का भी कुछ उत्तरदायित्व है और उन्होंने कहा था कि इस कमी से उत्पादन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

†**श्री नाथ पाई**: ठीक है, हमने कहा था कि यदि इस उपक्रम में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को काम के घंटे समान कर दिये जायेंगे तो कर्मचारी अतिरिक्त काम करना भी पसन्द करेंगे ताकि उत्पादन में कमी न होने पावे। पर अतिरिक्त काम के लिये उन्हें मंजूरी दी जानी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री ब० रा० भगत :** माननीय सदस्य ने पहले जो बात की और इस समय जो कह रहे हैं उसमें अन्तर है। उन्होंने उस समय यही कहा था कि उत्पादन कम नहीं होगा।

एक बात यह कही गई थी कि यदि ४४ घंटे के बजाय ४८ घंटे मशीनें चलाई जायेंगी तो इन मशीनों पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस बात को मानने के लिये हम तैयार हैं। पर मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे वहां ऐसा वातावरण उत्पन्न करें जिसके कारण घंटे की कमी करने के बाद भी उत्पादन पर बुरा असर न पड़े। यदि ऐसा हो जाये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें राष्ट्रीय हित है और कोई विवाद की बात भी नहीं है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** कटौती प्रस्ताव ३१ और ३२ अनियमित हैं। इसी आधार पर कटौती प्रस्ताव संख्या ५२ और ६२ भी अनियमित हैं। अन्य कटौती प्रस्तावों को मैं एक साथ मतदान के लिये रखूंगा।

शेष सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुई :–

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
१	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	४,२५,०००
२	उद्योग	१,१६,०६,०००
३	नमक	४,२९,०००
५	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	१३,३८,०००
८	प्रतिरक्षा मंत्रालय ...	१,६१,०००
९	प्रतिरक्षा सेवायें—क्रियाकारी-सेना ...	७,७२,५६,०००
११	प्रतिरक्षा सेवायें—क्रियाकारी-वायु बल	८,३४,८९,०००
१२	प्रतिरक्षा सेवायें—अक्रियाकारी व्यय ...	४८,६४,०००
२४	वैदेशिक कार्य	७,४०,०००
२६	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अन्तर्गत विविध व्यय	७१,०००
३२	स्ताम्प	४०,६४,०००
३४	चलमुद्रा	१६,३९,०००
३५	टकसाल	७६,०३,०००
३७	वार्धक्य भत्ते तथा निवृत्ति-वेतन	२५,००,०००
४१	विभाजन-पूर्व के भुगतान	१९,४२,०००
४६	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय	३,५२,१७,०००
५५	जनगणना	२,७०,०००
६३	गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	१,०००
६७	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय ...	२,४८,०००
७९	खान	१०,४४,०००
८१	इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय	१२,८२,७४,०००
८३	भारतीय डाक तथा तार विभाग (कार्यवहन व्यय सहित) ...	१,२०,००,०००

†मूल अंग्रेजी में।

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
९०	संचार (राष्ट्रीय राजपथ सहित)	९,४१,०००
९३	सम्भरण ...	९,६६,०००
९४	अन्य असैनिक कार्य	३,३८,७०,०००
९५	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	५३,००,०००
१०६	प्रतिरक्षा पूंजी व्यय (वैदेशिक-कार्य मंत्रालय)	२,९१,९४,०००
१०८	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	१६,६४,०००
११२	निवृत्ति वेतनों का राशिकृत मूल्य	३,१६,०००
११७	खाद्यान्नों का क्रय	३८,४८,००,०००
१२३	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	१,०६,००,०००
१२५	पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय ...	१,०००
१२६	इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय का पूंजी व्यय	१,०००
१२७	भारतीय डाक तथा तार का पूंजी व्यय ...	१,००,००,०००
१३०	सड़कों पर पूंजी व्यय	१,५०,००,०००

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

चौदहवां प्रतिवेदन

†**श्री प्रेमथनाथ बनर्जी** (कण्टई) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के चौदहवें प्रतिवेदन से, जो सभा में २० फरवरी, १९५८ को उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के चौदहवें प्रतिवेदन से, जो सभा में २० फरवरी, १९५८ को उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक*

†**श्री नलदुर्गकर** (उस्मानाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री नलदुर्गकर** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

---

*भारत के असाधारण गजट भाग २, अनुभाग २, दिनांक २१-२-५८ में प्रकाशित ।

†मूल अंग्रेजी में ।

वृद्धावस्था विवाह रोक विधेयक*

†**श्री मोहन स्वरूप** (पीलीभीत) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वृद्धावस्था में विवाह पर रोक लगाने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वृद्धावस्था में विवाह पर रोक लगाने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री मोहन स्वरूप**: मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

समय निर्धारण में वृद्धि के बारे में प्रस्ताव

†**श्री राधा रमण** (चांदनी चौक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि २३ अगस्त, १६५७ को सभा ने स्त्रियों के साथ छेड़-छाड़ के लिये दण्ड सम्बन्धी विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिये जो समय निर्धारित किया था उसे २ घंटे से बढ़ाकर ३ घंटे कर दिया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि २३ अगस्त, १६५७ को सभा ने स्त्रियों के साथ छेड़-छाड़ के लिये दण्ड सम्बन्धी विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिये जो समय निर्धारित किया था उसे २ घंटे से बढ़ाकर ३ घंटे कर दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

स्त्रियों के साथ छेड़-छाड़ के लिये दण्ड सम्बन्धी विधेयक—(जारी)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री राधा रमण द्वारा २० दिसम्बर, १६५७ को प्रस्तुत किये गये स्त्रियों के साथ छेड़-छाड़ करने का अपराध करने वाले व्यक्तियों को दण्ड देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा करेगी ।

इस विधेयक के लिये निर्धारित ३ घंटे के समय में १ घंटा ७ मिनट खर्च हो चुका है । १ घंटा ५३ मिनट शेष हैं ।

श्री वें० प० नायर ।

†**श्री वें० प० नायर** (क्विलोन) : श्री राधा रमण के इस विधेयक को मैंने ध्यान से पढ़ा है । वह चाहते हैं कि स्त्रियों के साथ छेड़-छाड़ करने वाले व्यक्तियों को काफी दण्ड दिया जाये । पर मेरा अनुमान है कि शायद उन्होंने दण्ड संहिता का अध्ययन अच्छी तरह नहीं किया है । भारतीय दण्ड संहिता में स्त्रियों के साथ छेड़-छाड़ करने वाले के लिये काफी उपबन्ध है । इस विधेयक में जो उपबन्ध रखे गये हैं उनसे अधिक विस्तृत व्यवस्था दण्ड संहिता में की गयी है । दण्ड संहिता में इसके लिये दो वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों की व्यवस्था है पर श्री राधा रमण जी के विधेयक में १५ वर्ष की सजा

---

*भारत के असाधारण गजट भाग २, अनुभाग २, दिनांक २१-२-५८ में प्रकाशित ।

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री वें० प० नायर]

व १०,००० रुपये तक जुर्माने की बात कही गयी है। यह बहुत अधिक है। फिर भी राधा रमण के विधेयक में साधारण कारावास व कठोर कारावास का कोई भेद नहीं किया गया है। क्या सब को कठोर कारावास दिया जायेगा? "एक मुस्कराहट की सजा १५ वर्ष का कठोर कारावास" बात कुछ उचित नहीं है। फिर इस बात के लिये सबूत भी नहीं मिल सकेगा कि वह मुस्कराहट अशिष्ट थी या नहीं। दण्ड संहिता में सभी प्रकार के ऐसे अपराधों के लिये दण्ड की व्यवस्था है। ऐसे छोटे-छोटे अपराधों के लिये इतना दण्ड देना ठीक नहीं।

मैं समझता हूं कि स्त्रियों के छेड़-छाड़ की समस्या कोई ऐसे भीषण रूप में नहीं है कि इस प्रकार का विधेयक पारित किया जाये। दण्ड संहिता के उपबन्ध पर्याप्त हैं। अतः श्री राधा रमण को अच्छी प्रकार विचार करके अपना विधेयक वापस ले लेना चाहिये।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** (नवद्वीप) : यह विधेयक स्त्रियों की सुरक्षा के लिये है। पर यदि आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि खण्ड (२) में जिन अपराधों का उल्लेख है उनका स्पष्टीकरण नहीं किया गया है कि कौन-कौन से कृत्य इन अपराधों में सम्मिलित माने जायेंगे। इस प्रकार के अन्य भी अधिनियम हैं जिनमें स्त्रियों को संरक्षण दिया गया है। छेड़-छाड़ के सम्बन्ध में मेरा विचार है कि सामान्य जनता की भावना में परिवर्तन होना चाहिये।

कानून से यह बात कम नहीं की जा सकती। आप सोचने की कोशिश करें कि इस छेड़-छाड़ का मुख्य कारण क्या है। इसका कारण गांवों आदि में मनोरंजन के साधनों की कमी हैं। कुछ लोगों का विचार है कि औरतें स्वयं इस छेड़-छाड़ की घटनाओं के लिये उत्तेजक है क्योंकि वे बहुत सुन्दरता से अपना शृंगार करती हैं। पर मैं यह नहीं मानती। हमारे यहां सौंदर्य प्रसाधन एक पुरानी कला है। मुख्य बात तो यह है कि हमें अपने देश की स्थिति को काफी मजबूत बनाना चाहिये ताकि उनमें आत्मविश्वास व बल पैदा हो। यदि उनमें बल व आत्मविश्वास होगा तो उन्हें कोई भी नहीं छेड़ेगा।

दफ्तरों में काम करने वाली बाहर से आने वाली लड़कियों के लिये रहने की ठीक व्यवस्था कराई जानी चाहिये। उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में हमें विदेशों से कोई प्रेरणा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे महाभारत में त्रिचांगदा का रूप देखिये कैसे बताया गया है :—

प्रेम बले तिनी माता।
बाहु बले तिनी माता॥

हमें इसी आदर्श पर भारतीय स्त्रियों का सम्मान करना चाहिये।

देवो नहि नहि आभी सामान्य रमणी।
पूजा करि राखिये मां बाप से अभि नहि॥
अवहेला करि पुशिया राखिए।
पीछे से आमि नही॥

हमें यह समझना चाहिये। अतः विचारों को ऊंचा बना कर यह सब कुछ रोका जा सकता है। कानूनों के सहारे नहीं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य की बात पर मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने पूछा कि यह बात किस आधार पर कही जा रही है कि औरतों के साथ छेड़-छाड़ करने के अपराध बढ़ रहे हैं। इसका उत्तर तो यह है कि उन्हें इसके लिये अंग्रेजी अथवा किसी भी अन्य भाषा के

---

†मूल अंग्रेजी में।

अखबार देखने चाहियें। यह रोग केवल भारत में ही नहीं प्रत्युत संसार के अन्य देशों में भी खूब फैल रहा है। और यह भावना जोर पकड़ रही है कि औरत को आज के समाज में उतना समुचित आदर नहीं मिल रहा है जितना कि उन्हें मिलना चाहिये। इस सब का कारण एक नई मनोवैज्ञानिक विचारधारा है। उसका ही प्रभाव है कि आज मर्द और औरत में समुचित समन्वय नहीं हो रहा है। यह भी कहा गया है कि यह रोग शहरों में है, देहातों में नहीं। परन्तु मैं यह बात नहीं मानता, देहातों में तो औरतों के प्रति और भी बुरा व्यवहार होता है। और इस व्यापक सामाजिक समस्या के प्रति सचेत होने के कारण, और इस सम्बन्ध में विधेयक प्रस्तुत करने के उपलक्ष में मैं श्री राधा रमण को बधाई देता हूं।

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि नर-नारी की समस्या के बारे में जनता को सचेत करने की काफी गुंजाइश है। यह मामला कानून से हल नहीं होगा इसके लिये लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता है। सार्वजनिक संस्थाओं और शिक्षा संस्थाओं द्वारा इस दिशा में सुधार किया जाना चाहिये। लोगों को शिष्ट व्यवहार की पूरी शिक्षा दी जानी चाहिये, शिक्षकों को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिये कि नई पीढ़ी के पुरुष और स्त्रियों को परस्पर कैसा व्यवहार और शिष्टाचार बरतना आवश्यक है। यह समस्या केवल हमारे देश तक ही सीमित नहीं है प्रत्युत सारे विश्व की समस्या है और इसके प्रति विशेष सचेत रहना ही चाहिये।

घरों में भी बच्चे और बच्चियों को ऐसे अवसर देने चाहियें कि वे परस्पर एक दूसरे को समझ सकें। इस दिशा में शिक्षा और पथ-प्रदर्शन का काम समाज कल्याण बोर्ड कर रहा है। इसकी शाखायें शहरों के अतिरिक्त ग्रामों में भी हैं। अन्य संस्थायें भी इस समस्त कल्याण के कार्य को हाथ में ले सकती हैं। हमारे देश की स्त्रियों को चाहिये कि वे अपने शरीर तथा मन को इतना मजबूत बनायें कि इस प्रकार के व्यवहार का शिकार आसानी से न हो जायें। प्रधान मंत्री ने भी ठीक ही कहा था कि वे नहीं चाहते कि हमारे देश की महिलायें 'अबला' न कही जायें बल्कि सबला बनें। यह ठीक ही है और हमें भी यही दृष्टिकोण अपनाना चाहिये।

एक बात यह है कि श्री राधा रमण ने 'छेड़-छाड़' की बहुत ही अजीब व्याख्या की है और बहुत-सी बातों को इसमें एक साथ ही लेने की कोशिश की है। सामाजिक विधान क लिये ऐसा करना उचित नहीं दिखाई देता। सामाजिक विधान सरल और सीधा लक्ष्य होना चाहिये ताकि लक्ष्य की प्राप्ति सरल हो।

[**श्रीमती रेणू चक्रवर्ती** पीठासीन हुई]

इस विधेयक का सबसे बड़ा दोष यह है कि १५ वर्ष की कैद और १०,००० रुपया जुर्माना की बात कही गई है। यह विधेयक को हास्यास्पद बना देती है। रोकथाम करने की बात ठीक है, परन्तु सीमा से बाहर जाना भी कोई उत्तम बात नहीं है।

मैं गृह-कार्य उपमंत्री से जो कि एक महिला हैं, प्रार्थना करता हूं, कि उनके मंत्रालय को इस समस्या की ओर भी ध्यान देना चाहिये और मैं श्री राधा रमण से अपील करूंगा कि उन्हें विधेयक वापिस ले लेना चाहिये। यह बात समझ में आ गई है कि इस समस्या की उपेक्षा नहीं की जा सकती, परन्तु इसका हल करने के लिये कानून के साथ-साथ शिक्षा में भी सुधार करना होगा।

श्रीमती कृष्णा मेहता (जम्मू तथा काश्मीर) : सभानेत्री जी, श्री राधा रमण द्वारा जो बिल पेश किया गया है वह मेरे विचार में बहुत महत्व रखता है। ऐसी कोई व्यवस्था होनी ही चाहिये जिससे कि इन हरकतों पर कुछ रोक हो सके।

[श्रीमती कृष्णा मेहता]

माना कि भारतीय दण्ड विधान में इसके लिये काफी व्यवस्था है परन्तु छोटे-मोटे अपराध इतने होते हैं कि उनके लिये जनता चाहती है कि कुछ न कुछ प्रबन्ध होना चाहिये । इस बिल में १५ वर्ष की सजा तथा १० हजार रुपया जुर्माना की सजा की व्यवस्था की गयी है । यह तो बड़े-बड़े अपराधों के लिये होना चाहिये । परन्तु प्रतिदिन छोटी-मोटी ऐसी घटनायें होती रहती हैं जिनका सबूत देना बहुत कठिन होता है लेकिन उन बुराइयों को दूर करने के लिये कुछ न कुछ कदम तो उठाना ही चाहिये ताकि जनता का इनसे बचाव हो सके । मैं नहीं जानती कि इन बुराइयों को दूर करने के लिये कानून कहां तक लाभदायक होगा । मैं तो चाहती हूं कि महिलाओं को अपने में फिर से वह शक्ति पैदा करनी चाहिये जिससे कि ये बुराइयां दूर हों ।

आजकल महिलाओं से ज्यादा लड़कियों को इन चीजों का मुकाबला करना पड़ता है क्योंकि उनको पढ़ाई के लिये और काम-काज के लिये ज्यादा बाहर निकलना पड़ता है । वे इन हरकतों से बहुत परेशान हैं । उन्हें रक्षा की जगह अपमान मिलता है । जहां उन्हें रक्षा की आशा होती है वहां उनको अपमान मिलता है । वे अपनी परम्परा के अनुसार किसी को कुछ कह नहीं सकतीं । समाज में भी कोई जगह नहीं है जहां वह जाकर अपनी बात कह सकें । और यह केवल एक जगह की बात नहीं है । भारत के अनेक हिस्सों में ऐसा होता है । लड़कियां कहीं मेले में या भीड़-भाड़ में और मनोरंजन के स्थानों में जाने से घबराती हैं । मैं समझती हूं कि उनको उन स्थानों में जाना ही चाहिये । वे अगर वहां जाती हैं तो मन कड़ा करके जाती हैं । होता यह है कि उन्हें वहां अपमानजनक शब्द सुनने पड़ते हैं । कहीं-कहीं देखा गया है कि बस के स्टेंडों पर और साइकिल पर चलते हुए उनसे अपमानजनक शब्द कहे जाते हैं । यहां तक कि अपमानजनक हरकतों से वे बड़ी परेशान हैं । अगर वे कहीं घूमने या दुकानों में जाती हैं तो उनका पीछा किया जाता है । और झुंड के झुंड उनके पीछे रहते हैं । वे बेचारी कहां जायें और किससे कहें । मेरा विचार है कि इस चीज के कारण महिलाओं और पुरुषों के बीच एक खाई बनती जायेगी, भरोसे के स्थान पर शंका होगी, जोकि बड़ी घातक सिद्ध हो सकती है । थोड़े लोगों को छोड़िये, आम जनता इस चीज से परेशान है । कोई भी महिलाओं का अपमान होना पसन्द नहीं कर सकता । लेकिन कोई भी यह रास्ता नहीं ढूंढता कि इस बुराई को किस प्रकार दूर किया जाये । हमें सिर्फ लड़कियों की चिन्ता नहीं है । हमें लड़कों की भी चिन्ता करनी चाहिये कि उनका चरित्र कैसे ऊंचा उठेगा । आखिर उनका चरित्र भी ऊंचा उठना चाहिये । शिक्षित वर्ग को ऐसा करते देख कर गुंडों की बहुत ज्यादा हिम्मत बढ़ जाती है । इनमें छोटे-बड़े सभी उमर के लड़के होते हैं । यह चीज बहुत ज्यादा खतरनाक है ।

इन सब बातों को देखते हुए मैं यह नहीं कह सकती कि यह बिल इन बुराइयों को दूर करने में कहां तक सफल हो सकता है । हमें आखिर इन बुराइयों की जड़ को देखना चाहिये कि ये बुराइयां पैदा कहां से होती हैं और क्यों यह समाज में फैलती हैं । जब तक समाज इसकी पूरी तरह खोज नहीं करेगा तब तक हमें उम्मीद नहीं है कि ये बुराइयां दूर हो सकेंगी । ये हरकतें देखने और सुनने में तो छोटी मालूम होती हैं लेकिन लोगों से जाकर पूछिये, उन लड़कियों से जाकर पूछिये, उन महिलाओं से जाकर पूछिये जिन पर गुजरती है । मैं इसके लिये किसी को दोषी नहीं ठहराती लेकिन फिर भी समाज में जो बुराई है उसको दूर करने का कोई न कोई रास्ता ढूंढना चाहिये ।

एक वक्त था जब औरतें बहुत अच्छी तरह इन चीजों का मुकाबला करती थीं । उनको करना भी चाहिये क्योंकि उनको आगे देश का बहुत-सा काम संभालना है । लेकिन आज वह चीज हमसे बहुत दूर चली गयी है । अगर ऐसा न होता तो पिछले दस सालों में जो घटनायें घटीं वे न घटतीं । मैं नहीं कह सकती कि शिक्षा में फर्क आ गया है या किसी और चीज में, लेकिन मैं यह प्रार्थना करूंगी कि ऐसा कुछ जरूर होना चाहिये जिससे हमारे समाज से यह बुराई निकल जाये ।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : यद्यपि मुझे श्री राधा रमण की ईमानदारी पर पूर्ण विश्वास है, परन्तु मैं इस विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं समझता। ऐसी समस्याओं का हल विधानों से नहीं हो सकता। हमें इन समस्याओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। हमारे समाज की अवस्था क्या है? हम प्राचीन काल की बातें करते हैं परन्तु वह युग समाप्त हो चुका है अब हमें नये युग का निर्माण करना है। आज के युग के सामाजिक जीवन में बहुत प्रतिबन्ध है। यदि कोई लड़की-लड़के या स्त्री-पुरुष परस्पर मिलें तो यही समझ लिया जाता है कि यह आपस में विवाह करने वाले हैं। यह बात भी गलत है कि ग्रामों के मुकाबले में शहरों में स्त्री-पुरुषों के सम्बन्ध अच्छे हैं, क्योंकि शहरों के लोग अधिक सभ्य और सुशिक्षित होते हैं। इस प्रकार के विधेयकों की आवश्यकता बड़े गिरे हुए समाज में होती है।

स्वाभाविक मनोरंजन की भावना को दबाने से भी इस प्रकार के अपराध होते हैं। यदि प्रत्येक परिवार के पास एक रेडियो हो और सिनेमा इत्यादि जाने के अवसर मिलते रहें, तो स्वाभाविक मनोरंजन होता रहता है। इससे अस्वाभाविक दिशाओं की ओर मन जाता ही नहीं। हमारे समाज में पुरुष और स्त्री की परस्पर मिलने की स्वाभाविक वृत्ति को दबाया जाता है। लड़की से बात करना और मजाक करना पाप समझा जाता है। इससे स्वाभाविक भावनायें दबकर सामाजिक रोगों का कारण [illegible] जाती हैं। श्री राधा रमण को इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व ये सामाजिक बुराइयां दू[illegible] का प्रयत्न करना चाहिये। पश्चिमी देशों में इस सम्बन्ध में काफी क्रांति हो चुकी है। और वहां इस पुरानी पवित्रता का विचार नहीं रहा। इससे नर-नारी के सम्बन्ध वहां अच्छे हो गये हैं। हमारे यहां जबरदस्ती का और भयभीत करने का मार्ग अपनाया जाता है। लोग छुप-छुप के कई प्रकार के काम करते हैं। मेरा मत है कि यदि पुरुषों और स्त्रियों को परस्पर सम्पर्क स्थापित करने की पूर्ण स्वतन्त्रता दे दी जाये तो इस प्रकार की छेड़-छाड़ का चिन्ह भी कहीं दिखाई नहीं देगा।

हम अपने जीवन का मूल्य ही खो बैठे हैं। प्रोफैसर शर्मा ने ठीक कहा है कि लड़के-लड़कियों को व्यवहार संहिता की शिक्षा दी जानी चाहिये परन्तु क्या हमारे यहां कोई व्यवहार संहिता है। यदि श्री राधा रमण इस रोग का कारण स्कूलों-कालिजों के लड़के-लड़कियों की अनुशासन हीनता को समझते हैं तो वह भूल में हैं। लड़के-लड़कियों का सम्पर्क तो स्वाभाविक है। और केवल लड़के-लड़कियों में ही नहीं, यह दोष प्रोढ़ों में भी होता है। बूढ़े भी इस मामले में कई बार युवकों की नकल करते देखे गये हैं।

सजा की बात भी बड़ी विचित्र है, १५ वर्ष की कैद और १०,००० रुपया जुर्माना। ईश्वर ही बचाये। मैं इतना ही और कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को अस्वीकृत किया जाना चाहिये।

श्रीमती मिनीमाता (बलोदा बाजार—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : सभानेत्री महोदया, मैं इस बिल का स्वागत करती हूं। इससे जनता और महिला वर्ग का कितना भला हो सकता है, वह तो मैं नहीं कह सकती, परन्तु मैं चाहती हूं कि अपने संविधान के मुताबिक इस प्रकार के कुछ बिल महिलाओं के लिये होना आवश्यक है। मैं बहुत बड़ी-बड़ी बातों में नहीं जाना चाहती हूं। हमारे साथ और हमारी नौजवान लड़कियों के साथ जो छेड़खानी होती है, मैं उसके विषय में कुछ कहना चाहती हूं।

आप देखेंगे कि जितनी ही शिक्षा ज्यादा हो रही है, उतनी ही लड़कों के द्वारा लड़कियों को छेड़ने के मामलों में वृद्धि हो रही है। उसको एक फैशन बना लिया गया है। मैं यह कहना चाहती हूं कि इस बिल का अभिप्राय यह है कि जो आदमी लड़कियों और महिला-वर्ग के साथ छेड़खानी करें, उनको दण्ड

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्रीमती मिनीमाता]

दिया जाय, परन्तु इस सदन के वातावरण से ऐसा मालूम होता है कि औरतों को ही दण्ड दिया जाये, क्योंकि वे ज्यादातर श्रृंगार करती हैं। और शायद हमारे भाइयों के विचार में किसी युग में श्रृंगार नहीं था। क्या आप मानेंगे कि गए युगों में श्रृंगार कितना ज्यादा था ? और श्रृंगार को कितनी श्रेष्ठता दी गई थी, उसको शायद आप भूल गये हैं। उस युग में भी चेहरे पर लगाने के लिये और होंठ लाल करने के लिये पदार्थ होते थे। उस युग में भी लड़कियां उबटन लगाती थीं और बहुत श्रृंगार करती थीं। इस युग में समय कम होने के कारण श्रृंगार के लिये बनी बनाई चीजें मिलती हैं। मैं यह कहना चाहती हूं कि श्रृंगार करना कोई गुनाह नहीं है। श्रृंगार की चीजें भी अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिये उनको देते हैं। जो औरतें अपनी इच्छा से श्रृंगार करती हैं, वे सब अपने स्वार्थ के लिये ऐसा करती हैं। चारों युगों में औरतों के लिये श्रृंगार एक श्रेष्ठ चीज रही है।

हम यहां पर जनता के सेवक बन कर आये हैं और जबान से हम कहते हैं कि हम सेवक हैं, परन्तु हमारे साथ सेवा का नाता निभाने में--औरतों की सेवा और उनके हित के लिये कोई कार्य करने में--शायद हम आनाकानी करेंगे। जब इस सदन से हमको कोई आशा नहीं है, तो बाहर से यह आशा बहुत कम है। आज के युग में कहा यह जाता है कि महिलायें राष्ट्र की निर्माता हैं, परन्तु महिलाओं को प्रोत्साहन देने में उनकी प्रगति के लिये कोई कदम उठाने में और उनको बराबरी के अधिकार देने में हमारे भाई हिचकिचाते हैं। इसके मायने ये हैं कि वे हमको बराबरी में लेकर अपने राष्ट्र के लिये कार्य करने के लिये तैयार नहीं हैं।

इस बिल के बारे में मैं यह कहना चाहती हूं कि इसका पास होना निहायत आवश्यक है। यह ठीक है कि इससे कुछ होना जाना नहीं है और यह कानून बन जाये, तो वह लागू भी नहीं होगा। परन्तु मैं कहूंगी कि हमारे भाई साहबान अपनी भावनाओं को बदलें ताकि जो लोग हमारे प्रति अनादर का व्यवहार करते हैं, उनको ऐसा करने से रोका जा सके। आज कहीं अगर कोई लड़की साइकिल पर जाती है, तो उनको छेड़ने वाले दौड़ कर उसके केरियर पर चढ़ जाते हैं या धक्का मार कर उसको साइकिल से गिरा देते हैं। मैं ऐसे कई उदाहरण बता सकती हूं। हमारे पड़ौस में एक पंजाबी है, जिनकी तीन लड़कियां हैं। वे पढ़ने जाती हैं। कुछ लड़के उनके साथ छेड़खानी करते हैं। उनको समझाया गया है कि ऐसा नहीं करना चाहिये, पर वे नहीं मानते हैं। आखिर उन तीनों लड़कियों की पढ़ाई छुड़ानी पड़ी। यदि कोई लड़की शरमीली हुई और झेंपती हुई, तो इस वातावरण में तो उसका जीवन बरबाद हो जाता है। मैं को-एजूकेशन के खिलाफ नहीं हूं। मैं चाहती हूं कि को-एजूकेशन हो और हमारे महिला-वर्ग की आत्म-शक्ति सबल हो, ताकि वे बराबर के अधिकार प्राप्त कर सकें और बराबरी में पुरुषों के साथ मिलकर कार्य कर सकें और वे यह अनुभव न करें कि हम आदमियों के साथ काम कर रही हैं या औरतों के साथ। महिलाओं में यह शक्ति होनी चाहिये कि हमारे भाई औरतों के साथ अपनी बहिनों जैसा व्यवहार करें और यह समझें कि औरतों के साथ छेड़खानी करना हमारे राष्ट्र के लिये घातक है।

मैं जब गांवों में जाती हूं, तो देखती हूं कि गांव वाले अपनी लड़कियों को दूसरी तीसरी श्रेणी तक ही पढ़ाते हैं और फिर उन को स्कूल से छुड़ा लेते हैं। इस सम्बन्ध में वे साफ शब्दों में कहते हैं कि शहरों में नौजवान लड़कियां पढ़ती हैं और लोग उनके साथ छेड़खानी करते हैं, हमको यह नहीं सुहाता, हम इन को मार डालेंगे या मर जायेंगे। गांवों में अभी भी यह वाणी सुनी जाती है।

यह भी बहुत आवश्यक है कि हमारे विद्यार्थियों के चरित्र को ऊंचा करने के लिये स्कूलों में समोचित शिक्षा दी जाये, ताकि वे लड़कों और लड़कियों को बराबर समझें और उनको ऐसा अनुभव न हो कि लड़के और लड़कियां अलग-अलग कार्य करें और अलग-अलग कार्य करने में ही हम लोगों की सफलता है, बल्कि वे यह अनुभव करें कि हमारे बीच में कोई खाई नहीं है और हम सब बराबर हैं।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची--पश्चिमी--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां) : मैं विधेयक के कई अंगों का समर्थन करना चाहता हूं, परन्तु इसमें दोष भी हैं और लोग इसका अनुचित लाभ उठा सकते हैं। मेरे विचार में श्री राधा रमण को इस विधेयक का मसौदा फिर से तैयार करवाना चाहिये। मेरा मत है कि जिस समाज का मैं हूं उसमें पुरुषों को भी संरक्षण की आवश्यकता है। हमारे आदिम जाति समाज में मेल-जोल की काफी स्वतन्त्रता है। वहां अन्य भारतीय जातियों के मुकाबले में नैतिकता का स्तर काफी ऊंचा है। परन्तु वहां भी खतरा बढ़ रहा है। आज से कुछ वर्ष पूर्व जहां गुप्त रोगों का कोई नाम नहीं था, वहां आज यह रोग बढ़ रहे हैं। और जब भी कभी, किसी भी जगह गैर-आदिम जातियों के लोग आदिम जाति लोगों के सम्पर्क में आते हैं तो इस 'छेड़-छाड़' का खतरा बराबर लगा रहता है। इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि स्त्री और पुरुष के भेद-भाव पर जोर न देकर हमें सजा का निर्णय कृत्य को देखकर करना चाहिये।

श्री शर्मा ने युवकों की ही बातें अधिक की हैं, परन्तु मेरा ही नहीं, आम अनुभव यह है कि अविवाहित वयस्क इस मामले में अधिक खतरनाक सिद्ध होते हैं। दिल्ली जैसे स्थान में तो यह बातें बड़ी साधारण सी हैं। और यदि भारतीय दण्ड संहिता इस प्रकार के अपराधों के लिये काफी नहीं तो इस प्रकार का विधान होना ही चाहिये। परन्तु मैं अपने मित्र से यह कहूंगा कि उन्हें स्त्रियों के प्रति इतना अधिक उदार होने की जरूरत नहीं। २०वीं शताब्दी की स्त्रियां इतनी नर्म नहीं हैं। हमारे आदिम जाति समाज में तो महिलाओं का स्थान सबसे ऊंचा है। हम पिछड़े हुए लोग सही, परन्तु थोड़ा बहुत तो आप हमसे भी सीख सकते हैं। आज औरत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, और यदि उसे कार्य क्षेत्र में आना है, तो यह छेड़-छाड़ का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। श्री राधा रमण के दिमाग में पुरानी बातें घर कर गयी हैं।

हमारे पुराने विचारों के लोगों को यह समझ लेना चाहिये कि औरत के भी हृदय, आत्मा और आत्म-सम्मान होता है। वे भी परिवार और राष्ट्र का उसी प्रकार निर्माण कर सकती हैं जिस प्रकार कि पुरुष करते हैं। यदि रक्षण ही देने का प्रश्न हो तो फिर पुरुषों को भी दिया जाना चाहिये।

†**श्रीमती लक्ष्मीबाई** (विकाराबाद) : सभानेत्री महोदया, यह जो बिल राधा रमण जी ने यहां पर पेश किया है मैं इसका स्वागत नहीं करती हूं और न ही इसका स्वागत किया जाना चाहिये। मैं उनसे विनम्र निवेदन करती हूं कि वह इसको एकदम विदड्रा (वापिस) कर लें। बहुत से भाई बहनों ने इस पर हुई बहस में भाग लिया है और अपने विचार प्रकट किए हैं। आप लोग बहनों और माताओं को अच्छा समझते हैं, पावन और पवित्र चरित्र वाली समझते हैं और मैं समझती हूं आपको ऐसा समझना भी चाहिये। उनमें आज भी आत्मशक्ति है और वे अपनी रक्षा कर सकती हैं। लेकिन आवश्यकता दूसरी चीजों की है, इस तरह के बिल यहां लाने की नहीं। जब आप लोग किताबें लिखते हैं तो बहनों के बारे में लिखते हैं, और जब तस्वीरें बनाते हैं तो बहनों को लेकर बनाते हैं। आप लोग और कुछ बनाने की बात को सोचते ही नहीं हैं।

मैं इस बात में गौरव महसूस करती हूं कि मैं बहुत-सी बहनों का चरित्र मां की तरह जानती हूं। आज जो बुरी बात होती हैं वे किसकी गलती से होती हैं और उनको कैसे रोका जा सकता है, यह प्रश्न हमारे सामने है। मैं समझती हूं कि कानून बना देने से या रूल्स तथा रेगुलेशन्स बना देने से कुछ काम नहीं हो सकता है। इस बिल में आपने हंसी मजाक करने के अपराध में पंद्रह साल की कैद और १०,००० रुपये जुर्माने के रखे हैं। आप लोगों को बाजार चलते पकड़ सकते हैं। अगर आप उनको पकड़ते हैं तो आज उनके पास देने के लिये इतना पैसा भी नहीं है। मैं समझती हूं कि इस बिल को लाने

†मूल अंग्रेजी में।

[श्रीमती लक्ष्मीबाई]

में उनकी नियत अच्छी नहीं थी और मैं इसका स्वागत नहीं करती हूं। मैं चाहती हूं कि इस रिस्पेक्टेबल हाउस में आप बहनों के लिये अच्छी चीज लावें और हम उसका स्वागत करेंगे। आप ऐसी चीजें इस हाउस में लायें जिनका हम स्वागत कर सकें। लेकिन इस तरह का बिल लाकर बहस करना ठीक नहीं है। मैं मानती हूं कि यहां पर बैठे हुए हमारे भाइयों के दिलों में हमारे प्रति आदर भाव है और यह होना भी चाहिये। लेकिन मैं चाहती हूं और आप इसे स्वीकार करेंगे कि औरतों से सम्बन्ध रखने वाली सभी चीजें औरतों की कमेटी में जिसकी अध्यक्षा हमारी डिप्टी मिनिस्टर हों, जानी चाहियें और उसकी स्वीकृति से उनको यहां पर लाने की इजाजत होनी चाहिये।

आपने इस बिल में पनिशमेंट की क्लाज रखी है। लेकिन पनिशमेंट से कुछ नहीं बनता है। इस बुराई की रोक-थाम करने के लिये हमें हिम्मत से काम लेना होगा। अगर कहीं पर कोई आदमी या लड़का शरारत करता है तो हमें चाहिये कि हम चार-पांच मिलकर उसका सुधार करने के लिये उसकी माता के पास, उसके पिता के पास जायें और उसके माता-पिता उसको ठीक राह पर डालें। अगर लड़कियों में हिम्मत नहीं होती है तो उनको चाहिए कि वे अपने माता पिता को बता दें। अभी मेरी एक बहन ने उन लड़कियों का जिक्र किया है जिन्होंने अपनी पढ़ाई बन्द कर दी है। मैं समझती हूं कि पढ़ाई बन्द नहीं होनी चाहिये थी और उस व्यक्ति के सुधार के उपाय करने चाहियें। हंसी-मजाक करने से काम नहीं चलता है। घर पर अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिये और उनको अच्छे वातावरण में पाला जाना चाहिये। ऐसा देखा गया है कि बड़े लोग भी इस तरह के हंसी-मजाक करते हैं। यह बहुत बुरी चीज है और ऐसा नहीं होना चाहिये। ऐसे काम वही लोग करते हैं जो इरिस्पौंसिबल होते हैं, जो कुछ काम धंधा नहीं करते हैं, जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, जो बेकार फिरते हैं। हमारी बहनों को बैठकर के इस पर विचार करना चाहिये।

हमारी बहनों ने आजादी की तहरीक में बहुत काम किया है और अच्छा नाम कमाया है। अब यह जो बुरी चीज सोसाइटी में है, इसको दूर करने का काम भी उनको अपने सिर पर लेना चाहिये। भाई तथा बहनें अलग-अलग नहीं हैं, समाज के ये दोनों एक ही अंग हैं। आज देखा जाता है कि बहुत-सी बहनों की शादी नहीं होती है और इसका एक बड़ा कारण डावरी है। इस वास्ते अगर आपको बहनों के सम्बन्ध में कोई बिल लाना ही था तो इस डावरी की प्रथा को खत्म करने के लिये लाना चाहिये था और मैं खुश होती। दक्षिण में तो शादी में बहुत ज्यादा पैसा मांगा जाता है। मैं चाहती हूं कि जब कोई लड़का पैसा मांगे या किसी ओर से भी पैसे की मांग की जाये तो सारे के सारे खानदान को गिरफ्तार कर लिया जायें। इस तरह का बिल क्यों नहीं लाया गया, यह मेरी समझ में नहीं आया। अब जो बिल लाया गया है, इसको देखकर मुझे बहुत दुःख हुआ है। अगर आज हम किसी को दोष दे सकते हैं तो समाज को ही दे सकते हैं। और पनिशमेंट भी समाज को ही दे सकते हैं। एक लड़का एक शादी कर लेता है और उसके बाद दूसरी शादी करना चाहता है। जब दूसरी शादी करवा लेता है तो हम लोग खुश होते हैं, मजाक करते हैं और इस चीज का स्वागत करते हैं। लेकिन हम लड़की की जिन्दगी की ओर ध्यान नहीं देते। उसकी जिन्दगी बरबाद हो जाती है। ऐसी चीजों के बारे में हमें बिल लाने चाहिये थ।

हमारे भाई लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। आज यहां पर इक्वेलिटी की बात कही गई है। मैं इसको सुनना नहीं चाहती हूं और न मैं इसको सुनने के लिये तैयार ही हूं। यह तो एक बकरी को लेकर उसका मुकाबला एक बड़े पशु से करना है। बहनों की आदतें अलग हैं, उनका रहन-सहन अलग है। आज यह कहा जाता है कि औरतें सबल हैं। मैं समझती हूं कि आत्मबल जिसमें होता है वही सबल होता है। केवल मात्र कह देने से या स्टाम्प लगा देने से कोई सबल नहीं हो सका है। पकड़ने की हिम्मत होनी चाहिये, उसमें आत्मशक्ति होनी चाहिये। जो त्याग कर सकता है, सैक्रिफाइस कर सकता है, वही सबल कहला सकता है।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि हमारे राधा रमण जी अपने इस बिल को जल्दी से विदड्रा कर ल और इसपर और अधिक बहस नहीं होनी चाहिये । आज जरूरत इस बात की है कि हम बहनों को, लड़कों को तथा लड़कियों को अच्छी ट्रेनिंग दें और उनके विचारों को अच्छी ओर लगायें । यदि हमने ऐसा किया तो इस बुराई का अन्त होना कोई मुश्किल काम नहीं रह जायगा ।

†**श्री बालासाहेब पाटिल** (मिराज) : मेरे मत में स्त्रियों से छेड़-छाड़ करने वाले व्यक्तियों को सजा देने का काम औरतों के हाथ में ही छोड़ दिया जाना चाहिये । यदि उसके बाद भी जरूरत हो तो उसके लिये भारतीय दण्ड संहिता काफी समय से है ही । उसके उचित संचालन के विरुद्ध कोई विरोध तो प्रकट किया नहीं गया । मेरे विचार में इस मामले पर विचार करने का यह ढंग ठीक नहीं है । यह विधान बहुत अच्छा नहीं है । अच्छा कानून संक्षिप्त होता है । परन्तु इसमें तो 'छेड़-छाड़' की परिभाषा में अनेक बातें रखने का प्रयत्न किया गया है । और सभी अपराधों के लिये १५ वर्ष की सजा रखी गयी है ।

हम प्रगति कर रहे हैं और आज के युग में ऐसी बातें नहीं चल सकतीं । प्राविधिक दृष्टिकोण से भी विधेयक बहुत अच्छा नहीं । 'छेड़-छाड़' के भी दो अंग हैं, एक सामाजिक है और दूसरा उद्देश्य सम्बन्धी । ऐसे लोग हैं जिन्हें छेड़-छाड़ की आदत पड़ गई है, उन्हें ठीक करने के लिये तो कोई डाक्टर अथवा मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता पड़ेगी । इन बातों को ध्यान में रखते हुए लड़के-लड़कियों को इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिये कि वे इस समस्या की ओर समुचित दृष्टिकोण अपना सकें ।

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले पुरुषों के लिये कड़ी सजा की व्यवस्था करने के प्रयत्न करते हुए श्री राधा रमण स्वयं एक गलतफहमी में पड़ गये हैं । उनका लक्ष्य सराहनीय है, परन्तु जैसा कि विधेयक से प्रकट है विधेयक ठीक ढंग से तैयार नहीं किया गया है । उनके विधेयक का आधारभूत लक्ष्य स्त्री-पुरुषों के सम्बन्धों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करवाना है । पर सवाल यह है कि इन सम्बन्धों का ठीक प्रकार विनियमन कैसे हो । प्रस्तावक महोदय ने इस के लिये कठोर दण्ड का सुझाव प्रस्तुत किया है ।

यदि हम विधेयक का विश्लेषण करें तो हमें पता लगेगा जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि 'छेड़-छाड़' के सम्बन्ध में शिष्ट व्यवहार और अशिष्ट व्यवहार का निर्णय तो भिन्न-भिन्न व्यक्ति भिन्न-भिन्न कर सकते हैं और यह निर्णय स्त्री-पुरुष के सम्बन्धों के हलात को देख कर कई प्रकार से किया जा सकता है । इस विधेयक में किसी धारा विशेष के संशोधन के लिये नहीं कहा गया है । हमारी दण्ड संहिता में कई धारायें जैसे ३४२, ३५४, ३६६, ३६६ क, ३६६ ख हैं । यदि इसके होते हुए भी हम किसी और कानून की तलाश करते हैं, तो इसे ठीक नहीं कहा जा सकता ।

जैसा कि अभी श्री जयपाल सिंह ने बताया कि हमारे प्राचीन अविकसित समाज में ऐसी कोई बुराई नहीं थी । प्रस्तावक महोदय नारी को संरक्षण अवश्य दे रहे हैं पर उन्हें नारी को उसकी शक्ति से वंचित नहीं करना चाहिये । हम स्त्रियां उस विधान का संरक्षण नहीं चाहतीं जोकि हमें हमारी शक्ति से ही वंचित करे । मैं मानती हूं कि नागरीकरण और औद्योगीकरण के साथ-साथ सामाजिक व्यवहार की यह समस्यायें उत्पन्न होती हैं और बढ़ती हैं । परन्तु उसके लिये हमें फ़ायड और एडलर का पथ प्रदर्शन नहीं चाहिये । सामाजिक समस्याओं का हल तो सामाजिक संस्थाओं द्वारा ही किया जाना चाहिये चाहे वे सरकारी हों, अथवा गैर-सरकारी ।

शहरों में, जो यह दोष बढ़े हैं इसका भी कारण है, मानव हृदय और शरीर एक जटिल मशीन है और उनको अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है । हमें तेजी से आगे बढ़ना चाहिये । जनता के लिये

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्रीमती आल्वा]

समाज शिक्षा की अधिक से अधिक व्यवस्था की जानी चाहिये और साथ ही उनके मनोरंजन का उचित प्रबन्ध किया जाना चाहिये ताकि उनके जीवन में हंसी और प्रसन्नता की लहर पैदा हो सके। हमें ऐसी सामाजिक बुराइयों का सामना डट कर करना पड़ेगा। अश्लील साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा, इत्यादि हमारे नैतिक स्तर को गिराते हैं। क्या प्रस्तावक महोदय ने इन बातों को ठीक करने के लिये कुछ प्रबन्ध किया है? मानवीय भावनाओं का नियन्त्रण भौतिक साधनों से नहीं हो सकता। इस शताब्दी में तो यह स्पष्ट हो चुका है कि बुरे से बुरे व्यक्ति का भी सुधार किया जा सकता है। परन्तु सुधार के लिये सजा देने की प्रणाली से काफी लाभ उठाया जा सकता है। यह सच है कि मानव भावनाओं के हाथ फंस कर कभी-कभी बहुत कमजोर हो जाता है।

यदि हम भिन्न-भिन्न राज्यों पर दृष्टि डालें तो पता चलेगा कि इन आवारा आशिकों की गतिविधियों को रोकने के लिये बम्बई सरकार ने बिना पूर्व सूचना के छापा मारने वाले पुलिस दल बना रखे हैं जो दुर्व्यवहार करने वालों को एक दम छापा मार कर पकड़ते हैं। पर इस विधान से तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि हम इस व्यापक दंड संहिता से इस अपराध का इलाज नहीं कर सके तो यह १५ साल की सजा और १०,००० जुर्माने वाले विधान, से भी इसका इलाज नहीं कर सकेंगे। जो आदमी १०,००० रुपया जुर्माना देने योग्य होगा उसे आवारागर्दी करने की क्या आवश्यकता है। उसके पास इस प्रकार के कार्यों के लिय अन्य साधन होंगे। यह तो गरीब ही हैं जो कि अश्लील साहित्य अथवा बुरे सिनेमा इत्यादि से कुप्रभावित हो कर ऐसे काम करते हैं, या उनके रहने-सहने की व्यवस्था भी बुरी होती है और विवाह इत्यादि का काल भी गुजर जाता है, तब वे पथ भ्रष्ट कर इस बुरे मार्ग पर चलने लगते हैं।

इसलिये मैं इस बात से सहमत हूं कि इस मामले में दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्तियों को सजा देने का काम औरतों पर ही छोड़ दिया जाये। स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार और अवसरों की व्यवस्था संविधान में कर दी गयी है। प्राचीन काल के मुकाबले में आज स्त्रियों की स्थिति कुछ गिर ही गई है। मेरे विचार में यह विधेयक स्वीकृत होने के योग्य नहीं। और प्रस्तावक महोदय को इस दोष को दूर करने के लिये अन्य उपायों का सहारा लेना चाहिये।

रोग के लक्ष्यों का इलाज किया जाय, तो रोग का इलाज नहीं होता। इस रोग की जड़ें समाज में गहरी जमी हुई हैं। हमारे स्कूलों, परिवारों, और सामाजिक संस्थाओं की कुछ अवस्था ही ऐसी है। मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहती। मेरा कहना है कि प्रस्तावक का लक्ष्य महान है परन्तु विधेयक के उपबन्ध व्यवहार्य नहीं हैं, मैं विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहती हूं कि सरकार इस दोष की ओर भी सभी अन्य दोषों की तरह पूरा ध्यान देगी। यह मामला राज्य सरकारों के स्तर पर हल होना चाहिये।

एक अन्य माननीय सदस्य ने बताया कि उनके राज्य में यह दोष नहीं है। उस स्थान पर यह दोष नहीं हो सकता, जहां कि नरनारी अपने आपको जीवन के समान साथी समझते हैं। यह तो केवल वहीं होगा जहां स्त्रियों को हीन और कमजोर समझने की भावना होगी। स्त्री को कमजोर नहीं समझा जाना चाहिये, क्योंकि हम एक नये राष्ट्र और नये समाज का निर्माण कर रहे हैं। मैं प्रस्तावक महोदय से प्रार्थना करूंगी कि वह मेरी इस व्याख्या के बाद विधेयक को वापिस ले लें।

†**सभापति महोदय** : क्या श्री राधा रमण विधेयक को वापिस लेना चाहते हैं?

†**श्री राधा रमण** (चांदनी चौक) : मैं विधेयक वापिस ले लूंगा परन्तु मैं कुछ कहना चाहता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

मैं इस बात के लिये बड़ा आभारी हूं कि माननीय सदस्यों ने मेरे विधेयक पर अपने विचार व्यक्त किये। मंत्री महोदय का भी आभारी हूं, जिन्होंने विधेयक के लक्ष्य की सराहना की है। और जिस दोष की ओर मैंने ध्यान आकृष्ट करवाया है उसकी ओर केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों को ध्यान देना चाहिये।

परन्तु मुझे इस बात का दुःख है कि कई पुरुष सदस्यों ने अपने उद्गारों से महिला सदस्यों को नाराज कर लिया है। चूंकि मैं वकील नहीं हूं, इसलिये विधेयक के प्रारूप में मुझसे कुछ भूलें हो गयी हैं। परन्तु उनको सुधारा जा सकता था। १०, १५ वर्ष की सजा अथवा १० हजार जुर्माना भी अधिक से अधिक था। छोटे अपराधों की सजा कम भी हो सकती थी। हो सकता है कि कहीं स्त्रियों ने भी पुरुषों को तंग किया हो, परन्तु अधिकतर स्कूल जाने वाले लड़के ही शरारतें करके लड़कियों के लिये मुसीबतें खड़ी करते हैं। और इस दोष के उपचार के लिये मैंने यह विधेयक प्रस्तुत किया था।

विधेयक को वापिस लेने से पूर्व मैं कुछ सुझाव दना चाहता हूं आशा है केन्द्रीय और राज्य सरकारें इस ओर समुचित ध्यान देंगी।

पहली बात यह कि भारतीय दण्ड संहिता में इस सम्बन्ध में जो उपबन्ध हैं उनका परीक्षण कर उनको नये वातावरण के अनुकूल बनाया जाये।

इसके लिये एक विशेष सफेद वर्दी पुलिस दल बनाया जाये। उसकी भर्ती प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं में से की जाये। सूचना प्राप्त होते ही इन्हें जांच पर लगाया जाये और इस प्रकार के मामलों के लिये विशेष अदालतें भी स्थापित की जानी चाहियें जो जल्दी ही इन मामलों का फैसला कर दिया करें।

यद्यपि दण्ड संहिता में भी सजा की व्यवस्था है परन्तु मैं उसमें थोड़ी वृद्धि करना चाहता था। मैं विधेयक को वापिस लेने के लिये सदन की अनुमति चाहता हूं।

†**सभापति महोदय** : क्या माननीय सदस्य को विधेयक वापिस लेने की अनुमति है ?

†**कुछ माननीय सदस्य** : जी, हां।

विधेयक, सभा की अनुमति से वापस लिया गया

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, २४ फरवरी, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में।

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, २१ फरवरी, १९५८]

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर— ...	८५१–७५
तारांकित प्रश्न संख्या		
३७०	स्टेनलैस स्टील	८५१–५२
३७१	सहायी विमान बल कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते	८५२–५३
३७२	जम्मू तथा काश्मीर में पाकिस्तानी ...	८५३–५४
३७४	दक्षिण भारत की भाषाओं का अध्ययन	८५४–५६
३७५	प्राचीन चित्रकारी	८५६
३७६	सहकारी गृह-निर्माण समिति, दिल्ली	८५७
३७७	पंजाब में दसुआ के निकट तेल ...	८५७
३७८	कृत्रिम उपग्रह	८५८–५९
३७९	युद्धपोत 'आरगोसी' की प्रतिकृति	८५९
३८१	मध्य प्रदेश को ऋण	८५९
३८२	एम० ई० एस० पुनरीक्षण समिति ...	८६०
३८४	रूरकेला में स्टील एलाय प्लांट	८६०
३८६	वायनाड उपनिवेशन योजना ...	८६०–६१
३८७	समकालीन भारतीय साहित्य	८६२–६४
३८८	सम्पदा-शुल्क	८६४
३९०	तेलियामूड़ा बाजार (त्रिपुरा) में अग्निकांड	८६५
३९२	उड़ीसा को सहायता... ...	८६५–६७
३९३	मनीपुर में नेपाली	८६७–६८
३९४	वार्ता निकाय तथा श्रमिक समितियां	८६८
३९५	श्री रवींद्रनाथ टैगोर की जन्म शताब्दी	८६८–७०
३९६	रूरकेला में उर्वरक संयन्त्र	८७०
३९७	दिल्ली में बम विस्फोट	८७०–७१
३९८	धनबाद का भारतीय खान और व्यावहारिक भौमिकी स्कूल...	८७२
३९९	शिक्षा सम्बन्धी सम्मेलन ...	८७२–७३
४००	उड़ीसा का सीमा विवाद ...	८७३–७४
४०१	जम्मू तथा काश्मीर में तेल की खोज	८७४
४०३	काश्मीर में पैट्रोलियम के निक्षेप	८७४–७५
४०२	उड़ीसा का भूतत्वीय सर्वेक्षण	८७५

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	८७६-९४
तारांकित प्रश्न संख्या		
३७३	प्रस्तावित तेल शोधक कारखाने ...	८७६
३८०	सैन्ट्रल आर्डनेंस डिपो, आगरा	८७६
३८३	क्रीड़ांगण	८७७
३८५	कोयला वाले क्षेत्रों का अधिग्रहण	८७७
३८९	केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय गवेषणा संस्था, मैसूर	८७७
३९१	क्षेत्रीय परिषदें	८७८
४०४	पाकिस्तान को देय ऋण	८७८
४०५	आगरे का किला ...	८७८
अतारांकित प्रश्न संख्या		
४४३	हार्नेस और सैडलरी फैक्टरी के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	८७८-७९
४४४	उड़ीसा में तम्बाकू की खेती ...	८७९
४४५	मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स	८७९-८०
४४६	कोयला धोने के कारखाने	८८०
४४७	भारतीय खनि विभाग ...	८८०-८१
४४८	राष्ट्रीय नवकला वीथि जयपुर हाउस	८८१
४४९	नासिक में भूमि अधिग्रहण	८८१
४५०	अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये वृत्तिका	८८१-८२
४५१	राजस्थान में कल्याणकारी संगठन ...	८८२
४५२	अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिये मकान ...	८८२
४५३	नैपाल का सर्वेक्षण	८८२-८३
४५४	अतिरिक्त अस्थायी संस्थापन सेवायें	८८३
४५५	आर्मी स्टोर्स कोर ...	८८३-८४
४५६	दिल्ली में गुण्डे	८८४
४५७	मनीपुर में लोहे की नालीदार चादरों का वितरण	८८४
४५८	बिहार को वित्तीय सहायता	८८५
४५९	सैनिक प्रशिक्षण ...	८८५
४६०	आई० एन० एस० मैसूर	८८६
४६१	सेना के लिये पत्र-पत्रिकाएं	८८६
४६२	इस्पात का आयात ...	८८७
४६३	हिमाचल प्रदेश का विकास	८८७-८८
४६४	दिल्ली के स्कूल अध्यापक	८८८
४६५	दिल्ली के स्कूल	८८८-८९
४६६	जामा मस्जिद	८८९
४६७	स्पुटनिक	८८९
४६८	रूरकेला का इस्पात कारखाना	८८९-९०

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमश:		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
४६९	हिमाचल प्रदेश में स्कूल और कालिज	८९०
४७०	हिमाचल प्रदेश में प्राइमरी स्कूल	८९०
४७१	हिमाचल प्रदेश में समाज कल्याण केंद्र	८९०–९१
४७२	हिमालय की वनौषधियां	८९१
४७३	ई० एम० ई० कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु	८९१
४७४	मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा योजनायें	८९१–९२
४७५	कोरबा कोयला खान क्षेत्र ...	८९२
४७६	दार्जिलिंग जिले की स्वायत्तशासी स्थिति	८९२
४७७	दिल्ली पोलिटेक्निक...	८९२
४७८	मनीपुर की अदालतों में मुकदमों का निबटारा	८९३
४७९	द्वितीय और तृतीय श्रेणी के कर्मचारी	८९३
४८०	पाकिस्तान के वायु-सेनाध्यक्ष की यात्रा	८९३
४८१	प्रादेशिक सेना	८९४

सभा पटल पर रखा गया पत्र ८९४

समवाय अधिनियम, २९५६ की धारा ६३९ की उपधारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९५६-५७ के लिये सिन्दरी फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे सहित, की एक प्रति ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ८९४–९६

श्री बाजपेयी ने जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा असहयोग आन्दोलन की ओर वित्त मंत्री का ध्यान दिलाना ।

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) ने उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया और राष्ट्रीय जीवन बीमा क्षेत्र कर्मचारी संघ की मांग बताने वाले विवरण की एक प्रति भी सभा पटल पर रखी

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन की उपस्थापना के लिये समय का बढ़ाया जाना ८९७

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन की उपस्थापना के लिये निर्धारित समय को अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक बढ़ा दिया गया ।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, (१९५७-५८) ८९७–९२६

वर्ष १९५७-५८ के लिये आय-व्ययक 'सामान्य' के बारे में अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई मांगें पूरी-पूरी स्वीकार कर ली गईं ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ... ९२६

चौदहवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरःस्थापित किये गये ... ६२६-२७

निम्नलिखित विधेयक पुरः स्थापित किए गए।

(१) श्री नलदुर्गकर का दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १६५७ (धारा २०७-क और ४३७ का संशोधन)।

(२) श्री मोहन स्वरूप का वृद्धावस्था विवाह रोक विधेयक, १६५८।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ... ... ... ६२७

श्री राधा रमण ने, महिलाओं के साथ छेड़-छाड़ के लिये दण्ड सम्बन्धी विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिये सभा द्वारा २३ अगस्त, १६५७ को निर्धारित समय को बढ़ाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक-वापिस लिया गया ... ... ६२७—३७

महिलाओं के साथ छेड़-छाड़ के लिये दण्ड सम्बन्धी विधेयक, १६५७ पर आगे चर्चा समाप्त हुई। विधेयक सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

***२४ फरवरी, १६५८ के लिये कार्यावलि**

विनियोग विधेयक तथा केन्द्रीय बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक पर विचार करना तथा उसको पारित किया जाना और वाणिज्यिक नौवहन विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर विचार।

---

*इस कार्य को इसलिये नहीं लिया गया क्योंकि लोक-सभा मौलाना आजाद, श्री बी० दास और वी० एम० औबेदुल्ला के निधन पर शोक प्रकट करने के पश्चात् स्थगित हो गई।